किसान संघर्ष

अगस्त–सितम्बर 2023

महाराष्ट्र के पालघर में किसान सभा की रैली

दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा में किसान सभा का धरना

अगरतला, त्रिपुरा में किसान सभा, गण मुक्ति परिषद् और खेत मजदूर यूनियन का संयुक्त असेंबली मार्च

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एसकेएम राज्य सम्मेलन

तमिलनाडु गन्ना किसान महासंघ का मदुरई की राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल पर विरोध प्रदर्शन

किसान संघर्ष

किसान सभा की पत्रिका

अगस्त–सितम्बर 2023

संपादक

डॉ अशोक ढ़वले

कार्यकारी संपादक

बादल सरोज

संपादक मंडल

डॉ विजू कृष्णन

पी कृष्णप्रसाद

इन्द्रजीत सिंह

अवधेश कुमार

मनोज कुमार

पुष्पेन्द्र त्यागी

अखिल भारतीय किसान सभा

36, पंडित रविशंकर शुक्ला लेन (केंनिंग लेन), नई दिल्ली–110001

फोन व फैक्स : 011–23782890

ई–मेल :

psksaiks@gmail.com

kisansabha@gmail.com

प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए 21, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, जी.टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली–110095

विषय सूची

संपादकीय 2

एसकेएम और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने बनाई ऐतिहासिक संयुक्त किसान मजदूर आंदोलन की योजना **–हन्नान मौल्ला** 3

भाजपा सरकार का अमानवीय एजेंडा, जिसने मणिपुर में कलह, मृत्यु और विनाश का सूत्रपात किया **– डॉ विजू कृष्णन** 6

कार्पोरेट के फायदे के लिए किसानों को लाभकारी मूल्य देने से इंकार **– अखिल भारतीय किसान सभा** 9

नूंह की सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ उभरते एकता के स्वर **– इंद्रजीत सिंह** 12

अभूतपूर्व बाढ़ की स्थिति : प्रभाव और कारण **–विशेष संवाददाता** 16

ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन वाद–विवाद "मोदी राज पराजित किया जा सकता है और पराजित किया जाएगा!" **– डॉ अशोक ढ़वले** 18

केरल के रबड़ किसानों का राजभवन पर विशाल मार्चः 14 सितंबर को होगा संसद मार्च **– वल्सन पनोली** 23

राजस्थान के चुरू जिले में कृषि बीमा के लिए संघर्ष **– छगनलाल चौधरी** 26

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र–ग्रेटर नोएडा दमन और वादाखिलाफी के सामने डटा किसान आंदोलन **– पुष्पेन्द्र त्यागी** 29

'सेब बचाओ, कश्मीर बचाओ': जम्मू–कश्मीर एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला राज्य सम्मेलन **– शुभोजीत डे** 32

महाराष्ट्र के पालघर जिला कलेक्ट्रेट पर किसान सभा के 25,000 किसानों का प्रदर्शन– मांगें मनवायी **– चंद्रकांत घोरखाना/चंद्रकांत धांगडा** 34

किसान आन्दोलन के बाद बाढ़ से लड़ने में भी हरियाणा–पंजाब के किसानों की मजबूत एकता **– मास्टर चाँद बहादुर** 36

आलू उत्पादक किसानों की समस्या व सुझाव **– भारत सिंह** 38

बहार राज्य ईख उत्पादक संघ का तीसरा सम्मेलन संपन्न बिहार की चीनी मिलों पर विशाल धरने **– प्रभुराज नारायण राव** 39

कर्नाटकः कपास उत्पादकों के अधिवेशन ने लाभकारी कीमतों की मांग की **– चन्नप्पा अनेगुंडी** 41

कर्नाटक में नारियल के किसानों का सफल विरोध प्रदर्शन **–टी.यशवंथा** 42

राज्य स्तरीय राजनीतिक प्रशिक्षण शिविर, योजना बनाने और संगठन निर्माण में मददगार **– पी कृष्णप्रसाद** 44

संपादकीय

आज जब हम आज़ादी के 76 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, हमारा देश एक अभूतपूर्व सांप्रदायिक–जातिवादी ध्रुवीकरण से गुजर रहा है। सत्ता में बैठी आरएसएस–भाजपा द्वारा नफरत और हिंसा भड़काई जा रही है। पिछले चार महीने से जल रहा मणिपुर इस राजनीति का सबसे बड़ा शिकार है। वहां महिलाओं के खिलाफ हुई जघन्य यौन हिंसा ने देश को झकझोर कर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में "कानून–व्यवस्था और संवैधानिक तंत्र के पूरी तरह से ध्वस्त हो जाने" की निंदा की है। यह कोई संयोग नहीं है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का नेतृत्व भाजपा कर रही है।

अलग–अलग राज्यों से सांप्रदायिक घटनाओं की भयावह कहानियां आ रही हैं। सबसे चौंकाने वाला उदाहरण रेलवे पुलिस बल के कांस्टेबल चेतन सिंह का है, जिसने ट्रेन में जब वह महाराष्ट्र में पालघर के पास थी, अपने वरिष्ठ और तीन अन्य यात्रियों की हत्या कर दी। तीनों यात्री मुस्लिम थे। एक वीडियो में दिखाया गया कि उस व्यक्ति ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि मुसलमानों को पाकिस्तान द्वारा निर्देशित किया जा रहा है और यदि वे भारत में रहना चाहते हैं तो उन्हें मोदी और योगी को वोट देना होगा। ऐसी नफरत संघ परिवार के ज़हरीले ब्रेनवॉश का नतीजा है। हरियाणा में सांप्रदायिक दंगे भड़काए गए हैं जिसके बाद पंचायतें कर अल्पसंख्यकों के विरुद्ध नफरत फैलाई जा रही है और उन की रोज़ी–रोटी पर हमला किया जा रहा है। समान नागरिक संहिता पर सांप्रदायिक आख्यान बनाना भी आरएसएस–भाजपा द्वारा ध्रुवीकृत विभाजनकारी राजनीति की दिशा में एक और शैतानी कदम है, जो आगामी चुनावों के लिए उनका एजेंडा निर्धारित कर रहा है। देश साम्प्रदायिकता के टाइम बम पर बैठा है।

अधिनायकवादी मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार राज्य सरकारों के अधिकारों में कटौती कर रही है और हमारे संविधान के संघीय मूल्यों को विकृत कर रही है। इसे दिल्ली के मामले में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जहां भाजपा की केंद्र सरकार नौकरशाही पर राज्य सरकार के अधिकार को ख़त्म करने के लिए एक अध्यादेश लेकर आई है जिसे अब संसद में बहुमत के दम पर मंजूरी भी दिला ली गई है। पिछले कुछ महीनों में देश में मीडिया की स्वतंत्रता और सेंसरशिप को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। कथित मीडिया दमन के कई उदाहरण सामने आए हैं, जहां असहमति व्यक्त करने पर आलोचनात्मक आवाज़ों को चुप करा दिया गया या दंडित किया गया। मीडिया आख्यानों पर सरकार का नियंत्रण और संपादकीय निर्णयों पर इसका प्रभाव देश में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति पर सवाल उठाता है। भाजपा विपक्षी नेताओं को धमकाने और उनकी पार्टियों को तोड़ने के लिए ईडी, सीबीआई, आईटी आदि का बेशर्मी से इस्तेमाल कर रही है। शिवसेना और राकांपा दोनों में विभाजन भय, भ्रष्टाचार और अनैतिकता पर आधारित था।

हालाँकि, आई.एन.डी.आई.ए. के नाम से बने मंच से मोदी नेतृत्व वाले एनडीए शासन के खिलाफ विपक्षी दलों की उभरती एकता एक सकारात्मक विकास है और इस जन–विरोधी, कॉर्पोरेट–समर्थक, राष्ट्र–विरोधी सरकार को हमेशा के लिए समाप्त करने की उम्मीद जगाती है। लेकिन इसके साथ–साथ जनता के मुद्दों जैसे महंगाई, बेरोजगारी और किसानों–मजदूरों, युवाओं और महिलाओं के असंख्य मुद्दों पर बड़े संयुक्त संघर्ष के साथ–साथ सांप्रदायिकता के खिलाफ एक गहन राजनीतिक अभियान भी चलाना होगा। इस संदर्भ में, 24 अगस्त 2023 को दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन और इसके द्वारा किया जाने वाला संघर्ष का आह्वान इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा। जो देश भर में मजदूर–किसान एकता बनाने में मददगार होगा।

'किसान संघर्ष' के इस अंक में इनमें से कुछ मुद्दों पर लेख और देश भर में किसान सभा द्वारा किए जा रहे प्रेरणादायक किसान संघर्षों की जानकारी समेटने का प्रयास किया गया है। □

एसकेएम और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने बनाई ऐतिहासिक संयुक्त किसान मजदूर आंदोलन की योजना

– हन्नान मौल्ला

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ सबसे लंबे और सबसे बड़े 380 दिनों तक चले किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक जीत हासिल की। जिसने सरकार को तीन काले कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर किया। लेकिन सरकार संघर्ष की अन्य मांगों को संबोधित करने में विफल रही। कृषि मंत्रालय ने एमएसपी, बिजली बिल, झूठे मुकदमे, शहीदों के परिवारों को सहायता और लखीमपुर खीरी हत्याओं के लिए न्याय जैसी अन्य मांगों पर विचार करने का लिखित आश्वासन दिया था। इन लिखित आश्वासनों के आधार पर आन्दोलन स्थगित किया गया, वापस नहीं लिया गया। लेकिन मोदी सरकार ने अपने लिखित आश्वासनों को पूरा ना कर धोखा दिया है। इसलिए एसकेएम की राष्ट्रीय बैठक में आंदोलन फिर से शुरू करने का फैसला किया गया।

एसकेएम संघर्ष के लिए तैयार

सरकार को चेतावनी देने के लिए जींद में एक बड़ी विरोध सभा आयोजित की गई थी, लेकिन सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं देने का फैसला किया। मार्च 2023 में दिल्ली के रामलीला मैदान में एसकेएम की एक विशाल रैली आयोजित की गई और कृषि मंत्री को एक ज्ञापन दिया गया जिसमें चेतावनी दी गई कि अगर सरकार ने अपना विश्वासघात जारी रखा, तो किसान एक बड़े संघर्ष में उतरेंगे। भारत के राष्ट्रपति को पत्र के साथ–साथ लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को भी चेतावनी पत्र लिखकर किसानों के मुद्दों के प्रति अपना रवैया बदलने के लिए कहा गया। इस के बाद एसकेएम ने सड़कों पर संघर्ष आयोजित करने का निर्णय लिया। आंदोलन का केंद्र पहले देश की राजधानी दिल्ली थी, जिस का घेराव किया गया था। लेकिन अब इस आंदोलन का विस्तार पूरे भारत में किया जायेगा, हर राज्य तक किया जाएगा। इस उद्देश्य से एसकेएम के राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। संघर्ष को बेहतर तरीके से निर्देशित करने के लिए, एसकेएम ने देश भर से 35 सदस्यों के साथ अपनी राष्ट्रीय समन्वय समिति (एनसीसी) का गठन किया है, जिसमें इसके लगभग पांच सौ घटकों का प्रतिनिधित्व लिया गया और इसकी दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों

को सुव्यवस्थित करने के लिए एक सचिवमंडल का भी गठन किया गया है।

तदनुसार, एसकेएम के राज्य सम्मेलन अब तक बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आयोजित किए जा चुके हैं। इन सम्मेलनों को अगस्त माह के अंत तक पूरा करने की समय सारणी निर्धारित की गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हरियाणा, महाराष्ट्र और ओडिशा में सम्मेलनों के लिए तारीखें पहले ही तय कर ली गई हैं। बाकी राज्यों पर भी जल्द फैसला लिया जाएगा। सम्मेलन का मुख्य कार्य राज्य स्तरीय समन्वय समिति का चुनाव करना, राज्य स्तरीय मांग पत्र को अंतिम रूप देते हुए, अगस्त से नवंबर तक एसकेएम कार्यों की ठोस योजना बनाना और प्रचार के लिए सितंबर/अक्टूबर में राज्य स्तरीय पदयात्रा या जत्थों की योजना बनाना है। मांग पत्र और प्रचार किसानों को केंद्र की मोदी सरकार तथा विशेष रूप से भाजपा के नेतृत्व वाली विभिन्न राज्य सरकारों की किसान विरोधी नीतियों के बारे में समझाया जायेगा। मांग पत्र में एसकेएम की केंद्रीय मांगें और संबंधित राज्य की ज्वलंत मांगें शामिल होंगी।

इस गहन अभियान के बाद, मोदी सरकार के कॉर्पोरेट, सांप्रदायिक, फासीवादी चरित्र और संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक न्याय के साथ–साथ दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों तथा गरीबों के खिलाफ की जा रही सभी साजिशों को बेनकाब करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के जत्थे भी निकले जा सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को नष्ट करने व देश को अडानी और अंबानी जैसे कॉरपोरेट्स को बेचने के उसके आर्थिक अपराधों का पर्दाफाश किया जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य नीतियों के ज्वलंत मुद्दे भी उठाए जाएंगे। समाज को सांप्रदायिक बनाने और अपने संकीर्ण चुनावी उद्देश्यों के लिए इसे विभाजित करने और ध्रुवीकरण करने की भाजपा–आरएसएस की साजिश से लड़ा जाएगा। मोदी सरकार की आपराधिक गतिविधियों और कॉरपोरेट पक्षीय नीतियों के खिलाफ जनमत जुटाया जाएगा। देश में दरबारी पूंजीवाद का निर्माण, साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ मिलकर हमारी स्वतंत्रता को कमजोर कर हमारी संप्रभुता से समझौता करना भी उजागर किया जाएगा।

एक गहन राष्ट्रव्यापी अभियान के बाद, एसकेएम ने 26 से 28 नवंबर तक महापड़ाव आयोजित करने का फैसला किया है, जिसमें हर राज्य की राजधानी में 75 घंटे के विशाल धरना–घेराव विरोध प्रदर्शन में हजारों किसानों को शामिल किया जाएगा। इस संघर्ष से भाजपा विरोधी माहौल बनाने का काम किया जाएगा। इस अभियान का नारा होगा "मोदी हटाओ, भारत बचाओ" और "संविधान बचाओ, भारत बचाओ"।

मजदूर–किसान एकता की ओर

किसान आन्दोलन के क्रम में, उभरती हुई मजदूर–किसान एकता एक बहुत ही सकारात्मक विकास उभरा, जो आंदोलन को और मजबूत व जनतांत्रिक बनाएगी। दो मुख्य उत्पादक वर्ग–किसान और मजदूर कॉर्पोरेट–पक्षीय, जन–विरोधी सरकार के क्रूर हमलों का सामना कर रहे थे। दोनों वर्ग स्वतंत्र रूप से उन हमलों के विरुद्ध लड़ रहे थे। कभी–कभी, उन्होंने प्रेस बयानों के माध्यम से औपचारिक समर्थन जताया और कुछ एकजुटता गतिविधियाँ आयोजित की गईं। लेकिन दुश्मन को हराने के लिए हमें संयुक्त गतिविधियों की जरूरत है।

जिस दिन किसान आंदोलन ने "चलो दिल्ली" का आह्वान किया, उसी दिन मजदूर वर्ग ने भी अपना संघर्ष आगे बढ़ाया और 26 नवंबर 2020 को अखिल भारतीय हड़ताल की घोषणा की। एसकेएम तीन काले कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहा था; ट्रेड यूनियन चार काली श्रम संहिताओं के खिलाफ लड़ रहे थे। संघर्ष के दौरान, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) ने एसकेएम आंदोलन और उसकी मांगों को बिना शर्त समर्थन दिया। उनके कार्यकर्ताओं ने रैलियों, विरोध प्रदर्शनों, रास्ता रोको और भारत बंद के एसकेएम के सभी आह्वानों में भाग लिया। इस प्रकार पूरे देश में संघर्ष ने व्यापक रूप लिया। किसानों ने चार श्रम संहिताओं और देश के सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री के खिलाफ मजदूरों के संघर्ष का समर्थन किया। इस संयुक्त संघर्ष को और अधिक एकजुटता देने के लिए, सीटीयू ने एसकेएम नेताओं को अपने राष्ट्रीय सम्मेलन में आमंत्रित किया तथा एसकेएम के मुख्य नेताओं ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर उनके राष्ट्रीय सम्मेलन को भी समर्थन दिया।

इस के बाद हमारे इतिहास में पहली बार एसकेएम

और सीटीयू की संयुक्त बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। किसानों और मजदूरों के राष्ट्रीय नेताओं ने एक–दूसरे के विचारों को साँझा करना शुरू किया, एक–दूसरे को समर्थन दिया व कुछ संयुक्त कार्रवाई कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया। समर्थन और एकजुटता की कार्रवाइयों को फिर कार्रवाई के लिए संयुक्त आह्वान में बदल दिया गया। पिछली संयुक्त बैठक में, 9 अगस्त 2023 को संयुक्त विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया था। "कॉर्पोरेट हटाओ, देश बचाओ, कॉर्पोरेट हटाओ, खेत बचाओ" संयुक्त नारा था जो भारत छोड़ो दिवस पर पूरे भारत में उठाया जाएगा। मजदूर और किसान संयुक्त रूप से अपने जिलों और ब्लॉकों में जुटेंगे।

इसके बाद दोनों वर्गों के मंच, 15 अगस्त 2023 को भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष की समाप्ति पर मजदूरों और किसानों को लामबंद करेंगे। वे संयुक्त रूप से मेहनतकश जनता के लिए आज़ादी का क्या मतलब है यह समझाएंगे, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यवान सबक क्या थे, हम क्या हासिल कर सके और क्या नहीं। आरएसएस द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के साथ किए गए विश्वासघात को उजागर किया जाएगा, साथ ही इस तथ्य को भी उजागर किया जाएगा कि भाजपा सरकार ने, मेहनतकश वर्ग द्वारा संघर्षों के माध्यम से हासिल की गई अभी तक की सभी उपलब्धियों को ख़त्म कर दिया है। ये संयुक्त गतिविधियाँ मजदूरों और किसानों को वैचारिक और राजनीतिक रूप से एक–दूसरे के करीब लाएँगी। सीटीयू ने भी 26–28 नवंबर के राज्यों की राजधानियों के घेराव कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला किया है। अब यह किसानों और मजदूरों का संयुक्त संघर्ष कार्यक्रम होगा। एसकेएम और सीटीयू के सभी राज्य नेता अपने–अपने क्षेत्रों में संयुक्त कार्यक्रमों की योजना बनाएंगे।

एसकेएम–सीटीयू द्वारा 24 अगस्त 2023 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक संयुक्त मजदूर–किसान राष्ट्रीय कन्वेंशन आयोजित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। आजादी के बाद भारत में मजदूरों और किसानों के संघर्ष में यह एक उल्लेखनीय मील का पत्थर होगा। इस ऐतिहासिक संयुक्त सम्मेलन में पांच हजार से अधिक मजदूर, किसान और खेत मजदूर प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन में मजदूर–किसान एकता का महत्व समझाया जायेगा। मांगों का एक संयुक्त मांगपत्र तैयार किया जाएगा और हमारे संयुक्त उद्देश्य व देश की स्थिति की जानकारी देने वाले एक संयुक्त प्रस्ताव को अपनाया जाएगा। उसके आधार पर पूरे देश में मजदूरों और किसानों की एकता की आवश्यकता के साथ–साथ उनकी राजनीतिक व वैचारिक चेतना जगाने के लिए एक व्यापक दीर्घकालिक संयुक्त अभियान चलाया जाएगा।

एक अन्य संयुक्त मंच, भूमि अधिकार आंदोलन (बीएए), जिसमें किसान सभा एक प्रमुख घटक है, ने वन और आदिवासी भूमि पर कब्जा करने वाले कॉरपोरेट्स के खिलाफ संघर्ष शुरू करने का फैसला किया है। हमने देश में 85 ऐसी जगहों की पहचान की है, जहां खनन और अन्य परियोजनाओं के नाम पर आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। बीएए ने "जल, जंगल, जमीन" को ऐसी कॉर्पोरेट लूट, जिसे मोदी सरकार द्वारा पूरा समर्थन दिया जा रहा है, से बचाने के लिए संघर्ष करने का फैसला किया है। सरकार ने वन भूमि को छीनने की सुविधा के लिए वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन पारित किया है। बीएए ने इसका विरोध करने का फैसला किया है और संघर्ष की योजना बनाने के लिए आदिवासी संगठनों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जायेगा।

आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जनता पर मोदी सरकार के हमले तेजी से बढ़ रहे हैं और वह अपने पूंजीपति मित्रों को बचाने व उन का मुनाफा बढ़ाने के लिए और भी क्रूर किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और गरीब विरोधी नीतियां लागू करेगी। सांप्रदायिक विभाजन का उपयोग लोगों को विभाजित करने और ध्रुवीकरण करने तथा जनवादी एकता को कमजोर करने के लिए किया जाएगा, जैसा कि मणिपुर में हाल की भयानक घटनाओं में देखा गया है। किसान सभा ने इन सभी हमलों के खिलाफ लड़ाई में पहले से ही कुछ स्वतंत्र कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं और पूरे देश में मजबूत स्वतंत्र व संयुक्त आन्दोलन खड़ा करने का फैसला किया है। हमें ये पूर्ण विश्वास है कि, राज्य, जिला, तहसील/ब्लॉक और ग्राम स्तर तक हमारी सभी इकाइयाँ संघर्ष के इन सभी कार्यक्रमों को बड़ी सफलता बनाने के लिए पूरी ताकत से लगेंगी। □

'डबल इंजन' वाली भाजपा सरकार का अमानवीय एजेंडा, जिसने मणिपुर में कलह, मृत्यु और विनाश का सूत्रपात किया

– डॉ विजू कृष्णन

मणिपुर में शांति तथा क़ानून और व्यवस्था बनाए रखने में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और मणिपुर की राज्य सरकार की घोर आपराधिक विफलता ने भाजपा–आरएसएस के अमानवीय चेहरे और उनकी "फूट डालो और राज करो" की रणनीति को उजागर कर दिया है। मई के महीने से ही मणिपुर में कुकी और मैतेई लोगों के बीच संघर्ष हो रहा है। कांगपोकपी ज़िले में दो कुकी महिलाओं को नंगा करके घुमाए जाने का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, इसके बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की स्थिति पर चुप्पी साधे हुए हैं। महिलाओं में से एक के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और दो महिलाओं को यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया गया, यहाँ तक कि उन्हें नंगा करके परेड भी कराया गया। इस बात से और अधिक झटका लगा जब भाजपा के मुख्यमंत्री ने बेबाकी से कहा कि राज्य में ऐसी सैकड़ों घटनाएँ हुई हैं।

भाजपा–आरएसएस मणिपुर के पूरे घटनाक्रम में शामिल है और कलह का माहौल बनाने के लिए दोषी है। ग़ैरसरकारी आँकड़े बताते हैं कि इस संघर्ष में 200 से अधिक लोगों की जान गई है; और लगभग एक लाख लोग विस्थापित हो गए हैं और शिविरों में अमानवीय परिस्थितियों में शरणार्थी के रूप में रहने को मजबूर हैं। कई लोग हमलों से बचने के लिए भागकर पड़ोसी राज्यों और म्यांमार चले गए हैं और वहाँ अनिश्चित परिस्थितियों में रह रहे हैं। शांति स्थापित करने तथा लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए कोई ठोस क़दम नहीं उठाया गया है। बल्कि, ऐसा लगता है कि 'डबल–इंजन' पटरी से उतर गया है, मानवीय त्रासदी के प्रति उनका एक उदासीन तथा असंवेदनशील दृष्टिकोण है, उनकी नफ़रत की राजनीति और सक्रिय मिलीभगत ने राज्य को इस स्थिति में पहुँचा दिया है।

ऐसा कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था तब सम्राट नीरो बाँसुरी बजा रहा था, लेकिन नीरो का किया धरा उसके वर्तमान अवतार के सामने फीका पड़ जाएगा, जिसका नाम, नमो, बोलने में उसके जैसे ही लगता है। हिंसा बेरोकटोक जारी है और दोनों सरकारों के क़दमों से अभी तक समुदायों के बीच सामान्य स्थिति, मेल–मिलाप और सद्भाव लाने में मदद नहीं मिली है। विडंबना यह है कि जहाँ भाजपा–आरएसएस ज़ोर–शोर से अभियान चला रही है कि नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं उनकी सरकार मणिपुर में शांति स्थापित करने में बुरी तरह विफल रही है और राज्य में गृह युद्ध जैसी स्थिति है जिसकी ज़िम्मेदारी से सरकार बच नहीं सकती।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कई सप्ताह तक कर्नाटक में चुनाव प्रचार में लगे रहे और संकट के प्रति उदासीन रवैया अपनाए रखा। हिंसा, तबाही और मौत के 26 दिन बाद अमित शाह ने राज्य का दौरा किया। ऐसे आरोप हैं कि भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार संघर्ष को भड़काने के लिए दोषी है और समुदायों के बीच खाई पैदा करने में संघ परिवार की भूमिका है। अरामबाई तेंगगोल जैसे मैतेई के सांप्रदायिक निजी मिलिशिया को दिए गए समर्थन ने आग में घी डालने का काम किया है। कुकियों को ऐसा लगता है कि राज्य की भाजपा सरकार और संघ परिवार मैतेई लोगों के एक संगठन मैतेई लीपुन और उसके नेता प्रमोट सिंह, जो मणिपुर को "हिंदू धर्म के सनातन धर्म के शुद्धतम रूप की अंतिम चौकी" बताते हैं, को संरक्षण प्रदान करती है।

हालाँकि अधिकांश रिपोर्टों से पता चलता है कि मणिपुर

उच्च न्यायालय के आदेश के ख़िलाफ़ कुकी विरोध प्रदर्शन के परिणामस्वरूप जातीय हिंसा भड़की, जिस आदेश में कहा गया था कि राज्य सरकार एक महीने के भीतर मैतेई को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने का विचार करे, जिसकी माँग वे लम्बे समय से करते आ रहे हैं, लेकिन राज्य में ध्रुवीकरण की ज़मीन बहुत लम्बे समय से तैयार की जा रही थी। राज्य में ध्रुवीकरण के लिए लम्बे समय से प्रयास किए जा रहे थे। पिछले चुनावों में पहाड़ पर रहने वालों और जनजातियों ने मुख्य रूप से भाजपा को वोट दिया था और उनसे कई वादे किए गए थे।

हालाँकि, मुख्यमंत्री ने पहाड़ी इलाक़े के वन क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण हटाने के बहाने कुख्यात 'बुलडोज़र राज' की शुरुआत की। के.सोंगजांग गाँव में सोलह घरों को ध्वस्त कर दिया गया और चुराचांदपुर के विभिन्न हिस्सों में बिना किसी परामर्श, वैकल्पिक पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति के ऐसे अभियान की योजना बनाई गई। जिन लोगों ने शांतिपूर्वक इस क़दम का विरोध किया, उनके साथ भी आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया गया। मुख्यमंत्री ने पिछले कुछ वर्षों में कुकियों को "बाहरी", "म्यांमार से आए अवैध आप्रवासी", "अतिक्रमणकारी", "विदेशी कुकी" के रूप में लेबल करने का बार–बार प्रयास किया, जिससे स्वदेशी लोग दूसरे दर्जे के नागरिक की स्थिति में आ गए, इसके साथ ही एक और कहानी गढ़कर उन्हें पोस्ता की खेती और नशीली दवाओं के कारोबार में शामिल "नार्को–आतंकवादी" क़रार दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि अंदरूनी–बाहरी के बीच विभाजन पैदा करने के लिए जानबूझकर सरकार ख़तरनाक चाल चल रही है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुकी 1840 के दशक से लेकर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्हें सैनिक के रूप में जबरन सेना में भर्ती करने के विरुद्ध ख़िलाफ़ 1917–19 के दौरान होने वाले एंग्लो–कुकी युद्ध तक अंग्रेजों के ख़िलाफ़ बहादुरी से लड़ी गई लड़ाई के लिए जाने जाते हैं। उनमें से कई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फ़ौज का भी हिस्सा थे।

कई हिस्सों में पूजा स्थल, घर, दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान जलकर ख़ाक हो गए हैं या नष्ट हो गए हैं। पाँच घाटी ज़िलों और चुराचांदपुर, तेंगनौपाल, कांगोकपी आदि जैसे कुछ पहाड़ी ज़िलों में संपत्तियों, चर्चों और मंदिरों में तोड़फोड़, आगज़नी और हमले हुए हैं। मणिपुर ट्राइबल फ़ोरम, दिल्ली (MTFD) के अनुसार 230 से अधिक चर्च (एक रिपोर्ट के मुताबिक 357 चर्च या चर्च से जुड़ी संपत्तियों) को या तो पूरी तरह से जला दिया गया है या आंशिक रूप से नष्ट कर दिया गया है। इनमें से 200 से अधिक को केवल दो दिनों में नुक़सान पहुँचाया गया। मारे गए लोगों में से अधिकतर आदिवासी कुकी या जोस हैं, जो ईसाई हैं। ऐसी ख़बरें भी मिली हैं कि मैतेई, जो हिंदू हैं या सनमाही धर्म के अनुयायी हैं, उनके कुछ पवित्र स्थलों को भी नष्ट किया गया है।

जितनी संख्या में कुकियों की जानें गईं और उनकी संपत्तियों, गाँवों, घरों तथा चर्चों को नुक़सान पहुँचाया गया वह मैतेइयों की मौतों, उनकी संपत्तियों, गाँवों, घरों तथा मंदिरों को होने वाले नुक़सान से कहीं अधिक है। क़रीब एक हज़ार लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। मरीज़ों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने और एंबुलेंस जलाने की ख़बरें आई हैं। सभी समुदायों के कुल मिलाकर 5000 से अधिक तथा 200 से अधिक गाँव नष्ट हो गए। सेना, अर्धसैनिक बल–सीआरपीएफ़ और बीएसएफ़, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफ़ल्स आदि के 40,000 से अधिक जवानों की तैनाती के बावजूद हिंसा पूरी तरह से नहीं रुक पाई है। अभी भी दूर–दराज़ के गाँवों पर हमले जारी हैं और गोलीबारी की ख़बरें आ रही हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिंसा के दौरान कड़ी सुरक्षा वाले क्षेत्रों में कुछ मंत्रियों और विधायकों के आवास भी पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। ऐसे में जनता किस हाल में होगी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है।

जब राज्य के लोग इतने संकट में हैं, तो ऐसी ख़बरें भी आ रही हैं कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, ख़ासकर असम राइफ़ल्स और राज्य बलों के बीच मतभेद पैदा हो गए हैं। राज्य में अनुच्छेद 355 लागू करने को लेकर काफ़ी समय तक भ्रम की स्थिति बनी रही; जबकि राज्यपाल ने इसकी घोषणा की पुष्टि की, मणिपुर सरकार के राज्य सुरक्षा सलाहकार ने इसका खंडन किया, हालाँकि अब अनुच्छेद 355 लागू है।

कुकी और मैतेई दोनों समूह विभिन्न आतंकवादी समूहों के क़ब्ज़े में रखे गए अत्याधुनिक हथियारों और गोला–बारूद से लैस हैं, जिन्होंने सस्पेंशन ऑफ़ ऑपरेशन (एसओओ) समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, कईयों के पास राज्य पुलिस और सशस्त्र बलों से छीने गए हथियार और गोला–बारूद भी हैं। रिपोर्टों के अनुसार जब 3 मई 2023 को पहली बार हिंसा भड़की तो 1,600 हथियार लूटे गए, जो कि बहुत चिंताजनक स्थिति है, और अमित शाह की देर से होने वाली मणिपुर यात्रा से ठीक पहले 27 और 28 मई 2023 को 2,557 हथियार लूटे जाने की सूचना मिली। कथित तौर पर उनमें से लगभग सभी हथियारों की लूट मैतेई प्रभुत्व वाली घाटी के पुलिस शिविरों और शस्त्रागारों से हुई। अत्याधुनिक हथियारों के अलावा असॉल्ट राइफ़लें, ग्रेनेड और मोर्टार बम भी लूट लिए गए। यह भी आरोप है कि अधिकांश हथियार उसी समुदाय के समूहों को दे दिए गए, जो पुलिस शिविरों में तैनात थे। कुछ मामलों में, भारी भीड़ द्वारा पुलिस शिविरों को घेरने के बाद हथियार छीन लिए गए।

मणिपुर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पद से पी डोंगेल को हटाए जाने से इस बात को बल मिला कि सरकार का परोक्ष या प्रत्यक्ष समर्थन मैतेइयों को है क्यों पी डोंगल का संबंध कुकी समुदाय से है। कुकी और मेतेई दोनों पक्षों की ओर से आरोप लगाए

जा रहे हैं कि राज्य बल नागरिकों के जीवन और संपत्तियों की रक्षा करने के अपने कर्तव्य में विफल रहे हैं और केंद्रीय बलों की ओर से बड़े पैमाने पर निष्क्रियता दिखाई गई है। ज़ाहिर है, निहित राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए मणिपुर में गृह–युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी गई है। लेफ़्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एल निशिकांत सिंह ने एक ट्वीट में ज़मीनी स्थिति को उजागर किया, "मैं मणिपुर का एक साधारण भारतीय हूँ, सेवानिवृत्त जीवन जी रहा हूँ। राज्य अब 'राज्यविहीन' है। लीबिया, लेबनान, नाइजीरिया, सीरिया आदि की तरह जीवन और संपत्ति को कोई भी कभी भी नष्ट कर सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। क्या कोई सुन रहा है?"

कॉरपोरेट मीडिया प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की विफलता को छुपाने के लिए पक्षपातपूर्ण तरीक़े से चुनिंदा रिपोर्टिंग कर रहा है। इसलिए ज़मीनी हक़ीक़त और पीड़ा तब भी सुर्खियाँ नहीं बन रही हैं, जबकि हज़ारों लोग अपने घर से बेघर रहे हैं और इस हिंसा का शिकार बन रहे हैं, राज्य और केंद्र सरकार दोनों, तथाकथित 'डबल इंजन सरकार', जिसे नियंत्रण में लाने में विफल रही हैं। इंटरनेट बाधित हो गया है और ज़मीनी हक़ीक़त के साथ–साथ संकट की भयावहता भी सामने नहीं आ रही है। इंटरनेट बाधित होने और सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखे जाने के कारण, व्यक्ति और संगठन मणिपुर में बड़े पैमाने पर हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों के बारे में बाहरी सहायता समूहों और जनता तक जानकारी पहुँचाने में असमर्थ हैं। सत्तारूढ़ सरकार और अधिकारियों के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और मनमानी के कारण लोग असहाय हैं। वृद्धों, बीमारों, विकलांगों, बच्चों और महिलाओं जैसे कमज़ोर समूहों की स्थिति बेहद अनिश्चित बताई जा रही है। पोषण, दवा और चिकित्सा सहायता की कमी के कारण बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएँ, बीमार और वृद्ध पीड़ित हैं।

यह हमारा कर्तव्य है कि हम मणिपुर के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए मदद के लिए हाथ बढ़ाएँ। हम ऐसी स्थिति की अनुमति नहीं दे सकते जहाँ बहुमूल्य ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएँ। मणिपुर के लोगों को हमारे साथ और समर्थन की ज़रूरत है। मणिपुर के लिए खड़ा होना हमारे संघीय मूल्यों, धर्मनिरपेक्ष लोकाचार और हमारे संविधान और लोकतंत्र की ख़ातिर खड़ा होना है। केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें क्षेत्र की एकता और अखंडता से समझौता कर रही हैं और उन्हें तुरंत अपनी ध्रुवीकरण वाली 'फूट डालो और राज करो' की रणनीति से बाज़ आना चाहिए। लम्बे समय से जारी कर्फ़्यू और इंटरनेट प्रतिबंध को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, सभी लोगों के लिए मुफ़्त राशन की व्यवस्था की जानी चाहिए, पर्याप्त दवाएँ और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा नष्ट हुए घरों और प्रतिष्ठानों का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। उन सभी विस्थापितों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए तेज़ी से प्रयास शुरू किए जाने चाहिए। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके लिए 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की घोषणा की जानी चाहिए।

संघर्ष क्षेत्रों को विसैन्यीकृत करने और शांति स्थापित करने के लिए क़दम उठाए जाने चाहिए। अब तक लूटे गए हथियारों और गोला–बारूद का 20 प्रतिशत से भी कम बरामद किया जा सका है। निजी सेनाओं के साथ–साथ कुकी उग्रवादियों सहित दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाली हिंसक भीड़ से सख़्ती से निपटा जाना चाहिए, भारत सरकार और मणिपुर राज्य के साथ कुकी उग्रवादियों द्वारा हस्ताक्षरित ऑपरेशन निलंबन समझौते के ज़मीनी नियमों का सभी को पालन करना चाहिए। दुर्भाग्य से, केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें नागरिकता की राष्ट्रीय रजिस्ट्री (छत्ब्) की बात कर रही हैं और बायोमेट्रिक और आईरिस इंप्रेशन के माध्यम से म्यांमार से आए 'अवैध अप्रवासियों' की पहचान करने की आवश्यकता पर ज़ोर दे रही हैं। यह असम की तरह मिजोरम जैसे पड़ोसी राज्यों के अलावा बांग्लादेश और म्यांमार में फैले कुकियों के और अधिक उत्पीड़न और बहिष्कार का एक नुस्ख़ा हो सकता है। गृह मंत्री ने शांति स्थापित करने के लिए 15 दिन का समय माँगा था लोकिन महीनों बाद भी शांति के आसार दिखाई नहीं दे रहे। जब मणिपुर की बात आती है तो प्रधानमंत्री के मुँह पर ताला लग जाता है, उनके मन की बात या किसी भी सार्वजनिक भाषण में मणिपुर का उल्लेख नहीं होता है।

संगठनों, नागरिक समाज समूहों के प्रतिनिधियों सहित एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को राज्य का दौरा करना चाहिए और तथ्यों का पता लगाना चाहिए, साथ ही सामान्य स्थिति की बहाली की निगरानी करनी चाहिए। हिंसा के अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक न्यायिक जाँच होनी चाहिए और दोषियों को ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई भी शुरू की जानी चाहिए।

व्यक्तिगत तौर पर मणिपुर के साथ मेरा लम्बा जुड़ाव रहा है, मैतेई, नागा और कुकी जैसे विभिन्न समुदायों के मेरे मित्र और छात्र रहे हैं। कई लोगों को अपना घर और अपनी संपत्ति खोनी पड़ी है और हर दिन भय और असुरक्षा की भावना में बीत रहा है। मुझे उम्मीद है कि जल्द–से–जल्द शांति और सद्भाव वापस आएगा और सभी एकजुट होकर यह सुनिश्चित करेंगे कि मानवता के ख़िलाफ़ अपराध करने वालों को, चाहे उनकी पहचान कुछ भी हो, क़ानून के सामने लाया जाए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भेड़ के भेष में भेड़िये को बेनक़ाब किया जाना चाहिए, उन्हें अलग–थलग और पराजित किया जाना चाहिए जिनकी ध्रुवीकरण की राजनीति तथा बाँटो और राज करो की नीति ने राज्य को इस स्थिति में पहुँचा दिया है। भाजपा–आरएसएस की 'डबल इंजन' सरकार ने भारत के अन्य जगहों की तरह मणिपुर में भी केवल कलह, मौत और विनाश का बीजारोपण किया है। एकता, अखंडता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के लिए लाल झंडा लहराना हमारी अनिवार्यता है। □

कार्पोरेट के फायदे के लिए किसानों को लाभकारी मूल्य देने से इंकार

– अखिल भारतीय किसान सभा

भाजपा के नेतृत्ववाली केंद्र सरकार ने यह दावा करते हुए वर्ष 2023–24 के खरीफ सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा कर दी है कि "यह कदम उत्पादकों के लिए उनकी फसल के लाभकारी दाम सुनिश्चित करने और फसल विविधता को प्रोत्साहन देने के लिए उठाया गया है।"

जो एमएसपी घोषित की गयी है, वह न तो उचित है और न ही लाभकारी। उल्टे यह किसानों की उम्मीद को तोड़ती है और उनकी आय को भारी नुकसान पंहुचाती है। फसल विविधता की बात तो छोड़ दीजिए, यह तो

में निवेश करने से ही किसानों हतोत्साहित करती है। यह किसानों की आय को दुगना करने, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था, की बजाय अनुचित एमएसपी और उसके साथ फसलों की बढ़ती लागत के साथ किसानों के बड़े हिस्सों को और खासतौर से छोटे, सीमांत तथा मध्यम दर्जे के किसानों और साथ ही साथ बंटाईदारों को ऋणग्रस्तता में धकेल देगी।

एक बार फिर जो एमएसपी घोषित की गयी है, वह निरंतर नौंवे वर्ष नरेंद्र मोदी का अपने उस वादे के साथ विश्वासघात है कि एमएसपी स्वामीनाथन आयोग की सी2+50 फीसद अर्थात कुल उत्पादन लागत से कम से कम 50 फीसद ज्यादा देने की सिफारिश के अनुसार तय की जाएगी।

धान के लिए एमएसपी पिछले सीजन की 2,040 रू0 प्रति क्विंटल के मुकाबले 2,183 रू0 प्रति क्विंटल तय की गयी है, जो मात्र 7 फीसद ज्यादा है। मोटे अनाज के लिए एमएसीपी में 6.3 फीसद से 7.8 फीसद तक की बढ़ोतरी की गयी है जिसमें बाजरा के लिए वर्ष 2022–23 के सीजन के लिए तय की गयी 2,350 रू0 प्रति क्विंटल एमएसीपी के मुकाबले इस सीजन के लिए 2,500 रू0 प्रति क्विंटल एमएसपी तय की गयी है। मक्का के लिए एमएसपी पिछले वर्ष की 1,962 रू0 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,090 रू0 प्रति क्विंटल तय की गयी है, जो 6.5 फीसद ज्यादा है।

तूर (अरहर) और उड़द के लिए एमएसपी ने 6 फीसद तथा 5.3 फीसद की बढ़ोतरी की गयी है अर्थात तूर के लिए एमएसपी में 400 रू0 की बढ़ोतरी कर उसे 7,000 रू0 प्रति क्विंटल और उड़द के लिए एमएसपी में 350 रू0 की बढ़ोतरी कर उसे 6,950 रू0 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। कपास के लिए एमएसपी में 8.9 फीसद की बढ़ोतरी की गयी है अर्थात मध्यम दर्जे के रेशोवाले कपास के लिए 540 रू0 बढ़ाकर उसे 6,620 प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

सूरजमुखी के लिए एमएसपी में 5.6 फीसद की बढ़ोतरी की गयी है अर्थात 360 रू0 की बढ़ोतरी कर उसे 6,760 प्रति

क्विंटल कर दिया गया है। मूंग के लिए एमएसपी में 2022–23 के मुकाबले 10.4 फीसद की बढ़ोतरी की गयी और तिल के लिए एमएसपी में पिछले वर्श के मुकाबले 10.3 फीसद की बढ़ोतरी की गयी है, जबकि मूंगफली के लिए एमएसपी में पिछले वर्श के मुकाबले 9 फीसद की बढ़ोतरी की गयी है।

ज्यादातर फसलों के लिए बढ़ोतरी इसी रेंज में की गयी है और क्योंकि लागत प्रोजेक्शन उत्पादन के लागत के वर्ष 2019–20 से लेकर वर्श 2021–22 तक के अनुमानों पर आध ाारित है, इसलिए एमएसीपी वर्ष 2021–22 से वर्ष 2023–24 तक हुयी लागत बढ़ोतरी की भरपायी करने में विफल है।

भाजपा सरकार ने बड़ी आसानी से गोलपोस्ट (लक्ष्य) बदलकर सी2 लागत–जिसमें कृषि की कुल लागत को मापा जाता है–से बदलकर ए2+एफएल–जिसमें मिल्कियतवाली जमीन के किराया मूल्य तथा तय पूंजी पर ब्याज को षामिल नहीं किया जाता–लागत कर दिया है। इसके अलावा ए2+ एफएल फार्मूला के अनुसार गणना की गयी कीमतों में भी छल है। कमीशन ऑफ एग्रील्चरल कोस्ट्स एंड प्राइसेज (सीएसीपी) अलग–अलग राज्यों के लागत अनुमान कम करके रखता है और एमएसपी तय करते हुए इन कम लागतवाले अनुमानों के अखिल भारतीय औसत का इस्तेमाल करता है।

सीएसीपी का दस्तावेज "प्राइस पॉलिसी फॉर खरीफ क्रॉप्स, द मार्केटिंग सीजन 2023–24" यह स्वीकार करता है कि आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, महाराश्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना तथा पश्चिम बंगाल द्वारा धान के लिए उत्पादन लागत के अनुमान सीएसीपी के प्रोजेक्शनों से कहीं ज्यादा है। सीएसीपी द्वारा किए जानेवाले रूटीन प्रोजेक्शन खेती में काम आनेवाली चीजों की बढ़ती कीमतों या महंगाई को गिनती में नहीं लेते हैं। केंद्र, भाजपा द्वारा षासित राज्यों की सिफारिशों तक पर विचार करने की जहमत नहीं उठाता।

धान के लिए केरल राज्य कृषि विभाग ने सी2 लागत 2,847 रू0 प्रति क्विंटल प्रोजेक्ट की थी, वहीं सीएसीपी का प्रोजेक्शन सिर्फ 2,338 रू0 प्रति क्विंटल था। पंजाब में राज्य सरकार का धान के लिए सी2 लागत का प्रोजेक्शन 2089 रू0 प्रति क्विंटल था, जबकि सीएसीपी ने इसके लिए सिर्फ रू0 1462 प्रति क्विंटल ही प्रोजेक्ट किया। ज्यादातर फसलों के राज्यों के प्रोजेक्शन सीएसीपी के प्रोजेक्शनों से बहुत ज्यादा थे।

इस बात को अच्छी तरह जानते हुए कि केरल में उत्पादन लागतें बहुत ज्यादा हैं और केंद्रीय स्तर पर तय की गयी एमएसपी उन लागतों की भरपाई नहीं कर पाएगी, इसलिए एलडीएफ सरकार धान के लिए करीब 800 रू0 प्रति क्विंटल बोनस देती है और उसे 2,850 रू0 प्रति क्विंटल की दर पर खरीदती है। भाजपा सरकार राज्यों द्वारा की जानेवाली ऐसी पहलों को यह दावा करते हुए हतोत्साहित करती है कि यह बाजार का विकृतिकरण है।

अगर सीएसीपी की सी2 लागतों (1911 रू0 प्रति क्विंटल) की गणना को देखें और धान की एमएसपी गणना करने के लिए सी2+50 फीसद फार्मूला को लागू करें तो यह 2,866 रू0 प्रति क्विंटल होना चाहिए, जबकि घोषित एमएसपी सिर्फ 2,183 रू. प्रति क्विंटल है। अगर राज्य कृषि विभागों द्वारा मुहैया करायी जानेवाली औसत सी2 लागत (2,139 प्रति क्विंटल) को हिसाब में रखा जाए तो सी2+50 फीसद 3,208.5 रू0 प्रति क्विंटल होगा। इन दोनों ही मामलों में घोशित एमएसपी बहुत कम है और किसानों को क्रमशः 683. 5 रू0 प्रति क्विंटल और 1,025.5 रू0 प्रति क्विंटल का घाटा उठाना पड़ेगा।

अगर आधंप्रदेश के एक किसान का प्रति हैक्टेयर उत्पादन 6 टन है तो उसे इन लागतों पर क्रमशः 41,010 रू0 प्रति हैक्टेयर और 61,530 रू0 प्रति हैक्टेयर घाटा उठाना पड़ेगा। (क्योंकि आंध्र प्रदेश में 22 लाख हैक्टेयर से ज्यादा जमीन पर धान की खेती होती है, इसलिए) यह घाटा राज्य के किसानों के लिए प्रति सीजन 9,020 करोड़ रू0 से 13,540 करोड़ रू0 बैठेगा।

कपास के मामले में तेलंगाना में राज्य का सी2 प्रोजेक्शन 11,031 रू0 प्रति क्विंटल था, जबकि सीएसीपी का प्रोजेक्शन बेहद कम 6,264 प्रति क्विंटल था जो प्रति क्विंटल 4,767 रू0 कम था। अगर हम कपास के लिए एमएसपी (6,620 रू0 प्रति क्विंटल) और सी2 का सीएसीपी का प्रोजेक्शन (5,786 रू0 प्रति क्विंटल) देखें तो सी2+50 फीसद पर कीमत 8679 रू0 प्रति क्विंटल होती। इस तरह किसानों को प्रति क्विंटल 2,059 रू0 का घाटा है। अगर हम यह मान कर चलते हैं कि प्रति हैक्टेयर औसत 15 क्विंटल उत्पादन होगा तो इस हिसाब से घाटा 30,885 रू0 प्रति हैक्टेयर बैठेगा।

सी2+50 फार्मूले से राज्य की गणना के अनुसार मूल्य 16,547 रू0 प्रति क्विंटल होना चाहिए अर्थात घोशित एमएसपी से 9,927 रू0 प्रति क्विटल ज्यादा। इसका अर्थ यह है कि किसान को प्रति हैक्टेयर 1,48,905 रू0 घाटा हो रहा है।

इसे देखते हुए अगर राज्य में करीब 19 लाख हैक्टेयर में कपास की खेती होती है तो केंद्रीय स्तर पर घोशित एमएसपी तथा राज्य द्वारा प्रस्तावित एमएसपी से होनेवाला घाटा क्रमशः 5868 करोड़ रू0 और 28,291 करोड़ रू0 के बीच कहीं बैठेगा। इससे कल्पना की जा सकती है कि एक किसान को कितना ज्यादा हतोत्साहित किया जाता है और कपास पट्टी में किसानों की आत्महत्याएं क्यों बढ़ रही हैं।

अरहर/तूर के लिए कर्नाटक ने सी2 लागत 9,588 रू0 प्रति क्विंटल प्रोजेक्ट की थी, जबकि सीएसीपी का प्रोजेक्शन सिर्फ 5,744 रू0 प्रति क्विंटल था अर्थात 3844 रू0 प्रति क्विंटल कम। सीएसीपी द्वारा प्रोजेक्ट की गयी सी2 दरों पर अरहर, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, तिल, निगरसीड तथा कपास के मामले में घाटा करीब 2,000 रू0 प्रति क्विंटल और यहां तक कि इससे भी ज्यादा 3,000 रू0 प्रति क्विंटल तक बैठेगा। यहां तक कि जो एमएसपी तय की गयी है वह भी सुनिश्चित खरीद के अभाव में किसानों को नहीं मिलनेवाली।

कोई भी आसानी से यह अनुमान लगा सकता है कि किसानों को होनेवाला नुकसान हजारों करोड़ रू0 का होता है। अपने दरबारी कार्पोरेट घरानों के हित में कपास और साथ ही साथ दलहन तथा तिलहन के मामले में लागू की जानेवाली त्रुटिपूर्ण व्यापार नीति और षून्य षुल्क पर उनके आयात ने किसानों को और ज्यादा संकट में धकेल दिया है।

किसानों को पहले तो लागतों का अनुमान इतने कम स्तर, जो वास्तविक जमीन सच्चाई से बहुत ही कम होता है, पर लगाकर ठगा जाता है। राज्यों में किसानों को ऊंची उत्पादन लागत के साथ दूसरी बार तब ठगा जाता है, जब औसत लागत, उनकी वास्तविक लागतों के कम रखी जाती है। तीसरी बार किसान को तब ठगा जाता है जब यह एमएसपी ज्यादातर काल्पनिक ही होकर रह जाती है या फिर कागज पर ही रह जाती है क्योंकि ज्यादातर मामलों में तयषुदा खरीददारी है ही नहीं।

वर्श 2021–22 में खरीददारी कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप मे अरहर/तूर के मामले में 1.14 फीसद, मूंग के मामले में 5.07 फीसद, उड़द के मामले में 0.21 फीसद, मूंगफली के मामले में 2.05 फीसद और सोयाबीन के मामले में षून्य फीसद थी। 28 फरवरी 2023 को रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022–23 में अरहर/तूर, उड़द तथा सोयाबीन के मामले में यह खरीददारी षून्य फीसद और मूंग के मामले में 6.39 फीसद रही। किसान अपनी फसलों के

लिए कम तथा अनुचित कीमतों और नियंत्रणमुक्ति–जिसके चलते कार्पोरेट कंपनियों को बिना किसी सरकारी नियंत्रण के कीमतें तय करने की खुली छूट मिल गयी है, के चलते बढ़ती लागतों के दो पाटों के बीच पिस रहा है।

अक्सर जो छल किया जाता है, वह यह होता है कि एमएसपी बढ़ाकर उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ा दी जाती है, लेकिन किसानों और उपभोक्ताओं की कीमत पर होनेवाली मुनाफाखोरी को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। निस्संदेह बेहतर अर्थशास्त्रीय प्रैक्टिसों–वहनीय कीमतों और सब्सीडी दरों पर ज्यादा पैदावार देनेवाली किस्मों और गुणवत्तापूर्ण इनपुटों को मुहैया कराकर उत्पादकता में बढ़ोतरी करने की जरूरत है। वैज्ञानिक विकास को किसानों तक ले जाने के लिए एक्सटेंशन सेवाओं को मजबूत करने के साथ वैज्ञानिक कृषि अर्थशास्त्रीय प्रैक्टिसों का प्रसार भी आवश्यक है।

बहरहाल, यह नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की प्राथमिकता नहीं है। किसानों को नुकसान पंहुचाकर उन्हें जानबूझकर ऋणग्रस्तता में धकेलना, उनका दरिद्रीकरण करना और उन्हें उनकी जमीनों से उखाड़ना वह दिशा है, जिस दिशा में भाजपा सरकार आगे बढ़ रही है। इससे कार्पोरेट कंपनियों द्वारा ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बटोरने और अपनी तिजोरियां भरने का उनका मकसद भी पूरा होता है। पहले बनाए गए तीन कृषि कानून और फिर बिजली कानून में संशोधन सब खेती से किसानों को बाहर करने के खेल का ही हिस्सा हैं। यही है वह संदर्भ जिसमें तयशुदा खरीद के साथ एमएसपी की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त संघर्ष प्रासंगिक है और जिसे तेज किए जाने की जरूरत है। □

नूंह की सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ उभरते एकता के स्वर

– इंद्रजीत सिंह

31 जुलाई का ऐतिहासिक दिन शहीद उधमसिंह का शहीदी दिवस होता है। उधम सिंह जी को साम्राज्यवाद विरोध के प्रतीक के अलावा धर्मनिरपेक्षता के आदर्श के रूप में भी जाना जाता है । आप जानते हैं कि उस क्रांतिकारी नौजवान ने गिरफ्तारी के बाद अदालत में अपना नाम 'राम मोहम्मद सिंह आजाद' सोच समझ कर ही लिखवाया था। इस दिन देश भर में उन्हें श्रद्धांजलियां अर्पित की जा रही थी और 31जुलाई के दिन को ही विश्व हिन्दू परिषद व बजरंग दल ने मेवात में सांप्रदायिक हिंसा के कांड को करवाने के लिए चुना। कैसी विडम्बना है।

इस दिन हरियाणा के नूंह कस्बे में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। योजनाबद्ध ढंग से इस हिंसा को साथ लगते गुड़गांव, तावडू , बादशाहपुर ,पलवल आदि स्थानों में भी फैला दिया गया। इसमें 6 लोगों की जान चली गई, सैंकड़ों घायल हो गए और बहुत बड़े पैमाने पर वाहन और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। बजरंग दल के उन्मादी गिरोह ने शाम को गुड़गांव की अंजुमन मस्जिद में आग लगा दी और युवा नायब इमाम की हत्या कर दी।

हाल की हिंसा के लिए जिस "धार्मिक शोभा यात्रा" पर हमला हुआ बताया जा रहा है वह कोई आक्समिक घटना नहीं है। यह धर्म की आड़ लेकर विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल का प्रायोजित कार्यक्रम था जिसे भाजपा सरकार का आशीर्वाद प्राप्त था। इसमें धर्म जैसा कुछ नहीं था अलबत्ता यात्रा की गाड़ियों में बड़ी मात्रा में तलवार व बंदूकें आदि हथियार जरूर थे।

अफसोस है कि पहले राऊंड में जहाँ तक हिंसा की शुरुआत करने का सवाल है उसमें सांप्रदायिक ताकतें सफल रही। परंतु उसके बाद हरियाणा के अन्य स्थानों पर मुस्लिम विरोधी नफ़रत से हिंसा फ़ैलाने की कोशिशों में अब तक खट्टर सरकार को सफलता नहीं मिली है। रोहतक के एक कम्यूनिटी सैंटर में 18 अगस्त के लिए निर्धारित ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभा को विश्व हिन्दू परिषद के लोगों ने बलपूर्वक रोक दिया। हर जगह ये लोग अपनी गतिविधियों को जारी रखे हुए हैं।

दंगों को सीमित करने में किसान आन्दोलन की भूमिका

इसमें संदेह नहीं कि भाजपा को उसकी इच्छा के अनुसार दंगे भड़काने के प्रोजेक्ट में हरियाणा के लोगों की ओर से वैसा समर्थन उसे नहीं मिला जिसकी वो अपेक्षा करते थे। इस सकारात्मक स्थिति के निर्मित होने में एक ओर मेवात में धर्मनिरपेक्षता की सामाजिक संरचना की शानदार रिवायत है तो दूसरी ओर 13 महीने चला ऐतिहासिक किसान आंदोलन जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के किसानों की अभूतपूर्व हिस्सेदारी से देश के किसानों की शानदार जीत हुई और इस आंदोलन की उर्जा से पैदा हुआ एकजुटता का जज़्बा जो अभी भी कायम है।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान के शाहजहांपुर बार्डर पर किसान पड़ाव को स्थापित करते हुए शुरू में हरियाणा के साथ लगते गाँव के भाजपा समर्थकों की ओर से हमला हुआ था और इसे उखाड़ने की जब कोशिश की गई तो मेवात के किसान उठकर आ गए और भाजपा के हमले को विफल करके किसान पड़ाव को न केवल मजबूत किया बल्कि उसमें मेवात कैंप स्थापित कर लिया।

हरियाणा के सभी किसान संगठनों, खापों और अनेक सामाजिक संगठनों ने 31जुलाई को नूंह में बाहर से जाकर भड़काई हिंसा की एक स्वर से निंदा की और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए अपील के विडियो जारी किए।

5 अगस्त को किसान सभा और सीटू पदाधिकारियों की टीम ने हिंसा प्रभावित नूंह का दौरा किया। इसमें इंद्रजीत सिंह, जय भगवान, विनोद और अख्तर हुसैन शामिल रहे।

नूंह की विशिष्टता

हरियाणा का नूंह ज़िला मेवात क्षेत्र का हिस्सा है जो साथ लगते राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। मेवात कृषि करने वालों का मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जो मुसलमान की बजाय मेव कहलाने में ज्यादा फ़ख्र समझते हैं। विकास के मामले में इस इलाके के साथ किया गया भेदभाव किसी से छिपा नहीं है। इस इलाके को देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में गिना जाता रहा है। सिंचाई के यहाँ अभी भी साधन नहीं है। शिक्षा में भी पिछड़ा हुआ है। यहाँ कोई युनिवर्सिटी नहीं है। बेरोजगारी यहाँ सभी जिलों से ज्यादा है।

इतिहास की दृष्टि से इस क्षेत्र की एक विशिष्ट भौगोलिक व सांस्कृतिक पहचान है। यहां के मुस्लिम 1947 के विभाजन के समय पाकिस्तान नहीं गए। इस इलाके में पाकिस्तान बनाने के लिए कोई मांग नहीं उठी। हिन्दू महासभा की ओर से यहां हिंसा भड़काने की सभी चेष्टा विफल हो गई थी । मेवों ने कहा यह हमारी सरज़मीं है । हमारे पूर्वजों ने इसे खून से सींचा है। हम कदाचित इससे दूर नहीं जा सकते।

मुस्लिम बहुल होने के कारण भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत पहले से ही इस इलाके को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की रणनीति में विशेष रूप से चिन्हित अपने निशाने पर लिया हुआ है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान व अन्य प्रदेशों में भी ऐसे स्थान और धार्मिक स्थल उनके रेडार पर रहते हैं जहां पर ये लोग जब भी चाहें दंगा करवा सकते हैं। सांप्रदायिक संगठनों के कार्यकर्ताओं को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें अफवाहों की आग सुलगा कर दंगे भड़काने को मुख्य स्थान दिया जाता है। लोग जिन तीज–त्योहारों को खुशी और सद्भावना के प्रतीक मानते हैं उनको भी संघी लोग बद–अमनी और परस्पर विद्वेष फ़ैलाने का सबसे बेहतर अवसर मानते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहते हुए जिन लोगों का मोहभंग हुआ उन लेखकों ने इस विषय पर इनकी असलियत उजागर करते हुए अतीत में ढेर सारी सामग्री प्रकाशित की है।?जहां तक मेवात का सवाल है वहां दंगे करवाने में सबसे बड़ा अवरोध है मेवों की सामाजिक– सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत। हाल के महीनों में हिंदुत्ववादी संगठनों ने हरियाणा में ऐसी कई मजारों को तोड़ा है जिनको हिंदू – मुस्लिम दोनों ही मानते आए हैं । यहां अतीत में कभी भी सांप्रदायिक तनाव इसलिए नहीं रहा क्योंकि अत्यंत विकट हालातों में यहां के हिंदू –मुस्लिम समुदायों ने मुग़ल व ब्रिटिश शासन की दमनकारी व अन्याय की नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध करने में यहां के दोनों समुदायों और खासकर किसानों की कुर्बानियों का शानदार इतिहास है। जाने माने स्वतंत्रता सेनानी व इतिहासकार डा.कुंवर मुहम्मद अशरफ, सैय्यद मुतलवी फरिदाबादी और चौधरी अब्दुल हई ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस क्षेत्र में अलवर की रियासत के खिलाफ किसानों को संगठित करके लंबी व जुझारू लड़ाइयाँ लड़ी। ये तीनों पहले कांग्रेस में थे और बाद में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। चौधरी यासीन खान का भी बड़ा नाम है जो कांग्रेसी रहे। इन लोगों ने आल इंडिया मेव पंचायत के तत्वावधान में किसानों के आंदोलन अलवर रियासत के खिलाफ संगठित किये। इसी संस्था के अंतर्गत पूरे मेवात में शिक्षा की मुहीम चलाई। डा.अशरफ और चौधरी अब्दुल हई ने मेवात के इतिहास पर महत्वपूर्ण शोध ग्रंथ भी लिखे। मरहूम प्रो. सूरजभान, डा. सद्दीक अहमद मेव व डा .सूरजभान भारद्वाज जैसे विद्वान भी मेवात के इतिहास पर अभी भी निरंतर लिखते रहे हैं।

नफरत भड़काने की शरारतें

स्वाभाविक है कि 6 महीने पहले राजस्थान वाले मेवात के घाटमीका गांव की जघन्य घटना से उपजा आक्रोश आज भी मेवात में बहुत गहरा है। गौरतलब है कि15 फरवरी को दो युवकों जुनैद और नासिर का कथित गौरक्षकों द्वारा अपहरण किया गया था। उन्हें पीट पीट कर अधमरी हालत में नूंह ज़िला के फिरोजपुर झिरका थाना में लाया गया। पुलिस द्वारा उन्हें रखने से इंकार करने के बाद भिवानी जिला के लोहारू के पास उन्हीं की बोलेरो गाड़ी में बांध कर दोनों को जिंदा जलाने का जो जघन्य कृत्य किया गया उसकी देश भर में निंदा हुई थी। इसमें कथित गौरक्षकों के कुख्यात सरगना मोनू मानेसर का नाम था। ये वो सख्स है जिसके पास अतिआधुनिक हथियार हैं जिन्हें वह सरेआम प्रदर्शित करता रहता है। इसने गुड़गांव से लगते मानेसर इलाके में पिछले साल "महापंचायत" करके मुस्लिमों के बहिष्कार का फतवा जारी करवाया था कि कोई उनको दुकानों से सामान नहीं देगा । इस दहशत में किराए पर रहने वाले अनेक गरीब मुस्लिम प्रवासी मजदूरों को मानेसर छोड़ कर अपने गांव लौटने पर मजबूर होना पड़ा था। मोनू को आज तक हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस की गिरफ्तारी से बचाए रखा। उल्लेखनीय है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल के विवाद में मोनू मानेसर का शर्मनाक पक्ष लिया है। यही नहीं उन्होंने आज तक जुनैद व नासिर की जघन्य हत्या की निन्दा में एक शब्द भी नहीं बोला।

इस संदर्भ में 31 जुलाई वाली तथाकथित शोभा यात्रा की वास्तविकता समझनी भी जरूरी है । सावन के महीने में बृज क्षेत्र में "चौरासी कोस परिक्रमा" निकालने की पुरानी परंपरा है जो मेवात के विभिन्न गांव कस्बों से गुजरती हैं ।

ये परिक्रमा सामाजिक सद्भाव का सैंकड़ों सालों से प्रतीक है। मेव मुस्लिम भी जगह जगह इन यात्राओं का स्वागत करते रहे हैं। यात्रा में शामिल हिंदू श्रद्धालू मस्जिदों में भी रुकते हैं। फिरोजपुर झिरका में तो परिक्रमा के उपलक्ष्य में मेला भी लगता है जिसकी व्यवस्था मुस्लिम ही करते हैं। ये परिक्रमा आजकल भी चल रही हैं। मेवात क्षेत्र से कांवड़ यात्राएं निकलती हैं पर मेव मुस्लिमों की ओर से विरोध तो दूर इनका स्वागत ही होता है।

परंतु अब जो यात्रा विवाद का कारण बनी उस पर विहिप का कब्जा था और बिल्कुल बदले हुए रूप में इस यात्रा की आड़ में खेल रचा गया। इसके लिए हरियाणा के सभी जिलों और बाहर से भी बजरंग दल व विहिप के लोग बड़ी संख्या में गाड़ियों में भरकर लाए गए। यात्रा की गाड़ियों में बंदूकें और तलवारें क्यों लहराई जा रही थी यह सवाल अनेक लोग पूछ रहे हैं ? यात्रा से पहले मोनू मानेसर और कोई बिट्टू बजरंगी ने समुदाय विशेष का नाम लेकर बहुत ही अपमानजनक व आपत्तिजनक भाषा के विडियो दो दिन तक वायरल करके चेतावनी दी कि हम आ रहे हैं। इस स्थिति में नूंह के विधायक और अन्य गणमान्य लोगों ने जिला प्रशासन के समक्ष हिंसा की गंभीर आशंका प्रकट की। उनकी बात को अनसुना करके इस यात्रा को प्रशासन द्वारा अनुमति दी गई।

लंबे समय से भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीसियों संगठनों ने इस इलाके के चारों ओर कथित गौरक्षकों के अनेक गिरोह संगठित किये हैं जो पुलिस के साथ मिलकर पशुपालकों पर हिंसक हमले करने और पैसे ऐंठने के लिए कुख्यात हैं। गौकशी का प्रचार करके यहां लगातार मेव पशुपालकों पर किये गए हमलों से ज्यादातर लोग परिचित हैं। इसकी एक निश्चित पृष्ठभूमि है जिसको समझना जरूरी है। हाल के वर्षों में नूंह ज़िला के पशूपालक किसानों पहलू खान, रकबर खान और वारिश की हत्याएं की गई। लेकिन किसी को भी सजा नहीं दी गई । संघी लोग मेवात की छवि धूमिल करने और मेव मुस्लिमों का दानवीकरण करके इसको बाकी जगह के हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने के स्त्रोत के रूप में देखते हैं।

सरकार की बेशर्मी

इस संदर्भ में मुख्यमंत्री का बयान कितना हास्यास्पद है कि 31 जुलाई की हिंसा एक "सुनियोजित षडयंत्र" था। उनकी पार्टी और सरकार पर विपक्ष ने भी तो ठीक यही आरोप लगाए हैं। उन्हें ये भी तो बताना चाहिए कि यह किसका सुनियोजित षडयंत्र था। गृहमंत्री कह रहे हैं कि उनके पास खुफिया विभाग की जानकारी नहीं थी कि हिंसा हो सकती है। गृहमंत्री ने यह भी कह डाला कि मंदिर में हजारों हिन्दुओं को बंधक बनाया हुआ है। यही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि आवश्यकता हुई तो उनको "एयर लिफ्ट" करवाना पड़ सकता है। स्वयं मंदिर के पुजारी ने बताया कि बंधक जैसी कुछ भी बात नहीं थी । कहा जाता है कि अफवाह नहीं फैलनी चाहिएं। अब गृहमंत्री के इस आचरण को क्या कहा जाए ? चारों तरफ से घिरने के बाद अब तो गृह मंत्री अनिल विज ने बोलना ही बंद करके कह दिया कि जो कुछ बताएंगे वह स्वयं मुख्यमंत्री ही बताएंगे। इस प्रकार के व्यक्ति का गृह मंत्रालय का इंचार्ज रहते और खट्टर जैसे मुख्यमंत्री के रहते जो कुछ हो रहा है उसके अलावा और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है ?

बहरहाल सचाई तो सबके सामने है। यदि निष्पक्ष जांच हो तो पूरी सचाई को औपचारिक रूप से सामने लाना मुश्किल नहीं है। केंद्र में राज्य मंत्री व इसी क्षेत्र से भाजपा सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने गंभीर सवाल उठाए हैं जो मुख्यमंत्री के लिए न उगलते बन रहे और न निगलते। उन्होंने पूछा है कि शोभायात्रा में हथियार किस लिए ले जाए गए थे?

सरकार द्वार अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाना

31 जुलाई के बाद नूंह के गांवों में बेमियादी कर्फ्यू लगाकर बड़ी संख्या में युवाओं को पुलिस अंधाधुंध ढंग से पकड़ने में लग गई जो अभी तक जारी है। यदि मेव युवकों ने हिंसा में शिरकत की है तो उनको भी जरुर चिन्हित करके उनको कानून के अनुसार दंडित किया जाए। लेकिन निर्दोष को छेड़ा नहीं जाए और दोषी को छोड़ा नहीं जाए की नीति से ही सामान्य स्थिति हो पाएगी।

उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मुस्लिम समुदाय की सैंकड़ों दुकानों और मकानों को बुलडोजर से तोड़ने की मुहीम हाई कोर्ट के आदेश पर ही रुकी है। मेव युवाओं की अंधाधुंध धरपकड़ से गांव के अधिकतर युवा दूर दराज स्थानों पर छिपने को मजबूर हैं। अब यह भी प्रबल आशंका है कि ऐसी स्थिति के चलते सभी प्रकार की धार्मिक कट्टरता इस स्थिति का फायदा उठा सकती है। यदि हम अतीत में झांककर देखें तो ऐसी परिस्थितियों में ही उग्रवाद की प्रवृतियाँ पनपती हैं। एक तरह की कट्टरता दूसरी कट्टरता को पनपने का आधार प्रदान करती है।

यह नहीं भूलना चाहिए कि भाजपा का यह खेल केवल हरियाणा तक सीमित नहीं है। कुछ महीनों बाद राजस्थान विधानसभा और 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। भाजपा के पास उपलब्धी के नाम पर कुछ भी तो नहीं है जबकि चौतरफा विफलताओं की लंबी फेहरिस्त है। हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी के मामले में देश में सबसे ऊपर है। न्यूनतम समर्थन मूल्य व

अन्य सवालों को लेकर किसान आंदोलन फिर से उभर रहा है। लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इस क्षेत्र में किसान सभा के संगठन निर्माण की बहुत संभावनाएं हैं। लिंचिग की घटनाओं में किसान सभा ने हर बार हस्तक्षेप किये और पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद भी दी थी।

सकारात्मक संकेत

इस बीच कम से कम कुछ सकारात्मक संकेत तो जरूर हैं । हरियाणा में आम तौर पर इन हिंसक घटनाओं को अनेक लोग भाजपा की साज़िश बता रहे हैं और यह भी बोल रहे हैं कि चुनावी लाभ के लिए ये षडयंत्र रचे जा रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा व संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी करके इस हिंसा को सरकार का षडयंत्र बताया है। ट्रेड यूनियनों ने निंदा की है। 5 अगस्त को किसान सभा व सीटू की संयुक्त टीम ने नूंह का दौरा किया। इसमें इंद्रजीत सिंह, जयभगवान, विनोद और अख्तर हुसैन थे।

7 अगस्त को जींद में किसान सभा की पहलकदमी पर एक बड़ी सद्भावना मार्च निकाली गई जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी शामिल हुए। लगभग सभी जिलों में ऐसे मार्च निकाले गए। यहां पर विशेष रूप से 9 अगस्त को हिसार जिला के बास गांव में किसान संगठनों और खापों की ओर से आयोजित पंचायत का उल्लेख करना जरूरी है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 9 अगस्त का दिन कार्पोरेट भारत छोड़ो के रूप में मनाए जाने का आह्वान किया हुआ था। लेकिन मेवात की हिंसा के उपरांत आयोजकों ने इसे सद्भावना पंचायत का रूप देना जरूरी समझा। इस संबंध में पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव में परस्पर सद्भावना का जो संदेश उभर कर आया वह बहुत ही स्वागतयोग्य रहा। इस पंचायत की एक विशेषता यह थी कि इसमें मुस्लिम और सिख समुदाय की भी उल्लेखनीय शिरकत रही। मुस्लिम समुदाय का जत्था जब पंचायत में तशरीफ लाया तो उपस्थित लोगों ने तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। मुख्य रूप से इस पंचायत का आयोजन संयुक्त किसान मोर्चा के एक घटक राष्ट्रीय किसान मजदूर यूनियन द्वारा किया गया था। परंतु इसमें कई किसान संगठनों का नेतृत्व मौजूद था।

उपरोक्त पंचायत को संबोधित करते हुए किसान सभा के उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने मंच पर लगे चौधरी छोटूराम के चित्र को इंगित करके उनके भाषण का स्मरण कराया जिसमें वह कहते थे कि "किसान में जब चेतना आने लगती है तो हिन्दू महासभा और मुस्लिम लीग वाले फिरकापरस्ती रूपी क्लोरोफॉर्म में डूबा रूमाल उसकी नाक पर रख देते हैं और वह फिर से बेहोश हो जाता है"। इंद्रजीत सिंह ने हरियाणा की जनता और खासकर किसानों को सलाम किया कि उन्होंने भाजपा के क्लोरोफॉर्म वाले रूमाल को इस बार सूंघने से इंकार कर दिया।

पंचायत के समापन से पहले यूनियन के अध्यक्ष सुरेश कोथ ने जो प्रस्ताव पेश किये उनमें खड़े होकर यह अहद किया गया कि हम अपने आपसी भाईचारे को मजबूत करने के लिए किसी भी उकसावे में नहीं आएंगे। दूसरे प्रस्ताव में नूंह हिंसा भड़काने में मुख्य भूमिका करने वाले मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई।

ध्रुवीकरण का खतरे

भाजपा अब किसानों के विरोध को एक जाति विशेष का विरोध दिखाना चाहती है। हरियाणा में जातिवादी ध्रुवीकरण के खेल को भाजपा पिछले विधानसभा चुनाव में भी आजमा चुकी है। जाट–गैरजाट के आधार पर बंटवारा करने का खेल दोहराने के लिए मेवात हिंसा में भाजपा को दोषी ठहराने वालों को केवल एक ही जाति के बताया जा रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि सभी जिलों में नागरिकों के मंचों ने लोगों के बीच जाकर एकता व सद्भाव के लिए पहलकदमी की है। अब जनता को चाहिए कि सांप्रदायिक ताकतों को अलग–थलग करके भाजपा की साज़िशें को विफल करना सुनिश्चित करे।

सकारात्मक संकेतों के बावजूद धार्मिक व जातिवादी ध्रूवीकरण करवाने की भाजपा की क्षमता को कम करके आंकना ठीक नहीं होगा । नूंह की हिंसा के बाद कई शहर व कस्बों में विश्व हिन्दू परिषद व बजरंग दल ने आक्रामक जुलूस निकाल कर अल्पसंख्यकों को शहर छोड़कर जाने की सार्वजनिक धमकियाँ दी। आज जरूरत इस बात की है कि सांप्रदायिकता विरोधी तमाम ताकतों को अलग थलग किया जाए। विभिन्न संगठनों द्वारा सांझे प्लेटफार्म बनाए जाएं और आजीविका, लोकतांत्रिक अधिकार और अपनी एकता की सुरक्षा के लिए एकमुश्त अभियान चलाए जाएं।

इस समय भाजपा की डबल इंजन सरकार के खिलाफ बेरोजगारी ,महंगाई व आजीविका पर हमलों के खिलाफ जन असंतोष है। किसानों के आंदोलन भी चल रहे हैं।संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आगामी महीनों में कई महत्वपूर्ण आह्वान हैं। इनको सफल बनाते हुए कृषि संबंधी मुद्दों के साथ धर्मनिरपेक्षता और जनतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा के सवालों को जोड़ना जरुरी है।

मेवात क्षेत्र के विकास के लिए अनेक संगठन वहाँ लंबे समय से आवाज उठाते रहे हैं। उनके साथ एकता बनाकर कृषि, शिक्षा, रोजगार क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने का एजेंडा प्राथमिकता पर उठना जरुरी है। इसमें हरियाणा के साथ ही राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नेशनल कैपिटल क्षेत्र के किसान – मजदूरों और अन्य जनसंसंगठनों को मिलकर प्रयास करने होंगे। □

अभूतपूर्व बाढ़ की स्थिति : प्रभाव और कारण

–विशेष संवाददाता

तपती गर्मी के बाद मानसून (सावन) की झड़ी का सभी को बेताबी से इंतजार रहता है। किसान– मजदूर, शहर–देहात, बच्चे –बूढ़े और जीव जंतु बादलों के दीदार के लिए आसमान की ओर तरसती निगाहों से देखते रहते हैं। अखबार बताते हैं मानसून कहां तक पहुंची है और उत्तर भारत के प्रदेशों में कौनसी तारीख तक सावन की पहली सुहानी बारिश लाएगी। इस बार की मानसून समय से तो पहले ही आई परंतु राहत की बजाय आफत लेकर आ गई।

अभूतपूर्व बारिश ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि के बड़े क्षेत्रों को बर्बादी के मंजर में तब्दील कर दिया। हिमाचल के कुल्लू – मनाली जैसे मनोरम पहाड़ जहां से निकलने वाली नदियों का जल कितने ही लोगों की जीवन रेखा है वही जल भीषण प्रलय का रूप धारण कर गया।

नदियों की जीवन रेखा को अपने उफनते हुए रूद्र रूप में न केवल जन जीवन को बल्कि पहाड़ों को भी निगलने के रौंगटे खड़े कर देने वाले दृश्यों को टेलीविजन और सोशल मीडिया पर देखा। देखते ही देखते ये तबाही हिमाचल के बाद पंजाब, हरियाणा और अन्य क्षेत्रों के लोगों पर कहर बनती हुई आगे बढ़ गई।

कौन कर रहा प्रकृति से खिलवाड़ : कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि यदि इंसान प्रकृति से खिलवाड़ करेगा तो प्रकृति भी प्रतिशोध जरुर लेती है । ये एक ऐसा वाक्य है जिसमें आधा सच तो है पर बाकी का आधा चालाकी से छिपा लिया जाता है। प्रकृति से खिलवाड़ तो खूब हो रहा पर खिलवाड़ असल में इंसान नहीं कर रहा है बल्कि इंसान तो खुद प्रकृति का हिस्सा है और प्रकृति व जीव जंतुओं के बीच परस्पर निर्भरता का रिश्ता है। प्रकृति का निर्मम दोहन तो पूंजीवाद कर रहा है जिसके मुनाफे की हवश उसी प्रकृति को भी नष्ट करने के कगार तक चली जाने को अभिशप्त है जो प्रकृति जीवन की सिरजनहार होती है। आज के दौर में दुनिया में पूंजी की हवश का सरगना कार्पोरेट है जो साम्राज्यवाद की उसी महाशक्ति की बदौलत है जो प्रकृति और इंसान दोनों के दोहन पर फल– फूल रही है।

बहरहाल जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग पर दुनिया में बड़ा विवाद चल रहा है। इस विवाद का स्वरूप असल में है तो वर्गीय ही परंतु कार्पोरेट मिडिया वर्गीय स्वरूप को मुख्य धारा नहीं बनने दे रहा। पश्चिम के विकसित देश तापमान को बढ़ाने यानि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं परंतु भुगतभोगी विकासशील देश हैं। यह एक तरह का उत्तर दक्षिण विभाजन है।

हिमाचल में सर्वाधिक तबाही : फिलहाल चूंकि बड़ी मानव त्रासदी अपने सामने है इसलिए हाल की बाढ़ के तात्कालिक प्रभाव और सरकार की जिम्मेदारी पर चर्चा जरूरी है। इस बार सबसे ज्यादा हानि हिमाचल के लोगों को झेलनी पड़ रही है। जान माल, आवास, फसल , बागान, पशुधन का भारी नुक्सान हो चुका। आवास , होटल, दुकान,सड़क, पुल, गाड़ियां बह गए। भूस्खलन से तो पहाड़ों के हिस्से ही जगह छोड़ कर बिखरते दिखे। सैंकड़ों लोग बह गए। कुछों की तो लाश तक नहीं मिली। जो बस, ट्रक कार व अन्य गाड़ियां बह गई उनकी नंबर प्लेट लोगों ने इकठ्ठी करके सोशल मीडिया पर डाली हैं ताकि उनके मालिकों को पता चल जाए कि उनकी गाड़ियां जैसी भी हालत हों उन्हें मिल जाएं। तेज धारा में बहकर आगे चली गई कुछ गाड़ियों में लाशें भी मिली हैं।

पंजाब में सबसे ज्यादा नुक्सान पटियाला व अन्य कई जिलों में हुआ है। हरियाणा के अंबाला जिले में सबसे खराब स्थिति हुई। पटियाला से लगते कैथल जिले के गुहला –

चीका, फतेहाबाद, सिरसा आदि को घग्गर नदी ने डुबोया। करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद यमुना नदी के उफान की चपेट में आ गए। बाद हुई भारी बारिश ने रोहतक जिला के बीसियों गांवों की हजारों एकड़ फसल डुबो दी।

फसलें हुई चौपट : खुद सरकारी आंकड़ों के अनुसार केवल हरियाणा में साढ़े पांच लाख एकड़ से अधिक भूमि पर फसल, सब्जियां, बागबानी आदि नष्ट हो गई। मवेशी मरे हैं। डेढ़ हजार से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। कई हजार घर गिरे हैं या दरार पड़ गई। फतेहाबाद व सिरसा क्षेत्रों में ज्दातर किसान खेतों में घर बनाकर रहते हैं जिसे ढाणी बोलते हैं। खेत डूबने से उन्हें पशुओं सहित ढाणियां छोड़कर बाढ़ से बची रिश्तेरियों में जाना पड़ा है। ढाणियों में क्या नुक्सान होगा और ट्यूबवेल कितने बचेंगे यह तो पानी उतरने पर ही मालूम हो पाएगा।

खरीफ की मुख्य फसल धान है जिसकी रोपाई हो चुकी थी और किसान इसमें निवेश भी कर चुका था।दोबारा रोपाई तभी हो पाएगी यदि समय रहते पानी उतर जाए और पनीरी यानि नर्सरी कहीं से उपलब्ध हो सके। जहां जल्दी पानी नहीं उतरेगा वहां तो रबी की बिजाई भी खटाई में पड़ जाएगी। पशुओं के चारे का गहरा संकट पैदा हो चुका है। भूमिहीन पशुपालकों को यह भी दिक्कत आई है कि पानी आने से जंगल में भेड़ – बकरी व अन्य पशुओं को चराने की जगह भी नहीं रही।

भूमिहीन तबकों पर गहरी मार : भूमिहीन तबकों के मकान अक्सर गांव के बाहरी इलाके में होने के कारण पानी की चपेट में पहले आते हैं। उनको हर तरह की दिक्कतें अपेक्षाकृत ज्यादा आती हैं। फतेहाबाद के टाली ढाणी के लगभग सौ भूमिहीन परिवारों को शहर की अनाज मंडी के शेड के नीचे शरण लेनी पड़ी है। किसान सभा के पदाधिकारियों ने इनके पास जाकर जरूरतों की जब जानकारी ली। अभी तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी इनकी सुध लेने नहीं आया और न ही कोई राहत सामग्री भेजी गई।

समाज की पहलकदमी सराहनीय : सभी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों से यह सामने आया है कि बाढ से निपटने में लोगों ने खुद इकठ्ठे होकर सामूदायिक प्रयास किये हैं। पानी से क्षतिग्रस्त नदियों, नालों और पुलों की मुरम्मत लोगों ने खुद रातों रात जागकर की है।बाढ़ की रोकथाम के लिए प्रशासन की ओर से कोई तैयारी नहीं की गई जो वैधानिक तौर पर की जानी अनिवार्य होती है। नहरों, ड्रेनों व नालों की सफाई नहीं की गई। उनके किनारों को मजबूत नहीं किया गया।

ड्रेनों के पानी को नहरों व रजबाहों में डालकर कम किया जा सकता था जो कि परस्पर क्रास भी करती हैं। इसका विकल्प था पर प्रावधान के बारे कभी नहीं सोचा गया। पीछे से आने वाले अत्यधिक पानी की सूचना लोगों को नहीं दी गई।

बहरहाल विकास का जो मौजूदा विनाशकारी माडल है उसमें मूलगामी परिवर्तन किये बिना न तो प्राकृतिक त्रासदियों से बचा जा सकता और न ही तमाम तरह की विषमता कम होंगी।

हाल के वर्षों में बहुत लंबे चौड़े हाईवे बिछाए गए हैं। इनसे पानी का कुदरती बहाव अवरूद्ध हुआ है।

हिमाचल व उत्तराखंड जैसे प्रदेशों में पर्यटन क्षेत्र में लगी पूंजी ने अंधाधुंध ढंग से होटलों के निर्माण नदियों के किनारों के बिल्कुल सटा कर किये हैं। उन स्थानों पर भूस्खलन से भारी तबाही मची है।

फौरी राहत चाहिए : अब सभी बाढ़ ग्रस्त प्रदेशों के किसानों, खेत–मजदूरों और अन्य सभी तबकों को फौरन राहत चाहिए जिनकी आजीविका बर्बाद हो गई।

परिवारों में रोज़ी रोटी कमाने वाला सदस्य नहीं रहा। फसलें चौपट हो चुकी। मवेशी मरने से नुक्सान हुआ है। बहुतों के आवास बह गए और बहुत घरों में दरारें पड़ गई हैं । राज्य सरकारों ने मुआवजा संबंधी जो घोषणाएं अब तक की हैं, वह न केवल अप्राप्त हैं बल्कि चलताऊ ढंग से की गई हैं। केंद्रीय आर्थिक पैकेज के बिना इतना बड़ा काम हो नहीं सकता और राज्य सरकारें केंद्र पर आर्थिक पैकेज का दबाव नहीं बना रही।

किसान सभा की पहल जरूरी : अखिल भारतीय किसान सभा की कमेटियों और इकाईयों ने बाढ़ के संकट के समय पीड़ित लोगों के बीच जाकर सराहनीय कार्य किया है। राहत सामग्री इकठ्ठी करके जरूरतमंद लोगों तक भेजी है। इस संबंध में हरियाणा के जींद जिला के साथियों ने गांव से राहत सामग्री इकठ्ठी करके साथ लगते पंजाब के गांव में भेजने का स्वागत योग्य काम किया।

अब मुआवजा वितरित करवाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को लामबंद करके संघर्ष करना होगा। स्थानीय स्थिति के अनुसार भविष्य में दूरगामी महत्व के वैकल्पिक प्रोजेक्ट क्या होने चाहिएं इस पक्ष पर भी किसान मजदूर संगठनों को प्रस्ताव तैयार करके, उन पर जनमत तैयार करने और उनको लागू करवाने का एजेंडा हाथ में लेना होगा। □

ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन वाद–विवाद
"मोदी राज पराजित किया जा सकता है और पराजित किया जाएगा!"

– डॉ अशोक ढ़वले

जून 2023 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन ने इस प्रस्ताव पर वाद–विवाद हुआ की, "यह सदन मानता है कि मोदी का भारत सही रास्ते पर है"। बहस की अध्यक्षता ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन के अध्यक्ष मैथ्यू डिक ने की, और प्रत्येक पक्ष में तीन वक्ता थे।

प्रस्ताव के पक्ष में जो वक्त थे उनमे शामिल थे : बैरोनेस वर्मा, बिजनेसवुमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सदस्य; आकाश बनर्जी, 'देशभक्त' के संस्थापक और मेजबान, 'देशभक्त' भारत का पहला राजनीतिक व्यंग्य मंच है जो भारतीय राजनीति पर रिपोर्टिंग करता है और मीडिया की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है; और पालकी शर्मा, पत्रकार, न्यूज़ एंकर और 'वर्ल्ड इज़ वन न्यूज़' की संपादक।

विपक्ष के वक्ता थे अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं में से एक और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पोलित ब्यूरो के सदस्य डॉ. अशोक ढावले; प्रशांत भूषण, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकील हैं और आम आदमी पार्टी और बाद में स्वराज अभियान के सह–संस्थापक रहे; एवं अजय माकन, पूर्व कांग्रेस सांसद और 2012–13 तक केंद्रीय आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री।

यह इस बहस में दिया गया डॉ. अशोक ढावले का भाषण है।

अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट वक्तागण, मित्रो, देवियो और सज्जनो,

सबसे पहले मैं 1823 में शुरू की गयी वाक् स्वतंत्रता की इस जीवंत बहस परंपरा की दो सौवीं वर्षगांठ पूरी करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनियन को हार्दिक बधाई देता हूं। यह एक महान और स्पृहणीय ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस पर हम सभी को बहुत गर्व है!

आज की बहस में मैं विपक्ष की ओर से अपना वक्तव्य पेश करूंगा। जहां तक अडानी, अंबानी, अन्य कॉरपोरेट और घोर सांप्रदायिक–फासीवादी आरएसएस के हितों का सवाल है, मुझे गहरा विश्वास है कि मोदी का भारत "सही रास्ते" पर ही है। और मै बेहद दृढ़ता से कहता हूं कि जहां तक भारत के 1.4 अरब लोगों के विशाल बहुमत के हितों का सवाल हैए मोदी का भारत सबसे बुरे रास्ते पर है।

स्वतंत्रता आन्दोलन की गौरवशाली परंपरा

मोदी का मार्ग वास्तव में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता, संघवाद और सामाजिक–आर्थिक न्याय के सभी महान मूल्यों को नष्ट करने का मार्ग है जो भारत के संविधान में निहित हैं। ये मूल्य जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत के दो शताब्दी लंबे कठोर पर गौरवशाली संघर्ष का परिणाम हैं। जब मैं इस संदर्भ में भारत की बात करता हूं, तो मैं इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी शामिल करता हूं, क्योंकि हम सभी एक देश का हिस्सा थे, जिसने स्वतंत्रता प्राप्त करने से कुछ साल पहले तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जी जान से लड़ाई लड़ी थी।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लाखों लोग शहीद हुए जिसमे, सन्यासी–फकीर विद्रोह और 1760 के विभिन्न आदिवासी विद्रोहों से लेकर; 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार से लेकर; 1943 में भयानक बंगाल अकाल और 1947 में भारत का भयावह सांप्रदायिक विभाजन तक की घटनाएं शामिल हैं ।

इसके साथ ही अंग्रेजों ने महान देशभक्तों की एक लंबी कतार की बेरहमी से हत्या की , जिसमें टीपू सुल्तान, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, चापेकर बंधु, बिरसा मुंडा, खुदीराम बोस, करतार सिंह सराभा, अल्लूरी सीताराम राजू, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, चन्द्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जतिन दास, सूर्य सेन, प्रीतिलता वादेदार, उधम सिंह, कय्यूर के शहीद, और असंख्य अन्य शामिल थे।

मैं यहां ब्रिटेन में ही आप सभी को याद दिला दूं कि ब्रिटेन के शासक वर्गों ने भारतीयों की लाखों मौतों के लिए कभी भी माफी नहीं मांगी है, जिसके लिए वे पूरी तरह से जिम्मेदार थे, और दो शताब्दियों तक भारत की अभूतपूर्व लूट और शोषण के लिए माफी भी नहीं मांगी। इन अमूल्य हानियों के लिए भारत को मुआवज़ा देना तो बहुत दूर की बात है।

आइए अब नौ साल लंबे मोदी शासन के परिणामों को निम्नलिखित तीन प्रमुख शीर्षकों के तहत संक्षेप में देखें: 1. आजीविका के लिए खतरा, 2. लोकतंत्र के लिए खतरा, 3. धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा।

आजीविका के लिए खतरा

पिछले नौ वर्षों में मोदी शासन की आर्थिक नीतियों से क्या हुआ? सबसे पहले, नवंबर 2016 में विनाशकारी नोटबंदी ने कुछ ही घंटों में अर्थव्यवस्था से लगभग 86 प्रतिशत नकदी खत्म कर दी। इसने अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, विशेष रूप से 2017 में जीएसटी सुधारों द्वारा दिए गए अन्य झटके को देखते हुए। असंगठित क्षेत्रों को विमुद्रीकरण का खामियाजा भुगतना पड़ा। कृषि और किसान वर्ग बुरी तरह प्रभावित हुए। लाखों श्रमिकों की नौकरियाँ चली गईं। 2016–17 की चौथी तिमाही में जीडीपी विकास दर में भारी गिरावट आई। आर्थिक मंदी का सबसे स्पष्ट संकेत नोटबंदी के बाद बैंक ऋण के उठान में आई ऐतिहासिक गिरावट थी।

जैसे ही आतंक के वित्तपोषण को रोकने और काले धन को उजागर करने की आधिकारिक बातें दिवालिया साबित हुईं, सरकार ने अपना लक्ष्य बदल दिया। नोटबंदी को नकदी रहित अर्थव्यवस्था या कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था की शुरुआत के कदम के रूप में पेश किया गया था। लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि नकदी वापस आ गई है, जैसा कि नकदी–से–जीडीपी अनुपात में देखा गया है।

चार साल बाद, मार्च 2020 में केवल चार घंटे के नोटिस के साथ अचानक देशव्यापी कोविड लॉकडाउन, दिवालिया कोविड वैक्सीन नीति और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की भयानक स्थिति के कारण लाखों लोगों की अभूतपूर्व दुर्दशा हुई। हालांकि मोदी सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत में कोविड से होने वाली मौतों को 2021 के अंत तक केवल 481,000 होने का अनुमान लगाया था, जबकि डब्ल्यूएचओ ने उन्हें 10 गुना अधिक, 47 लाख , दुनिया में सबसे अधिक होने का अनुमान लगाया था। प्रतिष्ठित ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 'लैंसेट' ने अनुमान लगाया कि भारत में कोविड से होने वाली मौतें आधिकारिक संख्या से 6 से 7 गुना अधिक हैं।

महामारी से प्रेरित मंदी के कारण भारत में गरीबों की संख्या (यूएनओ के अनुसार, क्रय शक्ति समता में जिनकी आय प्रतिदिन 2 डॉलर से कम है) केवल एक वर्ष 2020 में 60 से दोगुनी से अधिक होकर 134 मिलियन हो गई है। अनुमान है कि 2021 के अंत तक 150 से 199 मिलियन अतिरिक्त लोग गरीबी में गिर गए हैं।

नौकरी प्राप्त भारतीयों की संख्या, 2013 में 440 मिलियन से घटकर 2021 में 380 मिलियन हो गई – मोदी शासन के आठ वर्षों में 60 मिलियन की सीधी गिरावट। हालाँकि, उसी अवधि के दौरान कामकाजी उम्र की आबादी 790 मिलियन से बढ़कर 1060 मिलियन हो गई। मंदी की मार हजारों फैक्ट्रियों पर पड़ी, जो बंद हो गईं। नौकरियाँ पाने में असमर्थ, लाखों लोगों ने उनकी तलाश करना बंद कर दिया और जीवित रहने के लिए ग्रामीण भारत में वापस चले गए, जो बेहद कठिन था।

महामारी द्वारा हुए लॉकडाउन से पहले ही कार्यबल में महिलाएं 2013 में 36 प्रतिशत से गिरकर 2019 में 18 प्रतिशत हो गई थीं। फरवरी 2021 में, यह आंकड़ा घटकर केवल 9. 24 प्रतिशत रह गया, जो महिलाओं की गंभीर स्थिति को रेखांकित करता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), जो सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अधीन है, ने अनुमान लगाया है कि मोदी शासन के पिछले आठ वर्षों में भारत में 100,000 से अधिक किसान और कृषि श्रमिक कर्ज के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए थे। इसके अलावा, "खेती" से होने वाली मासिक आय, वास्तविक रूप से 2,855 रुपये से गिरकर 2,816 रुपये (–1.4 प्रतिशत की गिरावट) हो गई। भारत के कृषि समाज में समकालीन संकट की भयावहता किसानों की आत्महत्या और खेती से होने वाली वास्तविक आय में पूर्ण गिरावट के रूप में सामने आती है।

2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 121 देशों में से 107वां स्थान दिया गया। पिछले साल रैंक 101 थी और एक साल पहले यह 94 थी। भारत को अब 'गंभीर स्तर की भूख' वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्रामीण भारत में हर साल कुपोषण और भुखमरी के कारण सैकड़ों–हजारों आदिवासी और दलित बच्चे मर जाते हैं।

पूरे कोविड काल में जब लोगों की परेशानी बढ़ रही थी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग दैनिक आधार पर बढ़ोतरी की गई, जब तक कि पेट्रोल और डीजल दोनों ने अभूतपूर्व रूप से 100 रुपये प्रति लीटर को पार नहीं कर लिया। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें 2014 में 400 रुपये से बढ़कर 2023 में 1150 रुपये प्रति सिलेंडर से अधिक हो गईं। ये भारी मूल्य वृद्धि पेट्रोल और डीजल पर सरकारी करों में वृद्धि और रसोई गैस पर सब्सिडी में कटौती का परिणाम थी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद को बताया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्र ने इस लूट के माध्यम से 2018 से 2021 के बीच 8.02 ट्रिलियन रुपये की भारी कमाई की है। परिवहन और अन्य इनपुट लागत में वृद्धि के कारण पेट्रोलियम उत्पादों

की कीमतों में बढ़ोतरी से मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। भोजन, सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि देखी गई, जो 12 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। अब आजादी के 75 साल में पहली बार खाने–पीने की चीजों पर जीएसटी लगाया गया। गरीबों के लिए अब जीना भी मुश्किल हो गया है।

सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट

दूसरी ओर, पिरामिड के शीर्ष पर बैठे कुछ लोगों की तरफ जनता की आय का भारी हस्तांतरण किया है। लंदन से प्रकाशित 'द इकोनॉमिस्ट' के अनुसार, 2016 से 2020 के बीच मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 350 प्रतिशत बढ़ी और 7.18 ट्रिलियन रुपये हो गई; जबकि इसी अवधि में गौतम अडानी की कुल संपत्ति 750 प्रतिशत बढ़ी और 5.06 ट्रिलियन रुपये हो गई। 2014 में जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली तो अडानी समूह की बाजार पूंजी केवल 7 अरब डॉलर थी। 2022 में यह बढ़कर 200 बिलियन डॉलर हो गयी। अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में, 2014 में जब मोदी सत्ता में आए तो अडानी 609वें नंबर पर थे; एक विशाल खगोलीय वृद्धि के बाद 2022 में वो वैश्विक नंबर 2 पर पहुँच गए , जब तक कि जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग एक्सपोजर ने उनके फूले हुए गुब्बारे की हवा नहीं निकल दी।

ऑक्सफैम इंडिया इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2023, के अनुसार (जिसे 'द सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट' कहा जाता है), भारत में शीर्ष 1 प्रतिशत लोगों के पास देश की 40 प्रतिशत संपत्ति है; शीर्ष 5 प्रतिशत लोगों के पास भारत की 62 प्रतिशत संपत्ति है; जबकि निचले 50 प्रतिशत (700 मिलियन) की हिस्सेदारी केवल 3 प्रतिशत है। मार्च 2020 में महामारी शुरू होने के बाद से नवंबर 2022 तक, भारत में अरबपतियों की कुल संख्या 102 से बढ़कर 166 हो गई, और उनकी संपत्ति में 121 प्रतिशत, यानी हर मिनट 25 मिलियन रुपये की वृद्धि हुई। सबसे अमीर 21 अरबपतियों के पास 700 मिलियन भारतीयों से अधिक संपत्ति है। लेकिन इसी अवधि में भूखे भारतीयों की संख्या 190 मिलियन से बढ़कर 350 मिलियन हो गई। मोदी सरकार के पिछले सात वर्षों में कॉरपोरेट्स द्वारा लिए गए 10.72 ट्रिलियन रुपये के ऋण माफ किए गए हैं। कॉरपोरेट्स को करोड़ों रुपये की कर रियायतें दी गई हैं।

2021–22 में 17,50,000 मिलियन रुपये के बजटीय विनिवेश (निजीकरण) से प्राप्त आय के साथ, कुछ सर्वोत्तम लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों और वित्तीय संस्थानों को बिक्री के लिए रखा गया है ताकि घरेलू और विदेशी कॉरपोरेट उन्हें खरीद सकें। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों का निजीकरण किया जाना है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी), वो नाम है जिसके तहत कॉर्पोरेट लॉबी को 6 ट्रिलियन रुपये की भूमि और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति बेचीं जाएंगी। पूरे देश – रेलवे, हवाई अड्डे, एयरलाइंस, बंदरगाह, इस्पात, कोयला, तेल, दूरसंचार, बैंक, बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा और यहां तक कि रक्षा उत्पादन – को घरेलू और विदेशी कॉरपोरेट्स को कौड़ियों के भाव पर बेचा जा रहा है। यह देश को भारी नुकसान के साथ–साथ बड़े पैमाने पर छँटनी के माध्यम से श्रमिकों और कर्मचारियों पर हमला भी कर रहा है।

बुनियादी ढांचे पर सार्वजनिक व्यय में तीव्र कटौती और बढ़ते निजीकरण का विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है, जैसा कि पिछले सप्ताह ओडिशा के बालासोर में भीषण ट्रेन दुर्घटना में देखा गया था, जिसमें लगभग 300 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। एक तरफ जहाँ रेलवे के पास अपने विकास और आधुनिकीकरण के लिए धन की कमी है, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी देश भर में कई विशिष्ट वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन कर रहे हैं जो उन्हीं खतरनाक रेलवे लाइनों पर चलेंगी।

मेहनतकश जनता पर हमला

मोदी सरकार ने चार श्रम संहिताओं, तीन कृषि कानूनों और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) पर हमले के माध्यम से मजदूर वर्ग, किसानों और कृषि श्रमिकों पर तीखा हमला किया।

संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में भारत के किसानों के ऐतिहासिक एक साल के लंबे संघर्ष के परिणामस्वरूप तीन कृषि कानूनों को निरस्त करना पड़ा। लेकिन किसानों के संघर्ष पर भाजपा सरकार का दमन तीव्र था और इसके कारण 715 किसानों की शहादत हुई। इस संघर्ष की सबसे भयावह घटना उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की कारों के नीचे चार किसानों और एक पत्रकार की कुचल कर हत्या कर देना था, जिन्हें अभी भी बेशर्मी से पद पर बने रहने की अनुमति दी गई है। किसी भी वास्तविक लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा।

ब्रिटेन में ही, हमारे पास 'पार्टीगेट' घोटाले के कारण बोरिस जॉनसन को पहले प्रधान मंत्री और फिर संसद सदस्य के रूप में इस्तीफा देने के लिए मजबूर होने का उदाहरण है, जो हालांकि अपने आप में बेहद गंभीर है, लेकिन मंत्री अजय मिश्र टेनी द्वारा साजिश के माध्यम से की गई पांच हत्याओं की तुलना में बहुत कम है।

जो वर्ग वास्तव में अपने श्रम के माध्यम से देश की संपत्ति का उत्पादन करते हैं – श्रमिक, किसान और खेतिहर

श्रमिक – उन पर क्रूर हमला किया जा रहा है। यही है कॉरपोरेट सांप्रदायिकता का असली मतलब, जिसके प्रतीक आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी हैं।

लोकतंत्र पर हमला

भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकारों में से एक, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने आजादी मिलने से ठीक पहले यह लिखा था, "यदि हिंदू राज एक तथ्य बन जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, यह इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए यह एक खतरा है। और इस लिहाज से यह लोकतंत्र के साथ असंगत है। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए।"

भारत में भाजपा–आरएसएस सरकार द्वारा लोकतंत्र पर हमले अभूतपूर्व हैं। एक ओर राजद्रोह अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और दूसरी ओर राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सीबीआई, ईडी, आईटी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों का कठोर उपयोग, सभी सीमाओं को पार कर गया है। सैकड़ों निर्दोष मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, छात्रों और पत्रकारों को उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किए बिना वर्षों के लिए जेल में फेंक दिया गया है। इनमें भीमा कोरेगांव और दिल्ली दंगों में फसाये गए बंदी शामिल हैं। उनके साथ, संजीव भट्ट, आर बी श्रीकुमार, उमर खालिद, तीस्ता सीतलवाड, कप्पन सिद्दीकी, सफूरा जरगर और मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी कुछ अन्य चौंकाने वाले उदाहरण हैं। हरेन पंड्या और जज लोया की रहस्यमय और सनसनीखेज मौतें निस्संदेह सबसे गंभीर मामले हैं।

भ्रष्ट धनबल और ईडी–सीबीआई की धमकियों के जरिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों में विपक्षी राज्य सरकारों को हटाना भाजपा–आरएसएस द्वारा लोकतंत्र की हत्या का एक और रूप है। सभी संवैधानिक निकायों – संसद, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, केंद्रीय एजेंसियों – को नष्ट किया जा रहा है।

भारत में अधिकांश प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहले से ही अंबानी, अडानी आदि के नेतृत्व वाली कॉर्पोरेट लॉबी के स्वामित्व में हैं। सरकारी विज्ञापन देने के लोभ, या विज्ञापन रोक देने के भय तथा अन्य जबरदस्ती के उपायों से उन्हें नियंतरण में रखा जाता है।

वी–डेम इंस्टीट्यूट ने भारत को 'चुनावी निरंकुशता' कहा है। फ्रीडम हाउस ने भारत को 'आंशिक रूप से स्वतंत्र' बताया है। IDEA ने कहा है कि भारत का स्कोर '1975 के स्तर' पर है जब औपचारिक आपातकाल लागू था। 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 180 देशों में से 161वें नंबर पर रखा है। यह मोदी शासन के तहत तथाकथित "दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र" का चौंकाने वाला रिकॉर्ड है।

धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता के लिए ख़तरा

धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता के लिए मोदी शासन का गंभीर ख़तरा मुस्लिम और ईसाई धार्मिक अल्पसंख्यकों पर नियमित हमलों और उग्र भीड़ द्वारा उनकी पीट–पीट कर हो रही हत्याओं द्वारा देखा जा सकता है। 2002 के भयानक गुजरात–सांप्रदायिक नरसंहार में मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जिसमें लगभग 2,000 मुस्लिम मारे गए, सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और यहां तक कि बच्चों की भी हत्या कर दी गई।

बीबीसी डॉक्यूमेंट्री "India: The Modi Question" को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालाँकि, देश भर के विश्वविद्यालय परिसरों में हजारों छात्रों ने इस प्रतिबन्ध को तोड़ कर इस डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया।

सांप्रदायिकता आरएसएस की विरासत है, जिसे उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद और उनके 'फूट डालो और राज करो' के सिद्धांत के प्रति अपनी वफादारी से आगे बढ़ाया है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उस समय के भारत के तीनो सांप्रदायिक संगठनो ने, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ भारतीय जनता के गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम से सख्त दूरी बनाकर रखी। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग, सावरकर की हिंदू महासभा, और हेडगेवार और गोलवलकर की आरएसएस शामिल थे।

हाल के सबसे चौंकाने वाले उदाहरणों में शामिल एक उदाहरण भाजपा के नेतृत्व वाली गुजरात राज्य सरकार के एक कृत्य का है। गुजरात सरकार ने 2002 के गुजरात नरसंहार के दौरान 14 मुसलमानों की हत्या, 21 वर्षीय गर्भवती महिला बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उसकी 3 साल की मासूम बेटी की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए 11 अपराधियों को रिहा कर दिया। इन 11 अपराधियों की रिहाई भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ – 15 अगस्त 2022 – और गुजरात राज्य विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर, स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज करने के लिए की गई थी।

सीएए–एनआरसी–एनपीआर के माध्यम से नागरिकता को धर्म से जोड़ने के भाजपा के प्रयास के खिलाफ महीनों

तक उल्लेखनीय देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें दिल्ली में महिलाओं द्वारा लंबे समय तक किया गया शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन भी शामिल था, जिसे अंततः राजधानी में कराये गए सांप्रदायिक दंगों द्वारा कुचल दिया गया था। भारत के एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य, जम्मू और कश्मीर से राज्य का दर्जा अचानक छीन लिया गया, और संविधान के अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त कर दिया गया, जिसमें उस राज्य के लिए विशेष प्रावधान थे। इसके बाद वहां की जनता पर एक अभूतपूर्व दमन की कार्यवाही हुई।

दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां और महिलाएं भी मनुस्मृति के इन जातिवादी समर्थकों के निशाने पर हैं। पिछले कुछ वर्षों में, हमने हाथरस और उन्नाव में दलितों, विशेषकर दलित महिलाओं पर अत्याचार और रोहित वेमुला की दुखद संस्थागत हत्या के भयानक उदाहरण देखे हैं।

दिल्ली में नए संसद भवन के शिलान्यास और उद्घाटन समारोह के मामले में आरएसएस–भाजपा की मनुस्मृति के प्रति निष्ठा स्पष्ट रूप से दिखाई दी । हालाँकि भारत के राष्ट्रपति देश में सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकारी हैं, फिर भी भारत के दो राष्ट्रपतियों को, दो समारोहों से बाहर रखा गया – पहले रामनाथ कोविंद, एक दलित, और फिर द्रौपदी मुर्मू, एक आदिवासी महिला। हालाँकि इन दोनों को मोदी ने ही इन उच्च पदों के लिए चुना था, लेकिन अकेले मोदी ही थे जिन्होंने इन दोनों समारोहों का संचालन स्वयं किया था, जिसमें भगवाधारी साधु, संत और महंत तक शामिल थे।

ओबीसी की सटीक गणना के लिए जाति जनगणना का भाजपा सरकार का दृढ़ विरोध उसकी मनुवादी मानसिकता का एक और उदाहरण है।

वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के कार्यान्वयन को लगातार कमजोर किया जा रहा है। कॉरपोरेट लॉबी को खनन, उद्योग और अन्य उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण में मदद करने हेतु आदिवासियों को उनकी वन भूमि से बाहर निकाला जा रहा है। 1980 के वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) में हालिया बदलाव ठीक इसी उद्देश्य से किये गए हैं।

मोदी शासन के पिछले नौ वर्षों में महिलाओं और लड़कियों पर होने वाले अत्याचार में भारी वृद्धि देखी गई है। इनमें से कई घटनाएं स्वयं भाजपा नेताओं द्वारा किए गए कृत्यों की हैं, और उन्हें कोई सज़ा नहीं दी गई। महिलाओं को हिंसा से सुरक्षा देने वाले सभी कानूनों को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर किया जा रहा है।

देश को झकझोर देने वाला सबसे ताजा उदाहरण भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह द्वारा किये गए यौन उत्पीड़न के खिलाफ, ओलंपिक पदक विजेता महिला पहलवानों का आंदोलन है।

पहलवानों द्वारा दिल्ली में एक महीने से अधिक समय तक आंदोलन चलाने के बावजूद, जिसे लोगों का व्यापक समर्थन भी मिला, आरोपी भाजपा सांसद को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है; इसके विपरीत, पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसी दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिस दिन मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया था।

धारा का रुख मुड़ रहा है

लेकिन जैसा कि अब्राहम लिंकन ने प्रसिद्ध रूप से कहा था, आप हर समय सभी लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। तदनुसार, हाल के वर्षों में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अजेयता की आभा कमजोर हो रही है। पिछले दो वर्षों में, भाजपा को चुनावों में भारी हार मिली है और उसे केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, दिल्ली और हाल ही में हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में अन्य झटके मिले हैं, जहां उसकी राज्य सरकारों को लोगों द्वारा उखाड़ फेंका गया है।

भाजपा ने हाल के दिनों में एनडीए में अपने तीन पुराने क्षेत्रीय सहयोगियों को खो दिया है – पंजाब में अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना और बिहार में जेडी (यू)। इस साल के अंत में चार महत्वपूर्ण राज्य विधानसभा चुनाव होने हैं, और इसके बाद अप्रैल–मई 2024 में संसदीय आम चुनाव होंगे।

यदि अधिकांश धर्मनिरपेक्ष विपक्षी दल भाजपा विरोधी वोटों के विभाजन को कम करने के लिए एकजुट हो जाते हैं, यदि लोगों के वास्तविक ज्वलंत मुद्दों के आसपास संघर्ष तेज़ किये जाएँ, जैसे कि 2020–21 के प्रतिष्ठित किसान संघर्ष में देखा गया, और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आरएसएस–भाजपा के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के प्रयासों का राजनीतिक रूप से डटकर मुकाबला किया जाएगा, यह निश्चित रूप से संभव है कि मोदी–शाह के नेतृत्व वाली भाजपा–आरएसएस शासन पराजित हो सकती है और होगी। भारत की जनता को अंधेरे, विभाजनकारी और फासीवादी भविष्य से बचाया जाएगा।

आइए हम सभी अपनी ऊर्जा को उस लक्ष्य की ओर लगाएं!

बहुत बहुत धन्यवाद

जय हिन्द।

इन्किलाब जिंदाबाद !

केरल के रबड़ किसानों का राजभवन पर विशाल मार्चः 14 सितंबर को होगा संसद मार्च

– वल्सन पनोली

26 मई को केरल कृषक संघम (अखिल भारतीय किसान सभा की राज्य इकाई) के नेतत्व में केरल भर से आए करीब 10,000 रबड़ उत्पादक किसानों ने तिरूअनंतपुरम में राज भवन पर मार्च किया। इससे एक दिन पहले करीब 1000 चुनिंदा वालंटियरों ने दिन–रात के धरने का आयोजन किया था। अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव वीजू कृष्णन ने इस धरने का उद्घाटन किया।

भारी बारिश के बावजूद वालंटियरों ने पूरे दिन तथा रात अपना धरना जारी रखा। इस धरने को अखिल भारतीय किसान सभा के वयोवृद्ध नेता एस रामचंद्रन पिल्लै, अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष एस के प्रीजा, सी के सी के सदस्य गोपी कुट्टामुरीकल, एम स्वराज, ओमालूर षंकरन, एम प्रकाश तथा अन्य नेताओं ने संबोधित किया। अखिल भारतीय खेतमजदूर यूनियन के नेता अनावूर नागप्पन, सीटू नेता जैन राज, डीवाइएफआइ नेता शिजू खान तथा अन्य लोगों ने भी धरने को संबोधित किया।

इन रबड़ उत्पादक किसानों का मार्च केरल विश्वविद्यालय के नजदीक आसन चौक से शुरू हुआ और वहां से राज भवन तक गया। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष अशोक ढ़वले, महासचिव वीजू कृष्णनन, कृषक संघम के महासचिव वाल्सन पनोली, अध्यक्ष एम विजयकुमार, अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष एस के प्रीजा तथा अन्य लोगों ने इन प्रदर्शनकारी किसानों के साथ मार्च किया। सीटू, अखिल भारतीय खेतमजदूर यूनियन, एडवा, एसएफआइ और डीवाइएफआइ आदि संगठनों ने भी रबड़ किसानों के साथ एकजुटता का इजहार करते हुए मार्च किया।

मार्च के बाद राज भवन के बाहर हुयी आम सभा का उद्घाटन अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष अशोक ढ़वले ने किया और इसे अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष ई पी जयराजन, अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव वीजू कृष्णनन, स्वागत समिति के चेयरमैन वी जॉय और विधायक तथा अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य सचिव वाल्सन पनोली ने संबोधित किया। अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य अध्यक्ष एम विजयकुमार ने इस सभा की अध्यक्षता की।

सभा को संबोधित करने वाले सभी वक्ताओं ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्ववाली केंद्र की भाजपा सरकार की कार्पोरेटपरस्त नीतियों पर हमला बोला और उन्हें किसानों और खासतौर से रबड़ उत्पादक किसानों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया, जिसके नेता केरल में आशियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते का समर्थन करते हैं। वृर्ष 2009 में कांग्रेस सरकार के समय ही यह समझौता हुआ था जिसके चलते केरल तथा अन्य राज्यों के रबड़ उत्पादक किसानों तथा अन्य नकदी फसलें पैदा करने वाले किसानों के लिए इसके विनाशकारी परिणाम सामने आए।

इस सिलसिले में उन्होंने एक बिशप द्वारा किए गए इस वादे का भी जिक्र किया कि अगर केंद्र सरकार 300 रू. प्रति किलो के भाव से रबड़ की खरीद करती है तो केरल से

भाजपा के दो सांसद जीत जाएंगे। इस सिलसिले में अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भाजपा को पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा।

उन्होंने कहा कि उन्हें किसानों से इसके लिए माफी मांगनी होगी कि मुक्त व्यापार समझौतों को थोपकर उन्होंने किसानों को इस बदहाली में धकेला है और वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी ने किसानों से सी2+50 की स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सभी फसलों की खरीददारी करने का जो वादा किया था, उसके मुताबिक पूर्ववर्ती प्रभाव से 350 रू. प्रति किलो के भाव से रबड़ की खरीदारी करनी होगी।

उनका कहना था कि केवल तभी वे वोट मांगने के लिए किसानों के घरों में घुस पाएंगे। उन्होंने कहा कि रबड़ उत्पादक किसानों के लिए इसी तरह की विनाशकारी नीतियों को लागू करने के लिए मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, ए के एंटनी, ओमान चांडी समेत कांग्रेस के दूसरे नेता भी समान रूप से जिम्मेदार हैं।

केरल के रबड़ उत्पादक किसान पिछले कई महीनों से संघर्ष की राह पर हैं। इस सिलसिले में फरवरी में एक राज्य स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया था जिसे केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने संबोधित किया था। इस दिन–रात चले धरने तथा राज भवन मार्च से पहले 22 लॉन्ग मार्चों का आयोजन भी किया गया था जिनके तहत 425 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की गयी थी। राज्य के 14 जिलों में करीब 20,000 किसानों ने इन मार्चों में भाग लिया था।

उत्पादन लागत में बढ़ोतरी और प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में आयी भारी गिरावट का मुख्य कारण आशियान देशों से रबड़ का आयात ही रहा है। रबड़ उत्पादक किसानों की मुख्य मांगों में संसद में पेश किए गए नए कार्पोरेटपरस्त तथा किसान विरोधी रबड़ विधेयक को वापस लेना, रबड़ को कृषि फसल मानना, रबड़ की कम से कम 300 रू0 प्रति किलो कीमत देना, ड्यूटी फ्री आयात बंद करना, मुक्त व्यापार समझौतों को वापस लेना, रबड़ की खेती के लिए सब्सीडी देना और सरकारी निर्णयों को प्रभावित करनेवाले तथा किसानों के खिलाफ काम करनेवाले बड़े टायर निर्माताओं के कार्टेलों के खिलाफ कड़े कदम उठाना षामिल है।

रबड़ उत्पादक किसानों के संकट को समझने के लिए देश के रबड़ परिदृश्य पर एक नजर डालना जरूरी है। रबड़ को पहले सफेद सोना कहा जाता था और कुछेक दशकों पहले केरल में यह कहावत प्रचलित थी कि अगर किसी के पास सौ रबड़ के पेड़ हैं तो वह भूख से नहीं मरने वाला। रबड़ केरल की मुख्य फसल है और कुल कृषि भूमि के 22 फीसद पर रबड़ की खेती होती है। नारियल के बाद इसका क्षेत्र सबसे बड़ा है।

वर्ष 1950 में भारत में सिर्फ 75,000 हैक्टेयर क्षेत्र में रबड़ की खेती होती थी, जो अब बढ़कर 8.27 लाख हैक्टेयर हो चुकी है। वर्ष 1950 में रबड़ का कुल उत्पादन 16,000 टन था, जो अब बढ़कर 9 लाख टन हो चुका है। वर्ष 1955–56 में 2 हैक्टेयर से कम जमीन पर खेती करनेवाले रबड़ उत्पादक किसान सिर्फ 21.8 फीसद थे, जबकि आज 90 फीसद रबड़ की खेती छोटे तथा सीमांत खेतिहरों द्वारा की जा रही है। अब यह मिथ टूट चुका है कि यह अमीर लोगों की फसल है।

केरल में वर्ष 1954 में रबड़ की उत्पादकता 323 किलो प्रति हैक्टेयर थी, जो वर्ष 2013 में बढ़कर 1903 किलो प्रति हैक्टेयर हो चुकी थी, लेकिन वर्ष 2022–23 में इसमें भारी गिरावट आयी और उत्पादकता गिरकर 1472 किलो प्रति हैक्टेयर रह गयी। वर्ष 2013 में अगर भारत में पैदा होनेवाले कुल रबड़ का 84 फीसद हिस्सा केरल में पैदा हो रहा था, तो अब यह घटकर सिर्फ 72 फीसद रह गया है। 12 लाख से ज्यादा छोटे, सीमांत तथा मध्यम दर्जे के किसान, 2 लाख से ज्यादा रबड़ उतारनेवाले मजदूर और कोई 30,000 छोटे व्यापारी और रबड़ से संबंधित अन्य उद्योगों में काम करनेवाले अन्य लाखों मजदूरों की रोजी–रोटी रबड़ पर निर्भर है।

अप्रैल 2011 में किसानों को रबड़ की कीमत 236 रू0 प्रति किलो मिल रही थी और आज 26 मई 2023 को यह कीमत 124 रू0 प्रति किलो रह गयी है। वर्ष 2011 में अगर एक किसान एक किलो रबड़ बेचकर 11 किलो चावल खरीद सकता था तो अब वह एक किलो रबड़ की कीमत से सिर्फ 3 किलो चावल ही खरीद सकता है। रबड़ को कृषि फसल नहीं माना जाता और यह वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है।

केरल की एल डी एफ सरकार ने वैकल्पिक नीतियां लागू करते हुए कीमतों की स्थिरीकरण के लिए 1807 करोड़ रू. आवंटित किए और रबड़ की आधारभूत कीमत 170 रू. प्रति किलो तय की और इसमें धीरे–धीरे बढ़ोतरी कर इसे 250 रू. प्रति किलो तक ले जाने का वादा किया। इसके ठीक विपरीत काम करते हुए भाजपा सरकार ने उर्वरक सब्सीडी में कटौती कर दी और पिछले बजट में उसने कीमतों के स्थिरीकरण के लिए या बाजार में हस्तक्षेप के लिए कुछ भी आवंटित नहीं किया।

किसान यह मांग कर रहे हैं कि रबड़ को कृषि फसल माना जाए। रबड़ क्षेत्र का पतन सीधे–सीधे नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों तथा व्यापार के उदारीकरण से जुड़ा हुआ है। इस निजाम के तहत भारतीय किसान उतार–चढ़ाव वाले विश्व बाजार से दो–चार है। वर्ष 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा सरकार के तहत भारत ने श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया था और वर्श 2000 में यह लागू हो गया था।

इस मामले में केरल के किसानों का अनुभव काफी कटु रहा है। चाय, काली मिर्च, दालचीनी तथा अन्य मसाले बिना किसी आयात षुल्क के केरल आने लगे, जिसके चलते वर्ष 2000 से 2006 के बीच कीमतें गिर गयी, आय हानि हुयी, ऋणग्रस्तता बढ़ गयी और किसान आत्महत्याएं करने लगे। इस अनुभव तथा मुक्त व्यापार समझौतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बावजूद वाजपेयी के नेतृत्ववाली भाजपा सरकार अपने उसी रास्ते पर आगे बढ़ती रही और उसने आशियान मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू कर दी और वर्ष 2003 में इनिशियल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कर लिया।

यह सिर्फ कृषक संघम, अखिल भारतीय किसान सभा और एल डी एफ ही थे जिन्होंने इस कदम का जोरदार विरोध किया और एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक अर्थात कासरगोड से तिरूअनंतपुरम तक 600 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनायी और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बनायी। कांग्रेस तो इसी तरह की नीतियों लेकर जैसे भाजपा से प्रतियोगिता ही कर रही थी और ए के एंटनी, वायलार रवि, ओमान चांडी तथा रमेश चेनिथल्ला जैसे नेताओं ने आरोप लगाया कि वामपंथी तो चीन के हितों की रक्षा करने के लिए इस समझौते का विरोध कर रहे हैं।

इस समझौते के विरोध में तत्कालीन मुख्यमंत्री वी एस अच्युतानंदन की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस समझैते के चलते थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया तथा अन्य देशों से ड्यूटी फ्री आयातों में भारी बढ़ोतरी हुयी। वर्ष 2005–06 में अगर हम 45,285 टन रबड़ का आयात कर रहे थे तो वर्ष 2021–22 तक आते–आते यह आयात बढ़कर 5,46,369 टन तक पंहुच चुका था अर्थात आयात में 12 गुना बढ़ोतरी हो चुकी थी। 5 लाख टन रबड़ के निर्यात के लिए कम से कम एक लाख करोड़ विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है।

गरीब भारतीय किसानों का मुकाबला उस थाईलैंड से है, जो 49 लाख टन रबड़ का उत्पादन करता है, उस इंडोनेशिया से है जो 31 लाख टन रबड़ का उत्पादन करता है, उस वियतनाम से है जो 9.5 लाख टन रबड़ का उत्पादन करता है और उनका मुकाबला इस मामले में तेजी से बढ़ते चीन, आइवरी कोस्ट तथा श्रीलंका आदि से है। केरल के एक रबड़ उत्पादक किसान को सब्सीडी के रूप में 25,000 रू. प्रति हैक्टेयर मिलते हैं, जबकि उसके मुकाबले थाईलैंड में 2,08,000 रू. प्रति हैक्टेयर सब्सीडी मिलती है, मलेशिया में 1,57,000 रू. प्रति हैक्टेयर सब्सीडी मिलती है और हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में 64,200 रू. प्रति हैक्टेयर सब्सीडी मिलती है। आशियान देशों से तकरीबन सभी आयात शून्य आयात शुल्क पर होते हैं। इसके अलावा कंपाउंड रबड़ के आयात में भी भारी बढ़ोतरी हुयी है।

शासक वर्ग इन नीतियों को कार्पोरेट टायर कंपनियों की षह पर लागू कर रहे हैं, जो सस्ते कच्चे माल को हासिल करने के गैरकानूनी धंधे में संलग्न हैं। हाल ही में कंपीटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (भारतीय प्रतियोगिता आयोग) ने कार्टिलाइजेशन के लिए 5 टायर निर्माताओं पर 1788 करोड़ रू0 का कुमुलेटिव (संचयी) जुर्माना लगाया है। ये कंपनियां भारत में 90 फीसद टायर उत्पादन को नियंत्रित करती हैं। एम आर एफ, सीयेट, जे के टायर, बिरला टायर्स तथा अपोलो टायर्स ने इस बिना पर टायरों तथा ट्यूबों की कीमतें बढ़ा दी हैं कि प्राकृतिक रबड़ तथा दूसरे इनपुटों की कीमतें बढ़ गयी हैं। लेकिन जब कच्चे माल की कीमत गिरती है तो वे कीमतें कम नहीं करते।

सबसे ज्यादा 622.09 करोड़ का जुर्माना एम आर एफ पर लगाया गया जिसका सिस्टर कन्सर्न मलयालम मनोरमा पब्लिकेशंस मुक्त व्यापार तथा नव–उदारवादी नीतियों का जोरदार हिमायती है। अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्ववाली भाजपा सरकार के तहत 1947 के रबड़ कानून को संशोधित करने की कोशिश की जा रही है। बोर्ड में केरल के प्रतिनिधित्व को घटा दिया गया है और रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम से हटाकर केरल के बाहर ले जाने की बातें हो रही है। नीति आयोग ने भी यह सिफारिश की है कि रबड़ को अब लाभकारी ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है।

रबड़ किसानों पर इसी सोचे–समझे हमले के खिलाफ लॉन्ग मार्चों तथा राज भवन के समक्ष विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। रबड़ उत्पादक किसानों का इससे पहले इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ था। उन्होंने सरकार को संघर्ष को तेज करने की चेतावनी दी है और आगामी 14 सितंबर को केरल तथा रबड़ उत्पादक दूसरे राज्यों के हजारों रबड़ उत्पादक किसान अपने अधिकारों को हासिल करने की खातिर संसद तक मार्च करेंगे। □

राजस्थान के चुरू जिले में कृषि बीमा के लिए संघर्ष

– छगनलाल चौधरी

राजस्थान के कुछ इलाकों में अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में कृषि बीमा क्लेम के लिए हुए शानदार संघर्षों को जीत में बदलना है पिछले एक दशक से ज्यादा समय से कृषि बीमा कंपनियों की लूट के खिलाफ राजस्थान के चूरू जिले की किसान सभा संघर्ष करती आई है इन संघर्षों में चुरू जिले के साथ हनुमानगढ़ जिले में शानदार संघर्ष जीते हैं इस वर्ष यह संघर्ष सीकर सहित अन्य जिलों में भी बढ़ रहे हैं।

1 वर्ष से ज्यादा समय से चुरू जिले का ये संघर्ष जारी है। खरीफ 2021 का चुरू जिले के किसानों का कृषि बीमा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किया है। खरीफ 2021 की फसल पकने पर थी तभी बेमौसमी बरसात से दलहन की फसलों में भारी नुकसान हुआ। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार कृषि बीमा का आकलन पटवारियों एवं कृषि प्रवेक्षकों द्वारा की गई क्रॉप कटिंग से होना होता है। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट राजस्व बोर्ड द्वारा राज्य सरकार के मार्फत एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राप्त होने के बाद कंपनी ने अपने ऐतराज तय समय के बाद और जिला कलेक्टर की बजाय सीधे राज्य सरकार को पेस किए, जिस पर राज्य तकनीकी सलाहकार समिति ने 15 फरवरी 2022 की बैठक में चूरू जिले की 5 तहसीलों के 181 पटवार मंडलों के क्लेम का निर्धारण सेटेलाइट से करने के फैसले को केंद्र से अनुमति हेतु भेज दिया, जिसको केंद्र सरकार ने कृषि एवं किसान मंत्रालय ने 24 मार्च 2022 को अपनी मीटिंग में स्वीकृति देते हुए सेटेलाइट के आंकड़े राज्य सरकार को उपलब्ध करवाएं और राज्य सरकार ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस को दिए, जिसके आधार पर 60 प्रतिशत सेटेलाइट और 40 प्रतिशत क्रॉप कटिंग के अनुपात में किसानों को क्लेम जारी कर किसानों के खातों में डाल दिया गया। किसानों के कृषि बीमा क्लेम पर केंद्र और राज्य सरकार की एसबीआई कंपनी के साथ मिलीभगत से क्लेम पर हमले की जानकारी मिलते ही 7 मार्च 2022 से तारानगर, 24 मई 2022 से सरदारशहर, 8 जून 2022 से चूरू और 22 जून से राजगढ़ की अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटियों ने क्रॉप कटिंग सार्वजनिक करने की मांग के लिए धरने शुरू किए। किसानों की मांग थी कि जो क्रॉप कटिंग सरकार ने एसबीआई कंपनी को उपलब्ध करवाई है वह रिपोर्ट किसानों को भी दी जाए वह भी पक्षकार हैं लेकिन राज्य सरकार ने यह कहकर रिपोर्ट देने से इंकार कर दिया कि केंद्र सरकार की अनुमति के बिना किसानों को रिपोर्ट नहीं दी जाएगी।

तीन–चार महीनों धरने के बाद तथा 16 जुलाई, 2022 से 58 घंटों के चक्का जाम के बाद राज्य सरकार ने किसान सभा को क्रॉप कटिंग रिपोर्ट देने का जिला कलेक्टर के माध्यम से लिखित समझौता किया और साथ ही किसान सभा अगर कोई ऐतराज करेगी तो उसे जिला कलेक्टर राज्य सरकार के खिलाफ अपील के तौर पर स्वीकार करेंगे।

चूरु जिले में खरीफ 2021 के सेटेलाइट से मिले क्लेम और क्रॉप कटिंग से बन रहे क्लेम का किसान सभा जिला कमेटी ने अध्ययन किया जिससे जिले की 5 तहसीलों चूरू तारानगर राजगढ़ सिधमुख सरदार शहर के सभी 181 पटवार मंडलों में क्रॉप कटिंग से लगभग 700 करोड रुपए का क्लेम बनता है जिसको एसबीआई कंपनी ने राज्य और केंद्र सरकार से मिलकर सेटेलाइट से 213 करोड का भुगतान कर

पूरा कर दिया। एक उदाहरण चूरू जिले के बिकमसरा पटवार मंडल में खरीफ 2021 में मूंगफली का सैटेलाइट प्लस क्रॉप कटिंग से 9050 रूप्येप्रति हेक्टर क्लेम किसानों के खातों में डाला गया जबकि क्रॉप कटिंग से 57581 रूपया 24 पैसे बनते हैं। किसान का प्रति हेक्टर मूंगफली का क्लेम 48538 रूपये 44 पैसे बकाया रह गया जिसके लिए यह आंदोलन है चूरू जिले की 181 पटवार मंडलों के किसानों का लगभग 486 करोड रुपए इस आंदोलन की जीत के बाद किसानों को मिलेंगे। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के अध्ययन के बाद किसान सभा ने जिला कलेक्टर को राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ अपील लगाई जिस पर बीजेपी सांसद ने यह कहते हुए एतराज किया कि सभी किसानों की प्रतिनिधित्व करने वाली किसान सभा कैसे हो सकती है इस एतराज को समाप्त करने के लिए किसान सभा ने जिले के 3000 किसानों से व्यक्तिगत आवेदन लगवाए कि हमें सेटेलाइट की जगह क्रॉप कटिंग से क्लेम किया जाए इस क्रम में सरदारशहर तारानगर राजगढ़ में बड़ी महापंचायतें आयोजित की गई, जिनको हनान मौला और अमराराम ने संबोधित किया। संघर्ष के आखिरी चरण में 28, 29 और 31 मई से जिले के अलग–अलग इलाकों से पैदल मार्च शुरू किया जो पैदल मार्च 2 जून को हजारों की संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा शाम को राज्य सरकार से एक पत्र आया तथा खरीफ 2022 की 71 में से 65 आपत्तियों को जिला कलेक्टर ने खारिज कर दिया, बाकी ज्यादातर आपत्तियां भी किसान सभा और किसानों के बयानों और सबूतों के बाद कंपनी की आपत्तियों को खारिज कर दिया है।

2 जून शाम को जिले भर से आए हुए किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पर पक्के मोर्चे बनाने शुरू किए। आंदोलन के अगले चरण में किसान सभा ने जिले के सांसद और विधायकों के घरों पर ज्ञापन देने का कार्यक्रम दिया लेकिन तारानगर के कांग्रेसी विधायक नरेंद्र बुडानिया, राजगढ़ के कांग्रेसी विधायक कृष्णा पूनिया, चूरू के बीजेपी विधायक प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने स्वयं जिला कलेक्ट्रेट पर आंदोलन स्थल पर आकर ज्ञापन लिए और इस आंदोलन की मांगों का समर्थन किया और राज्य और केंद्र सरकार से क्रॉप कटिंग से क्लेम दिलाने सहित सभी मांगों के लिए साथ देने का वादा किया। सरदारशहर कांग्रेसी विधायक ने अपने प्रतिनिधि पंचायत समिति उप–प्रधान व कांग्रेसी नेताओं को आंदोलन का समर्थन देने भेजा बीजेपी सांसद के घर पर सांसद को किसान सभा ने ज्ञापन दिया उन्होंने भी आंदोलन को समर्थन देने का किसानों के बीच आकर घोषणा की इस धरने को राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रेहाना रियाज, चूरू के पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, बीजू कृष्णन राष्ट्रीय महामंत्री किसान सभा अमराराम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलवान पूनिया विधायक माकपा, शिक्षक संघ शेखावत, कर्मचारी महासंघ सहित शहर और गांव के लोगों का भारी समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है 2 जून से आज तक आंदोलन में जितना दुग्ध लगता है दुग्ध वितरण करने वाले दूधियो द्वारा इकट्ठा करके पहुंचाया जाता है लकड़िया, आटा, मसाला, तेल और अर्थ सहयोग जोरदार आम लोगों से मिल रहा है 13 जून को शाम को शहर में 4 किलोमीटर का मशाल जुलूस निकाला गया। 20 जून को आक्रोश रैली के दौरान राज्य सरकार का वार्ता का लिखित आमंत्रण किसान सभा के नाम आया इस दौरान जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सियाग कई दौर की वार्ता स्वयं के साथ, बैंकर्स और बिजली अधिकारियों के साथ किसान सभा के साथ करवा चुके हैं।

22 जून को जयपुर सचिवालय में प्रमुख शासन सचिव डॉ पृथ्वी एवं कृषि आयुक्त के साथ अखिल भारतीय किसान सभा के प्रतिनिधिमंडल जिसमें अमराराम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छगनलाल चौधरी, राज्य महामंत्री इंद्राज सिंह, चुरू जिला अध्यक्ष उमराव सिंह, जिला मंत्री निर्मल कुमार प्रजापत, राज्य कमेटी सदस्य सुनील कुमार पुनिया, राज्य कमेटी सदस्य के साथ जिले के बीजेपी सांसद राहुल कस्वा,तारानगर के कांग्रेसी विधायक नरेंद्र कुमार बुडानिया, राजगढ़ के कांग्रेसी विधायक कृष्णा पूनिया की वार्ता हुई लेकिन क्रॉप कटिंग से क्लेम देने पर समझौता नहीं हो सका जिसके कारण वार्ता विफल रही। 18 जुलाई, 2023 को आंदोलन के 47वें दिन आंदोलनकारियों ने चुरू जिला कलेक्ट्रेट के पाँचों गेटों को शाम तक पूर्ण रूप से बंद कर दिया। इसी दिन जिला कलेक्ट्रेट में पाँच न्यायालय चलते है। जिनके सभी वकीलों ने न्याय कार्य का बहिष्कार करके किसान सभा के आंदोलन को समर्थन दिया। बंद में जिला कलेक्ट्री में अंदर रहे अधिकारियों व पुलिस के खाने और चाय का इंतजाम आंदोलनकारियों ने किया।

इस आंदोलन में कृषि बीमा के अलावा कृषि कुओं को 6 घंटे अच्छी बिजली देने, 2013 से बकाया कृषि कुओं के बिजली कनेक्शन देने, ग्रामीणों को घरेलू पट्टे जारी करने, नरेगा में 200 दिन काम 600 रुपया दैनिक मजदूरी, एमएसपी पर 40 क्विंटल की जगह पूरी फसल खरीदने, बाजरी की खरीद करने, दूध, मोठ, ग्वार, सब्जियों की एमएसपी तय

करने एमएसपी नही होने तक भावांतर देने के मुद्दे भी शामिल थे। इस आंदोलन को जनता का भारी समर्थन मिला। जिसकी वजह से जनता के सभी हलकों के साथ कांग्रेस और बीजेपी के सांसद और विधायक अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व वाले आंदोलन में शामिल होकर समर्थन दिया। यह आंदोलन भी जीत तक जारी रहेगा। क्योंकि बीमा कंपनियां यह फार्मूला देश और प्रदेश में और भी जगह लगाना चाहती है इस आंदोलन की जीत के बाद यह एक नजीर बनेगा। प्रदेश के बाकी जिलों और देश के राज्यों में भी हमें कृषि बीमा की अधिसूचनाओं सरकारों और कृषि बीमा कंपनियों की मिलीभगत को किसानों के बीच ले जाकर बड़े आंदोलन के जरिए देशव्यापी बीमा कंपनियों की बड़ी लूट के खिलाफ जनमानस तैयार करना होगा।

इस आंदोलन को चरम पर ले जाने का फैसला जिला कमेटी ने लिया। जिसक लिए 9 अगस्त, 2023 को किसान एकजुटता रैली का निर्णय लिया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में किसानों को लाने के लिए सरदार शहर, तारानगर, राजगढ़, चुरू सिधमुख, रतनगढ तहसील कमेटियों ने लगभग 600 गांवों में मीटिंग कर प्रत्येक गांव से बस, पिकअप, छोटी गांडियों के लिए गांव में चन्दा इक्ट्ठा किया। चुरू जाने के लिए वाहन तय किए। रैली के प्रचार के लिए 22000 पेम्पलेट, वाल राइटींग फ्लैक्स, प्रिन्ट, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, मोबाईलों पर जोरदार कम्पेनिंग की गई।

चुरू के किसान आंदोलन से खरीफ 2022 पर 71 पटवार मण्डलों पर एस.बी.आई जनरल इंश्यारेन्स कम्पनी ने जिला कलेक्ट्र को आपति दर्ज कराई जिसमें से एक आपति को छोड़कर सभी आपति जिला कलेक्ट्रट और राज्य के खारिज कर दी। जल्दी इन पटवार मण्डलों में क्लेम जारी होगा। रबी 2022–2023 की लगभग आपतियाँ हटाई गई।

इस आंदोलन का इतना बड़ा असर सरकारें और बीमा कम्पनी पर देखने को मिला। राजस्थान में सिर्फ चुरू जिले में 7 अगस्त से किसानों के खातों में 800 करोड़ रूपये रबी 2022–2023 को क्लेम डालना शुरू कर दिया ताकि 9 अगस्त को चुरू रैली से किसान कम आवे।

चुरू जिले की किसान सभा ने पिछले 13 वर्षो में जिले के किसानों की समझ को संघर्षों के माध्यम से बढाया है 800 करोड़ आने के बावजूद भी हमारा संघर्ष खरीफ 2021 का क्लेम सेटेलाइट के बजाय क्रोप कंटीग से देना होगा जिसका लगभग 500 करोड़ का अन्तर राशि और देनी होगी।

2017 से 2022 तक जिन किसानों की पोलिसीयाँ रिजेक्ट कर दी, बीमा पोर्टल पर नहीं चढ़ा। जिनका प्रीमियम नहीं कटा, कम जमीन का कटा, पटवार मण्डल बदल दिए ऐसे तमाम किसानों का 1000 से 2000 करोड़ रूपये के बीच क्लेम अनुमानित है। जिसके लिए बीमा कम्पनियों और वितिय संस्थाओं की गलती से किसानों को क्लेम नहीं मिला सका जिसकी जिम्मेदारी तय करके बकाया क्लेम दिया जावे।

9 अगस्त के ऐतिहासिक दिन को चुरू में आंदोलन को चरम पर ले जाने के लिए जिले और पड़ोसी जिले बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ किसान सभा के नेता भी शामिल हुए। किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक ढवले, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमराराम, राज्य अध्यक्ष पेमाराम, राज्य महामंत्री छगन लाल चौधरी, बीकाने किसान सभा जिला अध्यक्ष गिरधारी महिया (विधायक) शामिल हुए।

चुरू जिला मुख्यालय पर अपने रूपयों से वाहन लेकर पहली बार इतनी बड़ी संख्या में किसानो की भागीदारी हुई जो जिस पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मीटिंगों से भी बड़ी संख्या थी आंदोलन के 69वें दिन 09 अगस्त को भी सभी दिनों की तरह चुरू की जनता ने टेन्ट पानी, चाय खाने का बेहतर इंतजाम किया।

जिला कलेक्ट्रर और अन्य अधिकारियों के साथ वार्ता में पेमाराम, छगनलाल चौधरी, गिरधारी महिया, निर्मल कुमार प्रजापत, उमराव सिंह, इन्द्राज सिंह, सुनील पुनिया की वार्ता बेनतीजा रही। हजारों की संख्या में किसान रात को भी सड़क पर डटे रहे। 10 अगस्त को चार दौर की वार्ता जिला कलेक्ट्रट और एक वार्ता विपक्षी अधिकारियों के साथ हाने के बाद शाम 7 बजे लिखित समझौता हुआ, जिसमें तय हुआ कि दो सप्ताह में राज्य तकनीकी सलाहकार कमेटी ;ज।ब्द्ध की मीटिंग होगी जिसमें किसान प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों, चुरू जिला कलेक्ट्रेट और सम्बन्धित अधिकारियों को सुना जाकर पूर्व में चुरू जिले की क्रोप कंटिग को केन्सल करने के निर्णय पर पुर्नविचार किया जाकर फैसला किया जायेगा।

बिजली अधिकारियों ने कृषि कुओं को 6 घंटे अच्छी बिजली देने, बकाया बिजली देने, नये 33, 132, 220 के.वी के जी.एस.एस का शीघ्र निर्माण और क्षमता बढाने की लिखित समझौते के बाद जयपुर जाने वाली सड़क को खाली कर आंदोलन जिला कलेक्ट्रट के गेट पर ले गये। ये आंदोलन जीत तक जारी रहेगा।

□

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र–ग्रेटर नोएडा
दमन और वादाखिलाफी के सामने डटा किसान आंदोलन

– पुष्पेन्द्र त्यागी

अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों व भूमिहीनों का लगातार जारी आंदोलन एकजुट होकर लड़ने में उनके विश्वास को फिर से जगाने में सफल रहा है। 25 अप्रैल, 2023 को दिन–रात के लगातार धरने व पड़ाव के साथ शुरू हुआ उनका संघर्ष 15 अगस्त, 2023 को अपने 90 वें दिन (61 दिन जब 24 जून को धरना स्थगित किया गया और 18 जुलाई को फिर से शुरू होने के बाद के 29 दिन) में प्रवेश कर गया। इन तीन महीनों में यह आंदोलन ग्रेटर नोएडा अथारिटी व शासन के खिलाफ महिलाओं व पुरूशों की बराबर बढ़ती लामबंदी के साथ मजबूती से डट कर खड़ा रहा है। इस दौरान कई मौकों पर बड़े जुलूस व प्रदर्शन किये गये हैं। इनमें काली पट्टी बांध कर निकाला गया विरोध मार्च, धरने पर केवल महिलाओं का दिन जब उन्होंने ही मोर्चा और मंच संभाला, भूमिहीनों का दिन, बेरोजगार नौजवानों का दिन आदि शामिल रहें हैं। 28 मई की लम्बी व रंगारंग ट्रेक्टर परेड व उसके उपरान्त हुई बड़ी जनसभा, 6 जून के '**घेरा डालो डेरा डालो**', 7 जून को महिलाओं के नेतृत्व में धरना स्थल पर फिर से काबिज होना और 18 जुलाई को शासन व प्राधिकरण की वादाखिलाफी के जवाब में स्थगित किये गए आंदोलन को फिर से शुरू करते हुए लोगों के डट जाने ने क्षेत्र के गांवों और ग्रेटर नोएडा के किसानों–भूमिहीनों पर गहरी छाप छोड़ी है।

पृष्ठभूमि और मुद्दे

इस आंदोलन की पृष्ठभूमि वर्ष 1991 में स्थापित किये ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआइडीए) द्वारा किसानों की ज़मीन के अधिग्रहण में निहित है। प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक विकास के उद्देश्य से 124 गांवों को अधिसूचित किया गया था। अंग्रेजी राज के भूमि अधिग्रहण कानून 1894 के तहत 1991 में भूमि अधिग्रहण की शुरूआत के साथ ही इस क्षेत्र के किसानों व भूमिहीन मज़दूरों पर उसके दूरगामी प्रभावों की भी शुरूआत हो गई। अधिग्रहण के विभिन्न चरणों में अभी तक 49 गांवों की भूमि को अधिग्रहीत किया जा चुका है। कुछ गांवों में प्राधिकरण द्वारा भूमि की सीधी खरीद की जा रही है और शेष में अभी ऐसा होना बाकी है। नये भूमि अधिग्रहण कानून – भूमि का (अधिग्रहण, पुनर्वास) उचित मुआवजा व पारदर्शिता अधिनियम, 2013 के पारित होने और 1 जनवरी, 2014 से इसके लागू होने के पहले तक अधिग्रहण के बदले बहुत ही कम मुआवज़े व पुनर्वास आदि मुद्दों को लेकर इस क्षेत्र में कई बार किसानों के आंदोलन हुए जिनमें से कुछ में हिंसा

भी हुई। इनके केन्द्र में जबरन अधिग्रहण में ठगा सा महसूस कर रहे किसान थे। अधिग्रहण और उसके विरूद्ध आंदोलन के इस सिलसिले में से ही ग्रेनो प्राधिकरण द्वारा घोषित विकास के उद्देश्य में हिस्सेदारी, उचित मुआवजा, रोजगार, विकसित भूखंड, आबादी की भूमि, अधिग्रहीत कर ली गई आबादी की लीज़ बैंक, किसानों के लिए प्राधिकरण की योजनाओं में कोटे, भूमिहीनों के लिए रिहायशी भूखंड व पुनर्वास आदि मुद्दे किसानों के लिए नई चुनौतियों के रूप में सामने आये। दस प्रतिशत विकसित भूंखड का मुद्दा 1997 में ही सामने आ गया था और उस वक्त हुआ आंदोलन इस मांग को स्थापित करने के साथ ही मुआवजे की दर को बढ़वाने में भी सफल रहा था।

जनवरी, 2014 में नये भूमि अधिग्रहण कानून के लागू होने के बाद प्रभावित किसानों के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे नये कानून के प्रावधानों के रूप में आ गये और लड़ाई उन प्रावधानों को लागू कराने की बन गई। इसके साथ ही किसान समय–समय पर कई मामलों को लेकर कोर्ट में भी गये जिनमें से कुछ में फैसले उनके पक्ष में आये। दस प्रतिशत विकसित भूखंड और भूमिहीनों को 40 वर्ग मीटर का रिहायशी भूखंड ऐसे ही मुद्दे थे। प्राकृतिक न्याय व समानता के सिद्धान्त के तहत स्वाभाविक ही यह माना गया था कि इसका लाभ सभी प्रभावितों को होगा। मगर शासन और प्राधिकरण ने ऐसा नहीं होने दिया। नये भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का मुआवजा शहरी क्षेत्र में मौजूदा सर्किल रेट का दो गुना और ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना होना चाहिए। ऐसा न हो पाये इसके लिए प्राधिकरण ने एक ओर गांवों में पंचायतों को खत्म कर मुआवजे की शर्तों को ही बदल दिया और दूसरी ओर 2014 के बाद से सर्किल रेट को नहीं बढ़ाया। अब हो यह रहा है कि प्राधिकरण जहां किसान को उसकी एक वर्ग मीटर ज़मीन के 4125 रूपये दे रहा है वहीं वह विकसित भूमि की बोली लगाकर निजी लोगों को 72,000 रूपये प्रति वर्ग मीटर के भाव बेच रहा है। यह अंतर ज़मीन और आसमान जैसा है।

सरकार और प्राधिकरण के मनमाने, नौकरशाही व अपमानजनक रवैये से तंग आ चुके प्रभावित किसानों को लामबंद करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा ने किसानों के अन्य स्थानीय छोटे समूहों व संगठनों को साथ में लेते हुए इस दौरान मुद्दों को लेकर धरने व प्रदर्शन किये। इसी क्रम में इलाके में किसान सभा के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने नियमित रूप से प्रभावित किसानों व भूमिहीनों के मुद्दों को उठाते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले 23 दिसम्बर, 2019 को विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। लेकिन इसके बाद कोविड 19 महामारी के चलते लगे प्रतिबंधों के कारण यह पहल आगे नहीं बढ़ सकी। वहीं प्रधिकरण ने 'आपदा को अवसर में बदलने में देर नहीं लगायी और किसानों–भूमिहीनों के मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। कुछ प्रावधानों को, पहले तय हो चुके मुद्दों को तो चोरी–छिपे खत्म ही घोषित कर दिया गया। आये दिन गांवों में बुलडोजर भेज कर तोड़–फोड़ करने, आधारहीन अनाप–शनाप जुमार्नो और प्राधिकरण कार्यालय में अपमानजनक व्यवहार ने किसानों की बेचैनी को बढ़ा दिया।

ऐसी परिस्थिति में, फरवरी 2023 में किसान सभा ने गांवों में किसानों व भूमिहीनों से संपर्क कर आंदोलन को फिर से शुरू कर मुद्दों के हल होने तक लंबी लड़ाई का ऐलान किया। फरवरी और मार्च में अच्छी भागेदारी वाले तीन ध रने–प्रदर्शन किये गये। हर धरने प्रदर्शन के बाद किसान सभा ने गांवों में जनसंपर्क किया। जिसका परिणाम यह हुआ कि भागेदारी बराबर बढ़ी। 23 अप्रैल, 2023 को क्षेत्र में एक मोटर साइकिल रैली निकाली गई और 25 अप्रैल को बड़े जुलूस व प्रदर्शन के बाद प्राधिकरण के सामने दिन–रात का अनिश्चितकालीन धरना व पड़ाव शुरू हो गया।

दमन और वादाखिलाफी के खिलाफ संघर्ष

धरने के 41 वें दिन 6 जून की देर शाम को भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने अचानक धावा बोलकर धरना स्थल को बलपूर्वक खाली करा लिया और आंदोलन के प्रमुख नेताओं सहित 33 किसानों को जेल भेज दिया। इसके विरोध में बड़ी संख्या में महिलाओं समेत सैकड़ों की संख्या में पुलिस लाईन पहुंचे आक्रोशित किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें दर्जन भर से ज्यादा महिला–पुरूषों को चोटें आयी। किसान सभा के आह्वान पर कुछ ही घंटों बाद 7 जून को भारी संख्या में जमा हुए किसानों ने महिलाओं की अगुवाई में पुलिस के प्रतिबंधों की परवाह न करते हुए धरना स्थल पर पुनः कब्जा कर लिया। इस क्षेत्र में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। किसानों व विशेष रूप से किसान–भूमिहीन महिलाओं के इस निर्भीक व पक्के इरादे ने नेताओं के जेल में होने पर भी आंदोलन को दमन को झेलने की ताकत दी और अन्य किसान संगठनों व राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल करने में मदद दी। पुलिस ने गांवों में लगातार दबिश दी। कितने ही लोगों को मुचलकों से पाबंद किया। झूठे मुकदमें बनाये। मगर आंदोलन को नहीं रोका जा सका।

माहौल में बढ़ते तनाव और मांगों को हल करने व जेल में बंद किसानों को रिहा किये जाने के लिए बढ़ते दबाब ने भाजपा की राज्य सरकार और प्राधिकरण को किसानों से बातचीत के लिए मज़बूर किया। 21 जून को धरने के 61 वें दिन जेल में बंद किसानों के रिहा होने और प्राधिकरण द्वारा 15 जुलाई तक सभी मुद्दों के हल के लिए राज्य के उद्योगमंत्री की अध्यक्षता में, स्थानीय विधायकों, सांसदों व किसान सभा के प्रतिनिधियों तथा प्राधिकरण के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का लिखित वादा किये जाने के बाद धरने को स्थगित किया गया।

किसान जब सरकार से वादा पूरा करने का इंतजार कर रहे थे, तब सरकार ने उन्हें सूचना दी कि वह उच्च स्तरीय समिति का गठन नहीं करेगी। यह स्पष्ट तौर पर किसानों से विश्वासघात था और इस बार ठगे जाने और पीछे हटने को तैयार नहीं होने के लिए कमर कसे किसानों ने धरने के स्थगित किये जाने के 23 दिन बाद 18 जुलाई 2023 से बड़े प्रदर्शन व जुलूस के साथ अपना दिन–रात का धरना फिर शुरू कर दिया।

अभी तक का हासिल

भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों–भूमिहीनों के इस आंदोलन की अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि इसमें लगातार बढ़ती महिलाओं की सक्रिय भागेदारी और क्षेत्र के किसानों–भूमिहीनों में एकजुट होकर लड़ने के बारे में पैदा हुए विश्वास के दृढ़ होने में रही है। यह आंदोलन कोई स्वयं स्फूर्त आंदोलन न होकर, मुद्दों की पहचान कर कदम दर कदम संगठित किया गया आंदोलन है। इसकी ताकत आंदोलन के दौरान गांवों में लोगों के बीच लगातार जाकर किसान सभा द्वारा बनाई गई गांव कमेटियों की पहलकदमी में निहित है। आंदोलन के इस दूसरे चरण में जब प्राधिकरण के साथ बातचीत के पांच दौर हो चुके हैं, किसान सभा की कमेटी का बराबर प्रयास रहा है कि भूमिहीनों की मांग को आगे रखा जाये और उन्हें आंदोलन में सक्रिय रूप से जोड़ने की कोशिशें की जा रही है।

ग्रेटर नोएडा के इस आंदोलन ने डटने का जो जज्बा दिखाया है वह इस क्षेत्र में पहली बार हो रहा है और भूमि अधिग्रहण के सवाल की व्यापकता को देखते हुए जिसमें आने वाले समय में भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवाद बढ़ने वाले हैं, इसके आस–पास और देश के अन्य हिस्से में विस्तार व प्रभाव डालने की क्षमता है।

इसके विस्तार व मज़बूती के लिए, किसान व अन्य संगठनों की एकजुटता को बनाने के लिए पहलकदमी की आवश्यकता है। इस आंदोलन ने प्राधिकरण, सरकार व जन प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के रास्ते को बराबर खुला रखा है। आंदोलन अभी तक बिल्कुल अनुशाशित व शांतिपूर्ण रहा है। अनुभव ने दिखाया है कि यह तरीका इस आंदोलन की ताकत है और आगे भी इसी तरीके से इसे मज़बूत किया जाना चाहिये। □

'सेब बचाओ, कश्मीर बचाओ': जम्मू–कश्मीर एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला राज्य सम्मेलन

– शुभोजीत डे

अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा हिसार में अपने 34 वें सम्मेलन में, विभिन्न फसल–वार संघों का निर्माण कर किसानों को एकजुट करने के निर्णय को आगे बढ़ाते हुए जम्मू और कश्मीर राज्य इकाई के पहले एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफएफआई) के सम्मेलन के सफल आयोजन के साथ अपना नवीनतम मील का पत्थर हासिल कर लिया है। 15 और 16 जुलाई को शोपियां में दिवंगत कॉमरेड अब्दुल हमीद वानी (एक समर्पित किसान नेता) हॉल में आयोजित, जम्मू संभाग के 4 प्रतिनिधियों सहित कश्मीर के 10 सेब बहुल जिलों के कुल 165 सेब किसान प्रतिनिधियों ने 15 जुलाई से शुरू हुए सम्मेलन में भाग लिया।

सम्मेलन का उद्घाटन किसान सभा के वित्त सचिव पी कृष्णप्रसाद ने किया। पूर्व विधायक और गुपकर गठबंधन के प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने सम्मेलन की शुभकामनाएं दीं। जहूर अहमद राथर द्वारा एक रिपोर्ट रखी गई, जिसमें सेब अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई थी। रिपोर्ट, जिसमें 14–सूत्रीय मांग पत्र भी प्रस्तावित किया गया था, को गहन चर्चा के बाद प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया। सम्मेलन ने बाढ़ के कारण हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व अन्य राज्यों में हुई तबाही से प्रभावित लोगों के प्रति गंभीर चिंता और एकजुटता व्यक्त की। सम्मेलन ने 11 सदस्यीय राज्य समिति का चुनाव किया, जिसके अध्यक्ष जहूर अहमद राथर और सचिव अब्दुल रशीद इटू को चुना गया। प्रतिनिधि सत्र किसान सभा के राष्ट्रिय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवले के जोशीले भाषण के साथ संपन्न हुआ।

विशाल जनसभा

16 जुलाई को उस वक्त इतिहास बन गया जब शोपियां के शिरमल इलाके के मैदान में एक बड़ी जनसभा आयोजित की गई। इस सभा में 3,000 से अधिक सेब उत्पादकों के आने की उम्मीद थी, परन्तु शुरू होने से ठीक पहले भारी बारिश के साथ–साथ विभिन्न बिंदुओं पर बढ़ी हुई सुरक्षा जांच के कारण सेब किसानों के लिए कार्यक्रम स्थल पर इकट्ठा होना मुश्किल हो गया। इन कठिनाइयों के बावजूद, तूफानी मौसम की परवाह किए बिना, कई गांवों से एएफएफआई के झंडे लेकर 1,000 से अधिक किसान जनसभा शामिल हुए। 'सेब बचाओ, कश्मीर बचाओ' और 'एप्पल फार्मर्स

फेडरेशन जिंदाबाद' के जोरदार नारों के साथ जनसभा के मुख्य वक्ता डॉ. अशोक ढवले, पी कृष्णप्रसाद और मो. यूसुफ तारिगामी ने मंच पर प्रवेश किया।

अपने उद्घाटन भाषण में, डॉ. अशोक ढवले ने एएफएफआई के बैनर तले संगठित हो रहे किसानों को बधाई दी और कहा कि सेब उत्पादकों के लिए उच्च कीमतों और कम इनपुट लागत के लिए संघर्ष के साथ–साथ एएफएफआई और किसान सभा राज्य की पुनः बहाली के लिए भी संघर्ष करेंगे। अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त करना कश्मीरियों के 'आत्म–सम्मान' के लिए आवश्यक है। उन्होंने सेब उत्पादकों से 9 अगस्त को जम्मू–कश्मीर में कॉर्पोरेट विरोधी प्रदर्शन करने और किसानों व मजदूरों के ज्वलंत मुद्दों पर 26 से 28 नवंबर को श्रीनगर में तीन दिवसीय महापड़ाव आयोजित कर संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) द्वारा दिए गए अखिल भारतीय आह्वान को जम्मू–कश्मीर में भी सफल बनाने की अपील की।

पी कृष्णप्रसाद ने अपने भाषण में सेब उत्पादकों की लूट पर बोलते हुए कहा कि, सेब उत्पादकों को आपूर्ति श्रृंखला में मूल्य का केवल 30 प्रतिशत या उससे कम मिलता है, जबकि बाकी बिचौलियों, कॉर्पोरेट कृषि व्यवसाईयों और खुदरा विक्रेताओं के साथ–साथ सरकारी करों द्वारा हजम कर लिया जाता है। उन्होंने हर गांव में एएफएफआई का संगठन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि उत्पादक पूरे देश में उपभोक्ताओं को सीधे सेब बेचना शुरू कर सकें।

वरिष्ठ किसान नेता गुलाम नबी मलिक व जहूर अहमद राथर ने रैली को संबोधित किया तथा मांग की कि सरकार को अपनी किसान विरोधी नीतियों को छोड़ देना चाहिए और सेब उत्पादकों की वैध मांगों को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। उन्होंने सेब उत्पादन से जुड़े सभी वर्गों से सेब की खेती से संबंधित मांगों के समर्थन में एकजुट होकर आवाज उठाने की भी अपील की।

अपने समापन संबोधन में तारिगामी ने कहा कि, चाहे उनके बच्चों की शिक्षा हो या उनकी शादी, सेब कश्मीर के सेब किसान समुदाय की एकमात्र उम्मीद था। उन्होंने आगे कहा कि यह समुदाय अपनी कड़ी मेहनत से काटी गई उपज के लिए उचित मूल्य के अलावा कुछ नहीं मांगता रहा है। तारिगामी ने कश्मीरी सेब उत्पादकों की मांगों के पक्ष में देश के किसानों से समर्थन कि अपील की। उन्होंने कहा "हम इस सरकार के सामने भीख नहीं मांगेंगे हम देश के मेहनती किसानों का समर्थन और एकजुटता चाहते हैं, जिन्होंने इस तानाशाह सरकार को किसान विरोधी, कॉर्पोरत पक्षीय काले कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए मजबूर किया "। □

महाराष्ट्र के पालघर जिला कलेक्ट्रेट पर किसान सभा के 25,000 किसानों का प्रदर्शन – मांगें मनवायी

– चंद्रकांत घोरखाना/चंद्रकांत धांगडा

नौ साल पहले वर्षा 2014 में मूल ठाणे जिले के विभाजन के बाद नए पालघर जिले का गठन होने के बाद से पालघर जिला कलेक्ट्रेट पर यह लोगों की सबसे बड़ी लामबंदी थी।

गत 30 मई को अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में करीब 25,000 किसानों से महाराष्ट्र के पालघर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। यह किसान पालघर जिले की सभी आठों तहसीलों–दहाणु, तलासरी, जवहार, मोखाडा, विक्रमगढ़, वाडा, वसई तथा पालघर–से इस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पंहुचे थे। इस विशाल रैली में सबसे बड़ा हिस्सा आदिवासी, महिला तथा युवा किसानों का था, जो पहले कलेक्ट्रेट के द्वारों तक पंहुचे और फिर अंदर घुस गए और उन्होंने करीब तीन घंटे तक, तब तक कलेक्ट्रेट मैदान पर कब्जा किए रखा, जब तक कि जिला कलेक्टर के साथ अखिल भारतीय किसान सभा के प्रतिनिधिमंडल की चर्चा संपन्न नहीं हो गयी।

पिछले तीन महीने में ठाणे– पालघर जिले में यह चौथी जनलामबंदी थी। गत मार्च महीने में अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में डिंडोरी (जिला नासिक) से वासिंद (जिला ठाणे) तक आयोजित किए गए लॉन्ग मार्च में अल्पकालिक नोटिस पर यहां के करीब 1,000 किसान शामिल हुए थे। इसके बाद गत अप्रैल महीने में अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में अकोले से लोनी तक आयोजित किए गए मार्च में यहां के 8,000 किसानों ने भाग लिया था। फिर अभी पिछले ही हफ्ते 24 मई को एडवा के नेतृत्व में पालघर कलेक्ट्रेट पर एक विशाल रैली आयोजित की गयी जिसमें करीब 12,000 महिलाओं के भाग लिया। और फिर अब 30 मई को अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में करीब 25,000 किसानों ने इस रैली में भाग लिया।

पिछले एक महीने के दौरान अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा वन भूमि पर, अनुपस्थित भूस्वामियों की जमीनों (वरकास जमीनों) पर, मंदिर ट्रस्ट की जमीनों पर, ईनामी जमीनों पर, चारागाह की जमीनों आदि से संबंधित किसानों के भूमि अधिकारों के हजारों फार्म भरे गए हैं। यह सभी फार्म कलेक्टर को दिए गए और उनकी रसीदें ली गयी।

अखिल भारतीय किसान सभा के प्रतिनिधिमंडल की जिला कलेक्टर श्री गोविंद बोडके और दूसरे संबंधित अधिकारियों के साथ करीब ढ़ाई घंटे तक रचनात्मक चर्चा चली। इस चर्चा में कलेक्टर ने भूमि अधिकारों, पानी तथा सिंचाई, मनरेगा, राशन तथा अन्य मुद्दों से संबंधित ज्यादतर

मांगे मान ली और प्रतिनिधिमंडल को यह आष्वासन दिया कि समयबद्ध ढ़ंग से इन मांगों को पूरा किया जाएगा।

जिला कलेक्टर ने जो तीन सबसे महत्वपूर्ण आश्वासन दिए, वे इस प्रकार थे:

1. जिले में वन अधिकार कानून (एफआरए) के तहत किए सभी करीब 61,000 दावों की मौजूदा स्थिति से संबंधित एक पूरी तथा विस्तृत सूची अखिल भारतीय किसान सभा को उपलब्ध करायी जाएगी। जिला कलेक्टर ने एफआरए के क्रियान्वयन पर जो ताजा जानकारी मुहैया करायी है, वह इस प्रकार है:

जिले में कुल 61,043 व्यक्तिगत एफआरए दावे किए गए थे। इनमें से 51,376 दावे स्वीकार कर लिए गए हैं और 29,292 हैक्टेयर वन भूमि लाभार्थियों में बांटी गयी है। एसडीओ स्तर की कमेटी ने 6,615 दावे खारिज कर दिए हैं और करीब 3,000 दावे अभी भी लंबित हैं।

प्राप्त हुए सामूहिक एफआरए दावों की संख्या 627 थी, जिनमें से 496 दावों को स्वीकार कर लिया गया है और 27,775 हैक्टेयर वन भूमि वितरित की गयी है। इसलिए पालघर जिले में दो मुख्य सवाल यह हैं कि करीब 10,000 दावो को या तो खारिज किए गया गया है या वे लंबित हैं और यहां तक कि जो 51,376 दावे स्वीकार भी किए गए हैं, उनमें से भी ज्यादातर मामलों में जमीन की जो मात्रा दी गयी है, वह जितनी जमीन पर वास्तव में आदिवासी किसान खेती कर रहे हैं, उससे काफी कम है। एफआरए के तहत चार हैक्टेयर (10 एकड़) जमीन की सीमा रखी गयी है। इस तरह की घटनाएं भी सामने आयी हैं कि एफआरए के सैकड़ों दावे प्रशसन के रिकॉर्ड से ही गायब हैं। अगर कलेक्टर की सहमति के मुताबिक अखिल भारतीय किसान सभा विस्तृत

सूची देती है, तो यह तमाम मुद्दे निपटाए जा सकते हैं।

2. विभिन्न श्रेणियों के तहत भूमि अधिकार से संबंधित हजारों दावे जो अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा आज दायर किए उनको गांववार प्रोसेस किया जाएगा और उनके संबंध में धनात्मक भावना के साथ निर्णय लिए जाएंगे। पानी तथा सिंचाई से संबंधित ज्वलंत मुद्दों को हल करने के लिए कलेक्टर अखिल भारतीय किसान सभा के साथ सभी संबंधित अधिकारियों की एक विशेष बैठक आयोजित करने के लिए सहमत हुए।

3. अनुपस्थित भूस्वामियों की जमीनों के सिलसिले में उन जमीनों पर वास्तव में खेती करनेवाले आदिवासी किसान उस समय आवेदन करेंगे जब आगामी सितंबर महीने में उनके खेतों में फसलें खड़ी होगी। इनको चैक किया जाएगा और उन्हें पहले बंटाईदार बनाने और उसके बाद उन्हें इन जमीनों का मालिक बनाने के लिए इन्हें आधार बनाया जाएगा। वर्ष 1945–47 के अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में चले शानदार वर्ली आदिवासी विद्रोह, जिसकी अगुवाई कामरेड शामराव तथा गोदावरी पारूलेकर कर रहे थे, के दौरान सैकड़ों लूटेरे भूस्वामियों को नए स्वतंत्र हुए आदिवासी किसानों ने अपने क्षेत्र और अपनी जमीनें छोड़कर चले जाने के लिए मजबूर कर दिया था। बहरहाल, जमीनों के रिकॉर्ड के मुताबिक यह जमीनें अभी भी उन भूस्वामियों के ही नाम पर ही हैं, हालांकि उन पर पिछले 75 वर्शों और उससे भी ज्यादा समय से आदिवासी किसानों का ही कब्जा है और वही उन पर खेती करते हैं।

अखिल भारतीय किसान सभा की इस पालघर रैली का नेतृत्व अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. अशोक ढ़वले, राज्यअध्यक्ष उमेश देशमुख, राज्य सचिव डा. अजित नवले, उपाध्यक्ष किसन गूजर, एडवा की राष्ट्रीय महासचिव मरियम ढ़वले, सीटू राज्य सचिव विधायक विनोद निकोले, अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष चंद्रकांत घोरखाना, सचिव चंद्रकांत धांग्ड़ा, उपाध्यक्ष रादका कलंगड़ा तथा किरण गहाला, कोशाध्यक्ष विजय कटेला, एडवा राज्य सचिव प्राची हातिव्लेकर, उपाध्यक्ष लहाणी दौड़ा तथा संयुक्त सचिव सुनीता शिंगड़ा, डी वाइ एफ आइ राज्य अध्यक्ष नंदकुमार हदाल तथा अन्य लोगों ने किया।

ठाणे जिला कलेक्ट्रेट पर 3,000 किसानों की रैली

एक दिन बाद 31 मई को अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में करीब 3,000 किसानों ने भूमि, पानी तथा सिंचाई संबंधी अपनी मांगों पर दबाव बनाने के लिए ठाणे जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। यह किसान–जिनमें स्त्री तथा पुरूश दोनों ही शामिल थे–ठाणे जिले की शाहपुर, भिंवडी, मुरबाद तथा ठाणे तहसीलों से इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए थे। इस जिले में अखिल भारतीय किसान सभा का काम परंपरागत रूप से शाहपुर तहसील तक ही सीमित था। बाद की तीन तहसीलों में उसका काम नया है।

नवगठित पालघर जिले–जो कि मुख्यतः एक ग्रामीण तथा आदिवासी बहुल जिला है और इस मामले में एक प्रमुख अपवाद वसई–विरार शहरी पट्टी ही है, के विपरीत मौजूदा ठाणे जिला मुख्यतः एक शहरी तथा गैरआदिवासीबहुल जिला है और इस सिलसिले में शाहपुर तथा मुरबाद तहसीलें ही अपवाद हैं।

पिछले एक महीने में वन भूमि, मंदिर ट्रस्टों की जमीनों, ईनामी जमीनों, चारागाह की जमीनों आदि पर भूमि अधिकारों के सैकड़ों फॉर्म किसानों द्वारा भरे गए हैं। यह सभी फॉर्म कलेक्टर को दिए गए और उनकी रसीदें ली गयी।

ठाणे में अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रतिनिधिमडल ने कलेक्टर श्री अशोक सिंगारे से मुलाकात की और ज्ञापन पर उनसे चर्चा की। वे सारे वन अधिकार कानून (एफआरए) के दावों संबंधी मौजूदा स्टेटस की पूरी सूची अखिल भारतीय किसान सभा को देने पर सहमत थे। ठाणे जिले में एफआरए के क्रियान्वयन के स्टेट्स के बारे में उन्होंने जो सूचना, वह बेहद गंभीर थी। जिले में एफआरए के दावों की कुल संख्या 17,157 थी। इनमें से आदिवासियों के दावे 11,910 थी, जिनमें से 6,382 को स्वीकार कर लिया गया है और 3,473 को खरिज कर दिया गया है। जबकि 1,785 लंबित हैं। 5,247 गैरआदिवासी दावों में से सिर्फ 55 दावे ही स्वीक त हुए हैं और 5,044 को खारिज कर दिया गया है और 148 दावे लंबित हैं। यह स्थिति न सिर्फ असंतोशजनक है, बल्कि एफआरए के जो दावे स्वीकृत हुए हैं, उनको लेकर भी बड़े पैमाने पर शिकायतें हैं कि भूमि की जो मात्रा दी गयी है, वह ज्यादातर मामलों में उस जमीन से काफी कम है, जिस पर वे वास्तव में खेती कर रहे हैं।

कलेक्टर अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा दिए गए भूमि अधिकार संबंधी तमाम आवेदनों को प्रोसेस करने पर और धनात्मक भावना के साथ उन पर निर्णय लेने पर भी सहमत थे। पानी तथा सिंचाई के ज्वलंत मुद्दों को हल करने के लिए वे अखिल भारतीय किसान सभा के साथ जिले के तमाम संबंधित अधिकारियों की विशेष बैठक आयोजित करने पर भी सहमत थे।

अखिल भारतीय किसान सभा की इस ठाणे रैली का नेतृत्व डा0 अशोक ढ़वले, डा0 अजित नवले, किसन गूजर, मरियम ढ़वले, विधायक विनोद निकोले, प्राची हातिव्लेकर, चंद्रकांत घोरखाना, चंद्रकांत धांग्ड़ा, किरण गहाला और अखिल भारतीय किसान सभा के नेता कृष्णा भावर, भरत वलंबा, नंदू खानजोड़े, पी के लाली, जगदीश भाल्के, गणेश दुमदा, रामचंद्र जाधव, दत्तू कराड़ तथा एसएफआइ राज्य सहसचिव भास्कर म्हासे आदि कर रहे थे। □

किसान आन्दोलन के बाद बाढ़ से लड़ने में भी हरियाणा–पंजाब के किसानों की मजबूत एकता

– मास्टर चाँद बहादुर

1 नवम्बर 1966 को पंजाब से अलग हो एक छोटा सा क्षेत्र हरियाणा के रूप में अस्तित्व में आया जो भारत के उत्तरी क्षेत्र में देश का 17 वां राज्य था जिस की उत्पत्ति भाषा के आधार पर हुई ,जिस का क्षेत्रफल 44212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा को पंजाब से अलग होने पर कमजोर आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ा परंतु यहां की मेहनतकश जनता द्वारा और जनकल्याण की कुछ नीतियों के कारण यह देश का पहला राज्य बना जहां हर गांव में 1975 में बिजली पहुंचा दी गई थी और राज्य में सड़कों का जाल बिछाया गया तथा हरित क्रान्ति के साथ साथ औद्योगिक क्रांति भी हुई ,जिस कारण हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में गोवा के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया। पंजाब से अलग होने के कुछ ही समय बाद इसे "देशों में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना" के नाम से पहचाना जाने लगा, परंतु दोनों राज्य के राजनेता कभी राजधानी के नाम पर, तो कभी पानी के नाम पर एक राज्य के लोगों को दूसरे राज्य के लोगों के विरुद्ध खड़ा कर अपना उल्लू सीधा करते रहे। हरियाणा के राजनेता कभी एस वाई एल के पानी को हरियाणा में लाने के नाम पर और पंजाब के राजनेता एक भी बूंद पानी हरियाणा को ना देने के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे और लोगों को सिवाय बरगलाने और नफरत के कुछ नहीं दिया बल्कि जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा।

जब मोदी निजाम अपने आकाओं पर भारत की सार्वजनिक सम्पदा को कोडियों के भाव लुटाने में मशगूल था तब दूसरी ओर कॉरपोरेट घरानों की गिद्ध दृष्टि किसानों की जमीन पर थी। वे उसे किसी भी कीमत पर हड़पने की फ़िराक में थे। मोदीजी भला उन्हे इंकार कैसे कर सकते थे। पहले अध्यादेश के माध्यम से और फिर बाद में ध्वनि मत से संसद में बिल पास करवा कर तीन कृषि कानूनों को लेकर आए।

तीनों काले कानूनों को वापिस करवाने के लिए पंजाब की किसान जत्थेबंदियों ने दिल्ली की ओर कूंच किया तो हरियाणा के किसानों ने न केवल हरियाणा की सीमा पर उन का स्वागत किया बल्कि कंधे से कंधा मिला कर संघर्ष में साथ रहे। संगरूर, मानसा, मोगा, कपूरथला, फरीदकोट की ओर से आने वाले जत्थे ने जब 25 नवम्बर को पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर गांव दाता सिंह वाला के पास लंगर डाला, तो नरवाना हल्के के लोगों ने, ना केवल किसानों का हरियाणा में पहुंचने पर गर्म जोशी से स्वागत किया बल्कि उनके लिए लंगर का प्रबंध भी किया और 26 नवंबर को हरियाणा सरकार द्वारा दाता सिंह वाला , गढ़ी, उझाना नरवाना में लगाए गए बेरीकेडों को हटाने का काम भी किया और नरवाना ब्लॉक के प्रधान डॉक्टर रामचंद्र के नेतृत्व (किसान सभा) के साथी जुलाना तक गए और रात्रि पड़ाव में वहीं रुके और 27 नवम्बर को मास्टर बलबीर सिंह वर्तमान राज्य अध्यक्ष हरियाणा किसान सभा के नेतृत्व में गुरुसर डिंडोली, दनोदा आदि के किसान अपने अपने ट्रैक्टरों ट्रालियों के साथ टीकरी बॉर्डर के नजबगढ़ पुल पर पहुंच गए थे, सयाद हरियाणा में सब से पहले टीकरी बॉर्डर पर पहुंचने वाले ट्रेक्टर ट्राली नरवाना से ही थे।

किसान सभा ने 500 से ज्यादा किसान संगठनो के साथ एक मंच पर आकर एक 40 सदस्यीय कमेटी, उस में से 11 सदस्यीय और 5 सदस्यीय कमेटी बना कर 13 महीने नस्ल और फसल को बचाने की लडाई

लड़ी। किसान आंदोलन के दौरान पंजाब के किसानों से हमने जाना कि लंगर की महत्ता क्या होती है और लंगर क्यों जरूरी है। हम ने यह भी जान लिया कि हरियाणा और पंजाब के किसानों की समस्या एक जैसी ही हैं, हमारे सुख दुःख एक जैसे हैं, हम दुश्मन नहीं भाई–भाई हैं और एकता में इतना बल होता है कि एकजुट हो कर बड़े से बड़े तानाशाह को घुटनों पर लाया जा सकता है और उस से माफी भी मंगवा सकते हैं, जैसा कि मोदी जी को करना पड़ा। किसान मजदूरों नें दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाल कर एक ऐतिहासिक संघर्ष में विजय प्राप्त की और महानायकों की तरह 13 महीनों में घर वापसी हुई। परंतु जींद जिला कमेटी, विशेषकर नरवाना ब्लॉक कमेटी ने लिखे जाने से 480 दिन पहले गुलाबी सुंडी के मुआवजे, जलभरावदसे नष्ट फसलों की लेप्स ग्रांट को वापिस मंगवा कर किसानों में बँटवाने और कुछ स्थानीय मांगों को लेकर धरना आरंभ किया था जो आज भी नरवाना तहसील कार्यालय पर जारी है। इस दौरान नरवाना के साथियों ने कुछ ऐतिहासिक कार्यों का आगाज भी किया। 26 जनवरी की जींद महापंचायत में 50 हजार लोगों को लंगर खिलाने का काम किया, जहां रोटियां किसानों के घरों से बन कर आई थी, साथ ही लाखों लोगों को चाय, दूध पिलाया गया। बचा हुई खाद्य सामग्री को गुरुद्वारों में दे दिया गया।

पिछले महीने जब पंजाब और हरियाणा में जलप्रलय ने कहर बरपाया तो 19 जून 2023 को किसान सभा हरियाणा राज्य अध्यक्ष मास्टर बलबीर सिंह के नेतृत्व में राज्य कोषाध्यक्ष डिम्पल, जिला प्रधान चांद, राम सिंह, मास्टर बलजीत सिंह, नरवाना ब्लॉक प्रधान दलबीर के साथ बलजीत ,वजीर सिंह, जगतार सिंह, राजेंद्र ,कृष्ण नैन, नछतर सिंह की एक टीम ने नन्हेडी, धारसूल, चिमो साईफन, रंगोई नाला, चंदपुरा हैड, चांदपुरा, हैड, सिधानी, म्योंद, डेर, साधनवास, रुपावली, शक्करपुरा, तलवाड़ा, तलवाडी आदि 16 गांवों का दौरा किया और लोगों से मिल कर पता किया कि उन को किन किन चीजों की जरूरत है।

समस्त जानकरियां प्राप्त करने के बाद वापिस नरवाना आकर हरियाणा के साथ पंजाब के गावों में भी राहत सामग्री भेजने की योजना बनाई और उसे लागू करना शुरू किया। जींद जिले के लोगों ने विशेषकर नरवाना तहसील के (किसान सभा) के साथियों ने गांव के लोगों के सहयोग से बाढ प्रभावित लोगों के लिए बिना समय गंवाए राहत सामग्री भेजनी शुरू कर दी। जैसे सैंथली गांव से देवेंद्र सिंह, सुखविंदर सिंह, लखविंदर सिंह, जसवंत सिंह आदि साथियों ने गांव के सहयोग से लगभग 3 लाख की राहत सामग्री भेजी गई। ढोहाना खेड़ा बडनपुर,मंगलपुर डूमरखा सिसर, हमीरगढ़ कर्मगढ़, खड़वाल, खरल, घसो, ढाकल ,सिंगवाल आदि गांव से बहुत अधिक मात्रा में पनीरी (धान की प्योध) मुफ्त भेजी गई। दनोदा कलां, दनोदा खुर्द, अलेवा, धमतान साहब, कलोदा कलां आदि से एक एक ट्राली खाद्य सामग्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भेजी गई। दनोदा खुर्द से 250 मन गेंहू भी भेजी गई दनोदा कलां व खुर्द से 14 पिकअप पनीरी मुफ्त भेजी गई। नरवाना की चोपड़ा पत्ती द्वारा एक लाख की खाद्य सामग्री और 2 ट्राली गेंहू (250 मन) भेजी गई। बेलरखा गांव ने 4 ट्रालियों में 500 मन गेंहू और 50 हजार रुपए की अन्य खाद्य सामग्री भेजी। उझाना गांव ने 600 मन गेंहू एक ट्राली खाद्य सामग्री भेजी। कोयल गांव द्वारा 4 ट्रॉली अथवा लगभग 500 मन गेंहू और 9 ट्राली तुड़ी अथवा सुखा चारा भेजा गया। हंस डेहर, डिंडोली, दाता सिंह वाला, गढ़ी, पिपलथा, गुरुथली, रेवर, पदार्थ खेड़ा डाबी टेक सिंह आदि गांव ने तो बाढ़ आते ही राहत सामग्री भेजनी आरम्भ कर दी थी। इस प्रकार खंड नरवाना किसान सभा के साथियों ने गांव वालों के सहयोग से हजारों मन गेंहू ,लाखों रुपए की राहत सामग्री, सूखा चारा व अन्य खाद्य सामग्री के साथ साथ सेंकड़ों एकड़ की पनीरी मुफ्त उपलब्ध करवाई गई । सब से बड़ी बात पंजाब के लोगों को यह अहसास करवाया गया कि तुम अकेले नहीं हो दुःख की इस घड़ी में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं,खड़े रहेंगे और भाईचारे की मिशाल कायम करेंगे यदि मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो नरवाना ,उचाना,जिला जींद से बाढ प्रभावित क्षेत्रों में 960 क्विंटल गेंहू , 12 लाख रूपए के खाद्य पदार्थ/सामग्री, एक लाख रुपए का हरा चारा, 20 ट्रॉली गेहूं की तुड़ी, एक हजार एकड़ जमीन के लिए पनीरी और 5 एकड़ में पनीरी बोई गई है जो अब लगाने के लिए तैयार हो चुकी है।

बाढ़ के बाद यह भाई चारा और अधिक मजबूत हुआ है क्यों कि चांदपुरा गांव में घघर पर बने बांध के टूट जाने के कारण 20 एकड़ भूमि पर 20 से 30 फीट गहरे गड्ढे हो गए थे। कई किसान तो दो–दो ,तीन–तीन एकड़ भूमि वाले थे और दूसरी ओर उस मिट्टी ने दूसरे किसानों की जमीन पर 4 ,4 फीट, मिट्टी की परत बिछा दी थी। छोटे किसानों के लिए अपने खेतों को समतल करना खाला जी का बाड़ा नहीं था। जब सोशल मीडिया पर यह ख़बर हमारे एक साथी द्वारा डाली गई तो पंजाब से सैंकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्राली और जे सी बी वहां कुछ ही समय में पहुंचने लगे और हरियाणा के किसानों के खेत समतल कर दिया गया, जिस से किसानों को दुबारा जीवन दान मिल गया। वहां पर एक मजबूत बांध भी बना दिया गया ताकि भविष्य में आने वाले पानी के प्रकोप को रोका जा सके। ये हमारे भाईचारे और मजदूर किसान की एकता की मिशाल है, जो किसान आंदोलन की देन है और जिसने नफरत जगह पर मोहब्बत का पैगाम दिया है। □

आलू उत्पादक किसानों की समस्या व सुझाव

– भारत सिंह

उत्तर प्रदेश में आलू की फसल एक प्रमुख फसल है। जो किसान से ही नहीं, प्रदेश के लाखों ग्रामीण महिला–पुरुष खेत मजदूरों की रोटी से भी जुड़ी है। इसके बाबजूद न तो केंद्र ने और न ही राज्य सरकार ने आलू संबंधी कोई नीति बनाई है। और न समर्थन मूल्य घोषितकरने का प्रावधान है आलू उत्पादक किसानो को मंडी के आढ़ती, शीत गृह मालिक, रोड लाइंस मालिक, रसायनिक खाद , कीटाणुनाशकों के दुकानदारों, आलू का नया बीज बेचने वालों द्वारा विभिन्न तरीकों से किसानों से लूट की जाती है। इस अवैध लूट से बचाने हेतु सरकार की कोई नीति नहीं है। एक ही वर्ष में आलू के भाव में उतार चढाव आ जाने के कारण गरीब, साधन हीन किसान इसका शिकार होकर कर्ज के दल दल में फंस जाता है और मजबूर हो कर या तो अपनी खेती बेच देता है या लगान की ऊंची दर के लालच में व संपन किसानों को अपनी ज़मीन को लगान पर देने के लिए बाध्य होता है। फसल की बुवाई के समय किसानो को रसायनिक खाद के कट्टे की सरकारी दर की कीमत से ज्यादा पैसा देना पड़ता है। मंडियों में आढ़ती आलू खरीदने वाले दुकानदार से मिलकर आढ़त से भी ज्यादा किसान से वसूली करता है। खेत से या शीतगृह से किसान का आलू बिक्री करने पर एक कुंतल पर 5 किलो आलू ज्यादा लिया जाता है। किसान आलू की बुआई में अंधाधुंध रसायनिक खाद, खरपत वार खत्म करने हेतु,ज्यादा पैदावार लेने हेतु अनेक रसायनों का प्रयोग करते हैं जिससे एक तरफ प्रति बीघा ज्यादा लागत लग रही है दूसरी तरफ खेती में पैदावर बहुत कम होती जा रही है। अतः उत्तर प्रदेश किसान सभा निम्न मांग करती हैं।

1, आलू का समर्थन मूल्य 1600/रुपया प्रति कुंतल घोषित किया जाय। सरकारी क्रय केंद्र खोल कर नैफेड सहकारी संस्था के माध्यम से खरीद आरंभ की जाय।

2, शीत गृह मालिकों की मनमानी भंडारण दर से निजात दिलाने हेतु कारगर हस्तक्षेप आरंभ करो।

3. हर किसान को पर्याप्त मात्रा में आलू का उन्नत शील प्रजाति का बीज निश्चित दर पर उपलब्ध कराया जाय।

4, आलू उत्पादक क्षेत्रों में आलू से बनने वाले उत्पादों के कारखाने खोले जाएं।

5, मंडियों में आढ़तीयों की मनमानी वसूली व व्यापारियों केएक कुंतल पर 5 किलो लेने पर रोक लगाई जाय।

6, आलू उत्पादक क्षेत्रों में किसानों को खाद,बीज व रसायनिक दवाओं के डालने, मिट्टी टैस्ट कराने आदि का प्रशिक्षण कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से सरकार अपने खर्चे पर दिलवाने की व्यवस्था करे। जिससे खेती में लागत कम की जा सके। मिट्टी टैस्ट की व्यवस्था विकास खंड स्तर पर नाम मात्र की फीस पर की जाय।

□

बहार राज्य ईख उत्पादक संघ का तीसरा सम्मेलन संपन्न
बिहार की चीनी मिलों पर विशाल धरने

– प्रभुराज नारायण राव

बिहार राज्य ईंख उत्पादक संघ का तीसरा राज्य सम्मेलन 9 जुलाई को मदन मोहन यादव नगर , एस एच आईटीआई, बलुआ, मोतिहारी में अखिल भारतीय गन्ना किसान महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव नन्द किशोर शुक्ला द्वारा झंडोत्तोलन से प्रारम्भ हुआ। रामाश्रय सिंह, राजेन्द्र प्रसाद सिंह , रामलखन यादव, जटाशंकर सिंह तथा विश्वनाथ बुंदेला के अध्यक्ष मण्डल ने सम्मेलन का संचालन किया। शोक प्रस्ताव प्रभुराज नारायण राव द्वारा रखा गया।

इस सम्मेलन का विधिवत उदघाटन करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव तथा संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता वीजू कृष्णन ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है । वर्ष 2023 – 24 के लिए एफ आर पी मात्र 10 रुपयें प्रति क्विंटल बढाकर उसने यह प्रमाणित भी कर दिया है। हमें एम एस पी को कानूनी दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष को और तेज करना होगा।

अखिल भारतीय गन्ना किसान महासंघ के महासचिव नंदकिशोर शुक्ला ने कहा कि पिछले 5 साल में गन्ने की कीमतें 275 रुपए से 315 रुपयें पहुँची है, यानी मात्र 40 रुपयें वृद्धि हुई और वह भी 10.25 प्रतिशत की चीनी की रिकवरी पर। जबकि स्वामीनाथन कमीशन की अनुशंसा के आधार पर सी 2 +50 प्रतिशत के दर से कीमतें 500 रुपए प्रति क्विंटल होनी चाहिएं और वह भी 9.5प्रतिशत चीनी की रिकवरी पर।

अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव अवधेश कुमार ने कहा कि 1966 शुगर कंट्रोल ऑर्डर के अनुसार 14 दिन में गन्ने का भुगतान किया जाना चाहियें, अन्यथा चीनी मिल किसानों को ब्याज सहित भुगतान करें।

बिहार राज्य किसान सभा के महासचिव विनोद कुमार ने अपने समापन भाषण में कहा कि बिहार में 29 चीनी मिल है। जिसमें से 9 मिलें चल रही है। बाकी बंद पड़ी हुई हैं। यह सम्मेलन बिहार सरकार से मांग करता है कि सभी चीनी मिलों को चालू कर लाखों बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था करे तथा किसानों को नकदी फसल गन्ना से लाभ का रास्ता प्रशस्त करे। बिहार राज्य ईंख उत्पादक संघ के महासचिव प्रभुराज नारायण राव ने सम्मलेन के समक्ष महासचिव रिपोर्ट की रिपोर्ट राखी।

रिपोर्ट पर बहस में 11 जिलों के प्रतिनिधियों ने आपनी बात रखी। जिन्होंने मुख्य रुप से बंद चीनी मिलों को चालू करने, किसानों के बकाए पैसे का ब्याज सहित भुगतान करने,

गन्ने की चोरी पर रोक लगाने आदि विषयों पर प्रमुखता से अपनी बात कही।

सम्मेलन ने 31सदस्यीय नई राज्य कमिटी का गठन किया। सम्मलेन में सर्वसम्मति से राजमंगल प्रसाद को अध्यक्ष, रामलखन प्रसाद यादव, जटाशंकर सिंह , अजय कुमार यादव , विश्वनाथ बुन्देला को उपाध्यक्ष, प्रभुराज नारायण राव को महासचिव, धनंजय पूरी, म. वहीद , सत्यनारायण सिंह, सोनेलाल प्रसाद को संयुक्त सचिव तथा अरुण कुमार को कोषाध्यक्ष चुना गया। सम्मेलन में 11जिले से 167 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

केंद्र सरकार द्वारा गन्ना किसानों के लिए वर्ष 2023–24 के लिए मात्र 10 रुपए एफ आर पी बढ़ाने की घोषणा का सम्मेलन ने कड़ा विरोध करते हुए 20 जुलाई को बिहार की सभी चीनी मिलों , सरकारी संस्थाओं या कलक्टर के समक्ष प्रदर्शन या धरना करने का प्रस्ताव पास किया।

बिहार की चीनी मिलों पर धरने

बिहार राज्य ईंख उत्पादक संघ द्वारा बिहार की चीनी मिलों के गेट पर धरने किये गए। अखिल भारतीय गन्ना किसान महासंघ के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर बिहार के पश्चिम चम्पारण जिला की मझौलिया चीनी मिल पर धरना को बिहार राज्य ईंख उत्पादक संघ के महासचिव प्रभुराज नारायण राव, बिहार राज्य किसान सभा के राज्य कार्यकारिणी के सदस्य चांदसी प्रसाद यादव, ईंख उत्पादक संघ के जिला अध्यक्ष लालबाबु यादव , सचिव म. वहीद , खेत मजदूर नेता म. हनीफ , डी वाई एफ आई के जिला सचिव संजीव कुमार राव आदि ने संबोधित किया।

समस्तीपुर की हसनपुर चीनी मिल पर ईंख उत्पादक संघ एवं किसान सभा की तरफ से प्रदर्शन किया गया। जिसका नेतृत्व ईंख उत्पादक संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार सुनील, बिहार राज्य उपाध्यक्ष तथा सचिव सत्यनारायण सिंह, गंगाधर झा, उपेन्द्र राय ने किया।

गोपालगंज जिले की सासामुसा चीनी मिल पर भी धरना दिया गया। जिसे बिहार राज्य ईंख उत्पादक संघ के उपाध्यक्ष जटाशंकर सिंह, कोषाध्यक्ष अरुण कुमार , किसान नेता सच्चिदानन्द ठाकुर, मुना प्रसाद, रमेश कुमार बंधु, हृदयानंद सिंह, शिवनारायण बारी आदि ने संबोधित किया

सीतामढ़ी की रीगा चीनी मिल पर धरना देते हुए बिहार राज्य ईंख उत्पादक संघ के उपाध्यक्ष विश्वनाथ बुंदेला, देवेंद्र यादव, मदन राय ने संबोधित किया।

मधुबनी जिले की सकरी चीनी मिल पर बिहार राज्य ईंख उत्पादक संघ के उपाध्यक्ष तथा जिला पार्षद रामलखन प्रसाद यादव के नेतृत्व में धरना दिया गया। □

कर्नाटकः कपास उत्पादकों के अधिवेशन ने लाभकारी कीमतों की मांग की

– चन्नप्पा अनेगुंडी

12 जून, 2023 को यादगीर जिले की शाहपुर तहसील में कृषि विश्वविद्यालय सभागार में अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध कर्नाटक प्रांत रायथा संघ (केपीआरएस) के तत्वावधान में कपास उत्पादकों का एक राज्य स्तरीय अधिवेशन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। अधिवेशन का उद्घाटन किसान सभा के अखिल भारतीय महासचिव डॉ. विजू कृष्णन ने किया। इस अधिवेशन में यादगीर, गुलबर्गा, बीजापुर, रायचूर और अन्य जिलों से 300 से अधिक किसानों, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं थीं, ने भाग लिया। अधिवेशन में किसानो के अलावा कृषि वैज्ञानिक और छात्र भी शामिल हुए। सम्मलेन की अध्यक्षता वरिष्ठ किसान नेता और केपीआरएस के जिला अध्यक्ष चन्नप्पा अनेगुंडी ने की। केपीआरएस के राज्य सचिव टी.यशवंथा, केपीआरएस के संयुक्त सचिव शरणबसप्पा ममशेट्टी, गुलबर्गा जिला सचिव साईबन्ना गुडुबा, केपीआरएस के वरिष्ठ नेता व रायचूर जिला अध्यक्ष वीरन्ना गौड़ा, अन्नाराय एलीगेरा, बीजापुर जिला अध्यक्ष एवं सचिव भीमाराय पुजारी, यादगीर जिला सचिव नरसन्ना नाइक , एस.एम.सागर तथा अन्य नेता इस अधिवेशन में उपस्थित रहे। अधिवेशन की शुरुआत सभी नेताओं द्वारा एक पौधे को पानी देने से हुई।

किसान सभा के महासचिव विजू कृष्णन ने कहा कि राज्य में कपास किसानों को उत्पादन की बढ़ती लागत और कम कीमतों के कारण भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि खरीफ 2023–24 के लिए हाल ही में घोषित एमएसपी कपास किसानों के साथ एक और धोखा है और सरकार किसानों के जीवन को पटरी से उतारने के लिए अलग–अलग दिशाओं में खींच रही है। घोषित कपास का एमएसपी मात्र 6620 रुपये/क्विंटल है, जो लगभग 3000 रुपये/क्विंटल कम है क्योकि, कर्नाटक में पूर्व भाजपा सरकार के तहत राज्य कृषि विभाग के अनुसार उत्पादन की सी2 लागत 9488 रुपये/क्विंटल है।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए केपीआरएस के राज्य महासचिव टी यशवंथा ने कहा कि भाजपा सरकार की आयात नीति कपास उत्पादकों के खिलाफ है। आयात शुल्क–मुक्त, बिना किसी प्रतिबंध के किया जाता है और इन नीतियों के कारण किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है।

अधिवेशन ने एकजुट संघर्ष शुरू करने और लाभकारी कीमतों और उनके हितों की सुरक्षा के लिए लड़ने का फैसला किया। इसने कम से कम 12,000 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी और सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान के लिए पर्याप्त धन की मांग की गई। इसने नकली बीजों की बड़ी समस्या की ओर भी इशारा किया और नकली कपास के बीज निर्माताओं एवं विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की। अधिवेशन ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें मांग की गई कि कपास के बीजों की कालाबाजारी और कृत्रिम कमी पैदा करने वाले व्यापारियों से सख्ती से निपटा जाए तथा उनके लाइसेंस रद्द किए जाएं। इसने घटिया इनपुट को रोकने के लिए बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की बिक्री, वितरण और उत्पादन को नियंत्रित करने वाले कानूनों को सख्ती से लागू करने की मांग उठाई। इन मांगों को पूरा किये जाने की दिशा में कदम बढ़ाने की मांग को लेकर 3 जुलाई, 2023 को कपास उत्पादक क्षेत्रों के जिला और तहसील केंद्रों पर विरोध प्रदर्शनों का आह्वान किया गया। केपीआरएस कार्यकर्ताओं ने उन बीज व्यापारियों के खिलाफ भी धरना दिया जो अत्यधिक दरें वसूल रहे थे और कृत्रिम कमी को पैदा कर रहे थे। □

कर्नाटक में नारियल के किसानों का सफल विरोध प्रदर्शन

–टी.यशवंथा

अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध कर्नाटक प्रांत रायथा संघ (केपीआरएस) और इसकी पहल पर गठित नारियल किसान संघर्ष समिति ने खोपरा के लिए 16,730 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग करते हुए 19 जुलाई, 2023 को एक सफल विधान सभा मार्च का आयोजन किया और केंद्र की भाजपा सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया व साथ ही साथ राज्य सरकार की उपेक्षा की भी खिलाफत की।

नारियल के पेड़ को व्यापक रूप से कल्पवृक्ष (इच्छा पूरी करने वाला पेड़) के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब किसानों के लिए ऐसा नहीं है। कर्नाटक की प्रमुख बागवानी फसल, खोपरा की कीमत 6,000 से 7,000 रुपये प्रति क्विंटल के अभूतपूर्व निचले स्तर तक गिर गई है। तथ्य यह है कि, खोपरा की कीमत, जो दो साल पहले 18,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति क्विंटल के बीच थी, अब इतने निचले स्तर पर गिर गई है, जो किसानों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है।

भारत खोपरा के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, जो वैश्विक स्तर पर कुल खोपरा उत्पादन का 31 प्रतिशत उत्पादित करता है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इन चार दक्षिण भारतीय राज्यों के हमारे देश खोपरा उत्पादन का 90 प्रतिशत हिस्सा हैं। कर्नाटक, देश का दूसरा सबसे बड़ा खोपरा उत्पादक राज्य है, जहां कुल 6.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नारियल उगाया जाता है। वार्षिक खोपरा उत्पादन 2. 18 मीट्रिक टन है।

खोपरा भाव में गिरावट का कारण

देश में खाद्य तेल के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले खोपरा के कुल उत्पादन में कर्नाटक की हिस्सेदारी 65.5 प्रतिशत है। केरल, जो देश में नारियल का पहले नंबर का उत्पादक है, खाद्य तेल निष्कर्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले खोपरा में केवल 13.5 प्रतिशत हिस्सा रखता है। इसका मतलब यह है कि राज्य की खोपरा की मांग खाद्य तेल के घरेलू उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली खोपरा की मात्रा से बहुत निकटता से संबंधित है। नारियल का तेल भी एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जिसका उपयोग साबुन और डिटर्जेंट के उत्पादन में किया जाता है साथ ही इस का उपयोग सफाई व गंदगी हटाने के लिए किया जाता है।

अटल–बिहारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा बातचीत और मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा हस्ताक्षरित भारत–आसियान मुक्त व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में पाम तेल को बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के शुल्क मुक्त आयात किया गया। परिणामस्वरूप नारियल तेल की मांग गिर गई है और राज्य में खोपरा की कीमत 20,000 रुपये से गिरकर 6,500 रुपये प्रति क्विंटल हो गई।

एमएसपी तय करने में धोखा और क्रय केंद्रों पर अन्याय

राज्य के बागवानी विभाग ने केंद्र सरकार के कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) को उत्पादन लागत के आधार पर प्रति क्विंटल खोपरा का एमएसपी 16,730 रुपये सुनिश्चित करने की सिफारिश की थी। (असल उत्पादन लागत बागवानी विभाग के अनुमान से कहीं अधिक है)। राज्य सरकार के विभाग की आधिकारिक सिफ़ारिश को नज़रअंदाज करते हुए केंद्र सरकार ने एमएसपी मात्र 11,750 रुपये तय कर दिया है । इतना ही नहीं, केंद्र सरकार झूठा दंभ भरती है कि यह उत्पादन लागत का डेढ़ गुना से भी अधिक है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा प्रमुख खोपरा उत्पादक राज्य के सरकारी बागवानी विभाग की सिफारिश को बिना कोई कारण बताए नकारते हुए एमएसपी तय करना किसानों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है।

खरीद व्यवस्था में भी भाजपा सरकार ने नारियल किसानों की आंखों में केवल धूल झोंकी है। हालाँकि एमएसपी 11,750 रुपये निर्धारित है, लेकिन राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (एनएएफईडी) ने एक शर्त लगाई है कि, जब तक खोपरा का अधिकतम बिक्री मूल्य 10,000 रुपये से कम न हो, खरीद केंद्र नहीं खोले जा सकते। इस स्थिति के कारण, किसानों को लगभग एक वर्ष तक बिना किसी खरीद केंद्र के अपनी उपज को सड़ते हुए देखना पड़ा।

अधिकतम बिक्री मूल्य 9000 रुपये से कम होने के बाद ही क्रय केंद्र खोले गए। लेकिन केंद्र सरकार ने एनएएफईडी को खरीद के लिए आवश्यक धनराशि जारी नहीं की। खरीद

की गति कछुआ गति से भी धीमी थी। इस सबके परिणामस्वरूप किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। तिप्तूर सहित राज्य के सभी खोपरा उत्पादक क्षेत्रों में उग्र विरोध प्रदर्शन हुए। केपीआरएस समेत कई किसान संगठन एशिया के सबसे बड़े खोपरा बाजार तिप्तूर में महीनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में खोपरा उत्पादक क्षेत्रों से भाजपा उम्मीदवार बुरी तरह हारे थे।

नारियल एक लंबी अवधि की फसल है. एक ओर उचित बारिश की कमी और दूसरी ओर उत्पादन लागत में जबरदस्त वृद्धि जैसी तमाम कठिनाइयों पर पार पाते हुए, किसानों के हाथों में उपज आने में कम से कम दस साल लग जाते हैं। घुन/कीटों के खतरे, सूखे और गिरते भूजल स्तर जैसी कई चुनौतियों के बावजूद नारियल की फसल उगाई जा रही है। गरीब किसानों को गंभीर स्थिति में धकेल दिया गया है क्योंकि उन्हें उत्पादन लागत भी नहीं मिल रही है। कीमत बढ़ने की उम्मीद में कई किसानों ने फसल बेचने की जगह भण्डारण कर रखा हुआ है महीनों बाद भी दाम नहीं बढ़े और इसके बजाय, इस डर से कि भंडारित नारियल पर फंगस ना उग आये, जब किसान बिक्री के लिए उपज ले गए, तो खोपरा की कीमत में भारी गिरावट आई। किसानों को एक बार फिर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। हासन जिले के चन्नरायपटना में केपीआरएस के नेतृत्व में खोपरा उत्पादकों का एक तहसील स्तरीय अधिवेशन आयोजित किया गया और तहसीलदार कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। हसन, तुमकुर और मांड्या जिलों के हजारों खोपरा उत्पादकों ने 15 जुलाई, 2023 को कदबल्ली, नागमंगला तालुक में एक विशाल विरोध सभा आयोजित की। इस प्रकार नारियल किसानों की चीख विधानसभा में गूंजी। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के एमएसपी के अलावा खोपरा पर प्रति क्विंटल 1250 रुपये के प्रोत्साहन की घोषणा की है।

लेकिन किसान खुश नहीं थे क्योंकि खोपरा खरीद एजेंसी एनएएफईडी ने घोषणा की थी कि इस साल की खरीद 26 जुलाई, 2023 को समाप्त होगी। इस साल के कुल खोपरा उत्पादन 2.18 लाख मीट्रिक टन में से केवल 47 हजार टन यानी कुल की लगभग एक चौथाई उपज एनएएफईडी द्वारा खरीदी गई थी। अभी भी उत्पादित खोपरा का तीन–चौथाई हिस्सा किसानों के पास बिना बिका रखा हुआ है। इस संदर्भ में, केपीआरएस राज्य समिति ने निम्नलिखित मांगों पर संघर्ष का आह्वान किया:

■कर्नाटक बागवानी विभाग और कर्नाटक कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश के अनुसार एक क्विंटल बॉल खोपरा की कीमत 16,730 रुपये तय करें। राज्य सरकार कम से कम 5000 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन मूल्य की घोषणा करे।

■राज्य सरकार एमएसपी पर खोपरा खरीदने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाए।

■उत्पादन लागत के डेढ़ गुना एमएसपी तय करने की स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू किया जाए।

■सरकार स्वयं एपीएमसी बाजार के माध्यम से खोपरा और नारियल की खरीद करे।

■एनएएफईडी के माध्यम से नारियल खरीद को मजबूत और विस्तारित किया जाए।

■सिंचाई पंपसेटों के लिए डिजिटल मीटर की स्थापना को समाप्त किया जाना चाहिए, और पंपसेटों के आरआर नंबर और आधार कार्ड को लिंक करना बंद कर दिया जाए।

■किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एपीएमसी मंडियों को मजबूत किया जाए और भ्रष्टाचार को रोका जाए।

■किसानों को मंडी परिसर में आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

■नारियल उत्पादों और सह–उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिए आवश्यक कृषि आधारित उद्योग स्थापित किए जाए।

■नारियल किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की जाए।

■नारियल उत्पादकों की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के अधीन संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं किसान संगठनों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाए।

मंत्री एवं किसान नेताओं की संयुक्त प्रेस वार्ता

किसानों के आक्रोश के आगे झुकते हुए, कृषि विपणन मंत्री ने केपीआरएस के राज्य महासचिव टी यशवंत, वित्त सचिव एच आर नवीन कुमार के नेतृत्व में किसान नेताओं के साथ बैठक हुई जिसमे उन्होंने किसानो की शिकायतों को सुन कर सहमति व्यक्त करते हुए मांगों को उचित माना। मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि वह किसान संगठनों की मांग के अनुरूप केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। अगले दिन 20 जुलाई 2023 को विधान भवन में किसान नेताओं के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता कर मंत्री जी ने केंद्र सरकार से समर्थन मूल्य 16730 रुपये करने, खरीद की अवधि बढ़ाने और किसानों के नवीन पंजीयन की अनुमति देने की मांग की।

संवाददाता सम्मेलन में प्रांत रायथा संघ की ओर से केपीआरएस के राज्य महासचिव टी. यशवंत, वित्त सचिव एच आरनवीन कुमार, तुमकुर जिले के आर एस चन्नाबसवन्ना, हासन जिले के एच एस मंजूनाथ और रामचंद्र उपस्थित थे। राज्य के नारियल किसान अपनी मांगों को लेकर संसद सदस्यों के कार्यालयों के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। □

राज्य स्तरीय राजनीतिक प्रशिक्षण शिविर योजना बनाने और संगठन निर्माण में मददगार

– पी कृष्णप्रसाद

30 मई 2023 तक 2022–23 के लिए सदस्यता पूरी होने की प्रक्रिया के बाद, अखिल भारतीय किसान सभा सीकेसी द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों में से एक राज्य स्तर पर राजनीतिक प्रशिक्षण शिविर सुनिश्चित करना था। इसके बाद जिला, तहसील और ग्राम स्तर पर भी प्रशिक्षण शिविर आयोजित कियें जाएगे। इस संबंध में ठोस परिणाम सामने आए हैं। प्रशिक्षण शिविर संबंधित राज्यों में किसान आंदोलन के सभी स्तरों पर मुख्य कार्यकर्ताओं की राजनीतिक समझ को बेहतर बनाने में मदद करेगे। इन प्रशिक्षण शिविर में दो प्रमुख पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया हैः 1. राजनीतिक रूप से, किसान विरोधी, कॉर्पोरेट समर्थक, सांप्रदायिक, मनुवादी और फासीवादी मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा–आरएसएस सरकार का मुकाबला करना और 2. संगठनात्मक रूप से, किसान सभा सदस्यता के विस्तार तथा ग्राम स्तर की इकाइयों व उनकी नियमित गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना।

मध्य प्रदेश में, 7–9 जुलाई 2023 को भोपाल में तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में 55 आदिवासियों और 18 महिलाओं सहित कुल 118 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। डॉ. अशोक ढवले, डॉ. विकास रावल, बादल सरोज, छगनलाल चौधरी, जसविंदर सिंह और अखिलेश यादव ने इस शिविर में कक्षाएं लीं। प्रशिक्षण शिविर की सभी ने सराहना की और इस से संगठन के निरंतर विस्तार की योजना बनाई।

उत्तर प्रदेश का प्रशिक्षण शिविर 8–10 जुलाई को बुन्देलखण्ड क्षेत्र के चित्रकूट में आयोजित किया गया था। इस में डॉ. अशोक धावले, पी कृष्णप्रसाद, बादल सरोज, डॉ. विकास रावल और मुकुट सिंह ने कक्षाएं लीं। प्रशिक्षण शिविर में 76 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। स्कूल ने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने में मदद की और 15 सितंबर तक जिला स्तर के प्रशिक्षण शिविरों को पूरा करने की योजना बनाई है। फसलवार संघों पर जोर देने पर चर्चा की गई।

राजस्थान का प्रशिक्षण शिविर 10–12 जून 2023 को हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील में आयोजित किया गया था, जिस में 199 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विजू कृष्णन, अमरा राम, बादल सरोज, डॉ. विकास रावल और छग्गनलाल चौधरी ने इस में कक्षाएं लीं।

हरियाणा का प्रशिक्षण शिविर 28–30 जुलाई को रोहतक में संपन्न हुआ। इस शिविर में तीन महिलाओं सहित 56 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। डॉ. विजू कृष्णन, डॉ. अशोक धावले, पी कृष्णप्रसाद, बादल सरोज, इंद्रजीत सिंह और सुमित सिंह ने कक्षाएं लीं। ग्राम स्तर की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जन–आधारित संघर्षों को मजबूत करके संगठन के आधार का विस्तार करने की योजना बनाई गई।

केरल ने 18–19 जुलाई को पथानामथिट्टा में चारलकुन्नु शिविर स्थल पर अपना दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। इस शिविर में 35 महिलाओं सहित 184 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। एस रामचंद्रन पिल्लई, गोविंदन मास्टर, टीएम थॉमस इसाक, वी कार्तिकेयन नायर और वलसन पैनोली ने कक्षाएं लीं। किसान सभा राष्ट्रिय संयुक्त सचिव व त्रिपुरा राज्य सचिव पबित्रा कर भी शिविर में शामिल हुए और भाजपा–आरएसएस गठबंधन द्वारा किए गए हमलों का खामियाजा भुगत रहे त्रिपुरा के किसानों की सहायता के लिए तहसील स्तर पर संग्रह के माध्यम से एकत्रिक की गई त्रिपुरा एकजुटता निधि के 20,34,979 रुपये की राशी उन्हें शोंपी गई। स्कूल का मुख्य जोर केंद्र की नव–उदारवादी नीतियों के हमलों के कारण केरल में गंभीर कृषि संकट को संबोधित करने पर रहा। □

मणिपुर एकजुटता दिवस – 25 जुलाई 2023

हैदराबाद, तेलंगाना

जंतर मंतर, दिल्ली एनसीआर

रांची, झारखंड

साथी तेरी सोच पे, पहरा देंगे ठोक के

कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत

(23 मार्च 1916 से 1 अगस्त 2008)

मूल्य : 20 रुपये

अखिल भारतीय किसान सभा

36, पंडित रविशंकर शुक्ला लेन (केंनिंग लेन), नई दिल्ली–11000 1

फोन व फैक्स : 011–23782890 ई–मेल : kisansabha@gmail.com

प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए 21, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, जी.टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली–110095